

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

8 वां

वार्षिक प्रतिवेदन
2022-23



मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आठवां वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,
काली बाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल - 462022

क्र.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	कॉरपोरेट जानकारी	1-2
2	संचालकों का प्रतिवेदन एवं वार्षिक रिटर्न के लिए एक्स्ट्रैक्ट (MGT-9)	4-32
3	लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	33-35
4	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	36-50
5	31 मार्च 2023 का तुलन पत्र	51-52
6	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण	53-54
7	31 मार्च 2023 को सम्पन्न हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण	55-56
8	31 मार्च 2023 पर समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां	57-103

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का संयुक्त उपक्रम)

कॉरपोरेट जानकारी

संचालक मण्डल: (वार्षिक साधारण सभा की तिथि को)

स. क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री सुरेन्द्रकुमार बागड़े अतिरिक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष एवं नामांकित संचालक (भारत सरकार)
2	श्रीमती डी. थारा संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
3	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
4	श्री आनंद सिंह विष्ट संचालक (परियोजना), गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
5	श्री पंकज त्यागी ईडी/एलएंडए, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	नामांकित संचालक (भारत सरकार)
6	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन शहरी विकास एवं आवास विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)
7	श्री सुखवीर सिंह प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)
8	श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)
9	श्री डी.बी. पाटिल सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	नामांकित संचालक (म.प्र. शासन)

10	श्री मनीष सिंह प्रबंध संचालक एमपीएमआरसीएल	प्रबंध संचालक (म.प्र. शासन)
11	श्री अजय शर्मा संचालक परियोजना, एमपीएमआरसीएल	पूर्णकालिक संचालक
12	श्रीमती नीति कोठारी संचालक (वित्त), एमपीएमआरसीएल	पूर्णकालिक संचालक

सांविधिक लेखा परीक्षक :
मैसर्स ए.के.बी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफ.आर.एन. : 003904सी

आंतरिक लेखा परीक्षक :
मैसर्स आर.सी. बाहेती एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

सचिवीय लेखा परीक्षक :
मैसर्स नीलेश गुप्ता एंड कंपनी
व्यावसायिक कंपनी सचिव

कंपनी सचिव :
श्री संदीप जैन

बैंकों की सूची :

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4. बैंक ऑफ बड़ौदा
5. ऐक्सिस बैंक

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत में अधिवासित और निगमित)

पंजीकृत कार्यालय :

सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग,
काली बाड़ी रोड, बी.एच.ई.एल, सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल 462022
सीआईएन संख्या : U75100MP2015SGC034434.



सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिपोर्ट मूल अंग्रेजी भाषा की हिन्दी में अनुवादित प्रति है। उक्त अनुवादित रिपोर्ट के अर्थ घटन या संदर्भ समझने के हेतु या किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या स्पष्टीकरण/सुनिश्चिति की आवश्यकता होने पर, अंग्रेजी वार्षिक रिपोर्ट के अर्थ घटन/संदर्भ को आखिरी तथा निर्णायक समझें।

संचालकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकगण,

आपके संचालकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के काम-काज पर लेखापरीक्षित लेखों, आडिट रिपोर्ट तथा उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ आठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता है।

1. वित्तीय विवरण सारांश :

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन संक्षेप में प्रस्तुत है –

राशि लाख रुपये में

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष
कुल आय	3681.99	1766.04
कर्मचारी लाभ प्रभार	1314.54	344.79
अन्य व्यय	1624.88	832.52
ब्याज, मूल्यहास एवं कर से पूर्व आय (ईबीआईडीटी)	742.57	588.73
वित्त लागत	60.78	30.62
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	220.79	129.52
अपवाद मदें	—	113.49
कर व्यय	119.28	(47.15)
कर के बाद वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	341.72	362.25

1.1 वर्ष के दौरान, कंपनी को यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से ₹ 14,794 लाख की फंडिंग के बदले भारत सरकार से पासथ्रू सहायता (Pass Through Assistance- PTA) प्राप्त हुई है। 31 मार्च, 2023 तक, भारत सरकार से प्राप्त पीटीए की कुल राशि ₹ 45,522 लाख थी। यद्यपि, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ईआईबी द्वारा भारत सरकार को कोई सवितरण नहीं किया गया है।

1.2 31 मार्च, 2023 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी दोनों हितधारकों अर्थात् भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के पास समान अनुपात में ₹ 1,20,800 लाख थी। भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि के लंबित आवंटन के विरुद्ध इक्विटी अंशदान के लिए ₹ 142.78 करोड़ और ₹ 100 करोड़ के समरूपी शेयर की राशि मध्यप्रदेश शासन से क्रमशः अप्रैल, 2023 और मई, 2023 में प्राप्त हुई थी, जैसा कि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

1.3 वर्ष के दौरान भारत सरकार से केंद्रीय करों के लिए ₹ 8,682 लाख और केंद्रीय करों, राज्य करों भूमि आर एंड आर और आईडीसी के लिए मध्य प्रदेश शासन से ₹ 49,999.96 लाख के अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुए थे। 31 मार्च, 2023 तक अधीनस्थ ऋण के विरुद्ध कुल योगदान ₹ 96,062.96 लाख था।

2. भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की स्थिति इस प्रकार है :

- यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)-400 मिलियन यूरो (250+150) का वित्त अनुबंध ईआईबी के साथ विधिवत निष्पादित किया गया है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण अनुबंध और परियोजना



अनुबंध 31.03.2023 तक निष्पादन के अधीन थे। तथापि, ऋण अनुबंध और परियोजना अनुबंध 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 10.07.2023 को निष्पादित किए गए हैं।

- एशियाई विकास बैंक— भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और एडीबी द्वारा 9 से 11 नवंबर, 2022 तक एक टोही मिशन (Reconnaissance Mission) संचालित किया गया था एवं उचित परिश्रम के साथ इंदौर परियोजना का मूल्यांकन प्रक्रिया में है। शीघ्र ही एक सुरक्षा मिशन (Safeguard Mission) भी निर्धारित किया जा रहा है।

3. कंपनी के मामलों की स्थिति :

3.1 भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सिविल कार्यों की स्थिति :

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में 2 लाइनें शामिल हैं यानी पर्पल-लाइन (बदलकर नाम ऑरेंज-लाइन), और रेड-लाइन (बदलकर नाम ब्लू लाइन) म.प्र. शासन द्वारा अनुमोदित रोलिंग स्टॉक स्टाइल के अनुरूप, जिसकी कुल लंबाई 27.87 किमी और 30 स्टेशन हैं। करौंद चौराहे से एम्स तक ऑरेंज-लाइन में 12.58 किमी एलिवेटेड, 2.41 किमी भूमिगत खंड और 16 स्टेशन (14 एलिवेटेड और 2 भूमिगत) हैं। मदमदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहा तक ब्लू लाइन पर 12.88 किमी का एलिवेटेड सेक्शन और 14 स्टेशन हैं। एक स्टेशन "पुल-बोगदा" दोनों लाइनों के लिए इंटरचेंज स्टेशन है। सुभाष नगर में एक रोलिंग स्टॉक डिपो की योजना बनाई गई है जो दोनों लाइनों को आपूर्ति करेगा।

ऑरेंज लाइन के सुभाष नगर से एम्स तक 6.226 किमी के प्राथमिकता वाले खंड में वायाडक्ट, 8 स्टेशनों का निर्माण, सुभाष नगर में रोलिंग स्टॉक डिपो और ट्रैक की स्थापना आदि के कार्य प्रगति पर हैं। प्राथमिकता वाले हिस्से में सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशनों के बीच ट्रेन परीक्षण 23 सितंबर को शुरू करने और जून 2024 में वाणिज्यिक संचालन की योजना बनाई गई है। शेष हिस्सों के लिए सिविल कार्यों के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं और पूरी परियोजना को दिसंबर 2026 तक चालू करने की योजना बनाई गई है। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना में बंगाली चौराहा-विजय नगर, भवरसला-एयरपोर्ट-पलासिया-बंगाली चौराहा तक रिंग लाइन (येलो लाइन) शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 31.55 किमी और 30 स्टेशन हैं।

गांधी नगर से SC3 स्टेशनों तक 5.29 किमी के प्राथमिकता वाले खंड में, वायाडक्ट, 5 स्टेशनों, गांधी नगर में रोलिंग स्टॉक डिपो और ट्रैक की स्थापना आदि के निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। इस खंड के बीच ट्रेन परीक्षण की शुरुआत सितंबर 2023 में और वाणिज्यिक परिचालन जून 2024 में करने की योजना है। एससी 3 स्टेशन से रेडिसन चौराहा के बीच 10.7 किमी की दूरी पर वायाडक्ट और स्टेशनों का काम प्रगति पर है और इस हिस्से को दिसंबर 2024 तक चालू करने की योजना है। शेष एलिवेटेड खंड के लिए सिविल कार्यों के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं और भूमिगत खंड के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। पूरी परियोजना को दिसंबर 2026 तक चालू करने की योजना बनाई गई है। भोपाल और इंदौर दोनों मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए तकनीकी आधार पर एलिवेटेड एवं अंडरग्राउंड की लंबाई और ग्रेड (इंदौर के लिए) सेक्शन और स्टेशनों की संबंधित संख्या में परिवर्तन अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

3.2 भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सिस्टम कार्यों की स्थिति :

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना दोनों के लिए रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी), सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार, ट्रैक्शन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) जैसे प्रमुख सिस्टम कार्यों के लिए अनुबंध किए गए हैं। तीसरी रेल और रिसीविंग सब-स्टेशन सहित विद्युत आपूर्ति, अनुलंब (वर्टिकल) और क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) परिवहन प्रणाली (बीएचटीएस) की आपूर्ति स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, नेशनल कॉमन



मोबिलिटी कार्ड सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर प्रमुख डिपो मशीनरी और प्लांट (एम एंड पी) और स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसी) की आपूर्ति और स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

रोलिंग स्टॉक कारों की इंजीनियरिंग और निष्पादन कार्य (15 साल के व्यापक रखरखाव के साथ) – भोपाल के लिए 81 कारें और इंदौर के लिए 75 कारें, जिसमें सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार प्रणाली (7 साल के व्यापक रखरखाव के साथ) निविदा प्रगति पर है और ट्रायल रन के लिए प्राथमिकता रोलिंग स्टॉक कारें सितंबर 2023 तक वितरित की जाएंगी।

प्राथमिकता वाले स्टेशनों के लिए लिफ्टों और एस्केलेटर्स का डिजाइन और निर्माण कार्य प्रगति पर है और भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना दोनों के लिए प्राथमिकता वाली लिफ्टों और एस्केलेटर्स की डिलीवरी और स्थापना सितंबर 2023 में करने की योजना है।

4. भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के सामाजिक कार्य :

एसआईए और आरएपी के कार्यान्वयन के लिए पुनर्वास कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आरआईएसए) को नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य हितधारकों के साथ उन परियोजना प्रभावित परिवारों और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरआईएसए द्वारा किए गए क्षेत्र सत्यापन के आधार पर डेटाबेस तैयार किया गया है। पीएफ के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ सार्वजनिक परामर्श भी आयोजित किए गए, जिसमें संभावित कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया।

पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजे और सहायता का वितरण अनुमोदित पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार किया जा रहा है।

5. भावी विस्तार और परियोजनाएँ :

कंपनी मध्य प्रदेश के पांच (5) शहरों (इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल) के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट सहित व्यापक गतिशीलता योजना तैयार करने में संलग्न है। कंपनी इंदौर से उज्जैन क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन में भी संलग्न है।

इस संबंध में निम्नलिखित रिपोर्टों को मंजूरी दी गई है :

- ग्वालियर शहर की आरंभिक रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट, ड्राफ्ट और अंतिम व्यापक गतिशीलता योजना रिपोर्ट।
- इंदौर शहर की प्रारंभिक रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट और ड्राफ्ट व्यापक गतिशीलता योजना रिपोर्ट।
- जबलपुर शहर की प्रारंभिक रिपोर्ट एवं अंतरिम रिपोर्ट।
- उज्जैन शहर की प्रारंभिक रिपोर्ट एवं अंतरिम रिपोर्ट।
- भोपाल शहर की प्रारंभिक रिपोर्ट।

साथ ही कंपनी इंदौर से उज्जैन आरआरटीएस की पूर्व संभाव्यता अध्ययन (प्री-फिजिविलिटी स्टडी) में भी जुटी है।

6. मेक इन इंडिया पहल :

सभी इक्विटी वित्तपोषित निविदा पैकेजों में मेक इन इंडिया प्रेफरेंस क्लॉज शामिल हैं। इसके अलावा, रोलिंग स्टॉक निविदा, मेक इन इंडिया पहल के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।



7. लामांश :

कंपनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक परिचालन आरंभ नहीं किया है और इसलिए किसी लामांश की अनुशंसा नहीं की जा रही है।

8. रिजर्व :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिजर्व में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है।

9. जमा :

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (31), 73 और 74 के तहत जनता से कोई भी डिपॉजिट आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया है। 31 मार्च, 2023 को कोई दावा न किया गया या अदत्त डिपॉजिट नहीं था।

10. पूंजी संरचना :

31 मार्च, 2023 को, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, 10/- रुपये प्रत्येक के 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़) इक्विटी शेयर्स में विभाजित 5000,00,00,000/- रुपये (पांच हजार करोड़ रुपये मात्र) है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, 10/- रुपये प्रत्येक के 1,20,80,00,000/- (एक सौ बीस करोड़ अस्सी लाख) इक्विटी शेयर्स में विभाजित पूंजी 12,08,00,00,000/- रुपये (एक हजार दो सौ आठ करोड़ रुपये मात्र) है। कंपनी के पास प्रदत्त पूंजी का भाग बनने वाले इक्विटी शेयर्स के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

11. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो :

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

12. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो भविष्य में कंपनी के लाभकारी व्यवसाय की स्थिति और संचालन को प्रभावित करेंगे :

इस अवधि के दौरान, नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी के लाभकारी व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित कर सके।

13. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की दिनांक के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं यदि कोई हों :

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और इस रिपोर्ट की दिनांक के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो।

14. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियाँ बन गई हैं या बंद हो गई हैं या समाप्त हो गई हैं :

कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियाँ नहीं हैं।

15. धारा 92(3) के तहत वार्षिक विवरणी :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) में संदर्भित वार्षिक विवरणी फॉर्म संख्या एमजीटी-9 में परिशिष्ट-"ए" में संलग्न है।

16. सांविधिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने अपने पत्र सं./सीएवी/सीओवाई/मध्य प्रदेश, एमपीएमआरसीएल(1)/1080 दिनांक 07/09/2022 द्वारा मेसर्स ए.के.बी. जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड

एकाउंटेंट्स, (सीआर-0876), भोपाल-462016 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमपीएमआरसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। जो 8वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक निरंतर बने रहेंगे।

वर्ष के दौरान, कंपनी के लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की है।

17. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और उन पर प्रबंधन के उत्तर परिशिष्ट-“बी” में संलग्न हैं।

18. आंतरिक लेखा परीक्षक :

मैसर्स आर.सी. बाहेती एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (रजिस्ट्रेशन क्रमांक 0403034 सी) को वित्तीय वर्ष 2022-23 में आंतरिक लेखा परीक्षा संपादित करने के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है।

19. सचिवीय लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी ने मैसर्स नीलेश गुप्ता एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सीपी नंबर 6846) को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-“सी” में रखी गई है।

20. लागत लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को न तो लागत अभिलेखों को बनाए रखने की और न ही लागत लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

21. जनसंपर्क और सोशल मीडिया :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट संचार/जनसंपर्क प्रभाग द्वारा जनसंपर्क और सोशल मीडिया गतिविधियों की गई हैं, इन गतिविधियों का उद्देश्य संगठन की ब्रांड जागरूकता और छवि निर्माण को बढ़ाना है। मुख्य बिंदु नीचे उल्लिखित हैं :

(i) मास मीडिया प्रयास :

जनसंपर्क प्रभाग ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में सकारात्मक कहानियों और समाचारों के माध्यम से संगठन एवं चल रही परियोजनाओं की सकारात्मक छवि बनाए रखने पर काम किया है।

(ii) सोशल मीडिया पर उपस्थिति :

संगठन, एमपीएमआरसीएल ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपस्थिति स्थापित की है। सोशल मीडिया रणनीति जनता की भावनाओं के आधार पर लक्षित संचार और गतिविधियों से संबंधित सामग्री के नियमित साझाकरण पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल है:

- **स्वच्छता :** महत्वपूर्ण दिनों और त्योहारों से संबंधित पोस्ट।
- **सामरिक :** समय-विशिष्ट या विषय-आधारित पोस्ट, साथ ही माइल स्टोन।
- **रणनीतिक :** विशिष्ट विषयों पर केंद्रित अभियान।



इसके अतिरिक्त, एमपीएमआरसीएल ब्लॉगर और मीडियम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए रखता है, जहां जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर माह थीम/घटकों से संबंधित सूचनात्मक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किए जाते हैं।

(iii) ई-बुलेटिन :

संगठन अपनी परियोजनाओं से संबंधित जानकारी और प्रगति अपडेट वाले ई-बुलेटिन प्रकाशित करता है। ये ई-बुलेटिन एमपीएमआरसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(iv) प्रदर्शनी/स्टॉल भागीदारी :

एमपीएमआरसीएल ने दिसंबर, 2022 में शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन और जनवरी, 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजनों में समर्पित स्टॉल लगाकर अपनी परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में भाग लिया। इन आयोजनों ने परियोजना मॉडल प्रदर्शित करने और जागरूकता सामग्री वितरित करने के अवसर प्रदान किए।

एमपीएमआरसीएल ने 20 से 23 सितंबर 2022 तक मेरसे बर्लिन में आयोजित परिवहन प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया है।

एमपीएमआरसीएल का जनसंपर्क प्रभाग संगठन की ब्रांड छवि को बढ़ाने, सकारात्मक मीडिया कवरेज बनाए रखने, सोशल मीडिया पर दर्शकों के साथ जुड़ने और अपनी परियोजनाओं को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

22. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय :

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विवरण :

(ए) ऊर्जा का संरक्षण :

एमपीएमआरसीएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं में प्रणालियों की योजना बनाते समय ऊर्जा संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। एमपीएमआरसीएल ने कई ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करके और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके अपनी ऊर्जा खपत में कटौती करने और अपनी ऊर्जा क्रय प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख पहल हैं, डिपो और स्टेशन भवनों पर सौर पैनल, स्टेशनों और डिपो के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) प्लैटिनम रेटिंग प्रमाणन की योजना, रोलिंग स्टॉक के ब्रेक के लिए पुनरुज्जीवित (रिजनरेटिव) प्रौद्योगिकी का प्रावधान आदि।

(बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण :

एमपीएमआरसीएल में किसी भी मशीनरी या अन्य तकनीकी उत्पादों का क्रय करते समय आयातित उत्पादों पर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। कंपनी, भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, द्वारा समय-समय पर जारी किए गए "मेक इन इंडिया" के दिशा निर्देशों का पालन करती है।

(सी) विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	विदेशी मुद्रा आय	शून्य	शून्य
2.	विदेशी मुद्रा व्यय	9,695.00	शून्य

23. संचालक मंडल :

- i. 31 मार्च 2023 तक बोर्ड में 12 संचालक शामिल थे, जिनमें से 2 क्रियाशील संचालक हैं, अध्यक्ष सहित 5 संचालक भारत सरकार द्वारा नामित किए गए थे और प्रबंध संचालक सहित 5 संचालक म.प्र. शासन द्वारा नामित किए गए थे। नामित संचालक और पूर्णकालिक क्रियाशील संचालक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिनके पास सरकार के काम-काज में व्यापक अनुभव होता है और उनके पास शीर्ष क्रम का प्रशासनिक कौशल, वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता होती है।
- ii. वर्ष के दौरान संचालकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण

क्रमांक	नाम	डीआईएन	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	परिवर्तन की प्रकृति
1	श्री मनोज गोविल प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	07651991	22/04/2022	समाप्ति
2	श्री डी.बी. पाटिल सचिव वित्त, म.प्र. शासन	06999046	22/04/2022	नियुक्ति
3	श्रीमती नीति कोठारी संचालक (वित्त), एमपीएमआरसीएल	09608369	20/05/2022	पूर्णकालिक संचालक के रूप में नियुक्ति
4	श्री बी.के. गुप्ता कार्यकारी संचालक/परियोजना निगरानी (एसएजी/आईआरएसई), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	08121844	24/05/2022	समाप्ति
5	श्री पंकज त्यागी ईडी/एलएंडए, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	09622386	24/05/2022	नियुक्ति
6	श्रीमती छवि भारद्वाज प्रबंध संचालक, एमपीएमआरसीएल	06499360	13/07/2022	समाप्ति
7	श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव आयुक्त, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग	02008508	13/07/2022	नियुक्ति

8	श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक	02008508	11 / 11 / 2022	समाप्ति
9	श्री मनीष सिंह प्रबंध संचालक, एमपीएमआरसीएल	05277748	12 / 11 / 2022	नियुक्ति
10	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	02037213	07 / 11 / 2022	समाप्ति
11	श्री सुखवीर सिंह प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	02390931	07 / 11 / 2022	नियुक्ति
12	श्री मनीष सिंह प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02947579	11 / 11 / 2022	समाप्ति
13	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02037213	11 / 11 / 2022	नियुक्ति

iii. वित्तीय वर्ष के समापन पर संचालकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण :

स. क्र.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1	श्री सुरेन्द्रकुमार बागडे अतिरिक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	02305641	अध्यक्ष एवं संचालक
2	श्रीमती डी. थारा संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार	01911714	संचालक
3	श्री संजय मिश्रा संचालक (परियोजना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसीएल)	08102041	संचालक

4	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी)	08397090	संचालक
5	श्री पंकज त्वागी ईडी/एलएंडए, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	09622386	संचालक
6	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	02037213	संचालक
7	श्री मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग	02579544	संचालक
8	श्री सुखवीर सिंह प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग	02390931	संचालक
9	श्री डी.बी. पाटिल सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	06999046	संचालक
10	श्री मनीष सिंह प्रबंध संचालक, एमपीएमआरसीएल	05277748	प्रबंध संचालक
11	श्री अजय शर्मा संचालक परियोजना, पूर्णकालिक संचालक, एमपीएमआरसीएल	08644408	पूर्णकालिक संचालक
12	श्रीमती नीति कोठारी संचालक (वित्त), एमपीएमआरसीएल	09608369	पूर्णकालिक संचालक
13	श्री संदीप जैन एमपीएमआरसीएल	एम.न.एफ. 7847	कंपनी सचिव

iv. स्वतंत्र संचालक द्वारा धोषणा और पुनः नियुक्ति, यदि कोई हो :

कंपनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

v. बोर्ड की बैठकों की संख्या :

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान संचालक मंडल की पाँच (5) बैठकें हुईं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिन दिनांकों पर बैठकें हुईं, वे हैं—22 अप्रैल 2022, 06 जुलाई 2022, 22 सितंबर 2022, 27 दिसंबर, 2022 एवं 17 मार्च 2023।
3 जुलाई, 2023 को हुई बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया गया।

24. संचालक मंडल की समितियाँ :

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार, संचालक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निवेश समिति का गठन किया है। समितियों का विवरण इस प्रकार है :

समिति	31/03/2023 को समिति सदस्य	प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार सदस्य	पदनाम	बैठकों की संख्या
लेखा परीक्षा समिति	श्री डी.बी. पाटिल सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	श्री डी.बी. पाटिल सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	अध्यक्ष	1 (एक) बैठक दिनांक 15.06.2022
	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के नामित	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के नामित	सदस्य	
	श्री अजय शर्मा संचालक (परियोजना), एमपीएमआरसीएल	श्री अजय शर्मा संचालक (परियोजना), एमपीएमआरसीएल	सदस्य	
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	श्री नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष	2 (दो) बैठकें दिनांक 13.06.2022 एवं 16.01.2023
	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी), भारत सरकार के नामित	श्री ओ.एच. पांडे संचालक (विद्युत), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी), भारत सरकार के नामित	सदस्य	
	श्री मनीष सिंह प्रबंध संचालक, एमपीएमआरसीएल	श्री मनीष सिंह प्रबंध संचालक, एमपीएमआरसीएल	सदस्य	

निवेश समिति	श्री मनीष सिंह प्रबंध संचालक, एमपीएमआरसीएल	श्री मनीष सिंह प्रबंध संचालक, एमपीएमआरसीएल	अध्यक्ष	1 (एक) बैठक दिनांक 29.08.2022
	श्री अजय शर्मा संचालक (परियोजना), एमपीएमआरसीएल	श्री अजय शर्मा संचालक (परियोजना), एमपीएमआरसीएल	सदस्य	
	श्रीमती नीति कोठारी संचालक (वित्त), एमपीएमआरसीएल	श्रीमती नीति कोठारी संचालक (वित्त), एमपीएमआरसीएल	सदस्य	

25. शेयरधारकों की शिकायत समिति :

एमपीएमआरसीएल एक सरकारी कंपनी है, वर्तमान में कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत 50:50 के अनुपात में भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन के पास है। शेयरधारक संख्या में 10 हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत शेयर धारकों की न्यूनतम संख्या का अनुपालन करने के लिए किया गया है। इसलिए कंपनी को शिकायत का कोई कारण नहीं दिखता और उसने शेयरधारकों की शिकायत समिति का गठन नहीं किया है।

26. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

27. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण :

- रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा,
- किसी व्यक्ति या अन्य कॉर्पोरेट निकाय को कोई ऋण नहीं दिया गया;
- किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई; तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय की प्रतिभूतियाँ, सदस्यता, क्रय या अन्यथा माध्यम से प्राप्त नहीं की गई।

28. संबंधित पार्टी लेनदेन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

29. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर प्रावधान एमपीएमआरसीएल पर लागू होते हैं, लेकिन पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक है, कंपनी को सीएसआर पर अनिवार्य रूप से कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

30. जोखिम प्रबंधन :

कंपनी की परियोजनाएं निर्माणाधीन चरण में हैं एवं भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए सामान्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। सामान्य सलाहकार निरंतर आधार पर जोखिम को समझता है और उसका मूल्यांकन करता है और अपने अवलोकन को नियमित रूप से प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर कंपनी द्वारा जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

31. मानव संसाधन प्रबंधन :

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 89 है। एमपीएमआरसीएल ने हमेशा माना है कि उसके कर्मचारी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं और कंपनी के विकास के लिए प्रेरित हैं। कंपनी नियमित रूप से कर्मचारियों के लिए विभिन्न लाभकारी नीतियों को लागू करके कर्मचारियों की भलाई के लिए पहल कर रही है। औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण थे और कंपनी के मानव संसाधन कंपनी के आकार, प्रकृति और संचालन के अनुरूप थे।

32. कार्यालयीन भाषा :

एमपीएमआरसीएल ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं।

33. कंपनी की वेबसाइट :

कंपनी की वेबसाइट www.mpmetrorail.com है और इसे हाल ही में नया रूप दिया गया है। परियोजना, निविदाएं, अनुबंध, नौकरी, भर्ती प्रक्रिया और परिणाम आदि सहित कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी समय-समय पर वेबसाइट पर पोस्ट की जा रही है।

34. सूचना का अधिकार :

एमपीएमआरसीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू किया है, इसमें 01 लोक सूचना अधिकारी और 01 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं जो संगठन के विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों की देखभाल करते हैं, 15 आरटीआई आवेदन और 3 अपीलें प्राप्त हुईं और जिनका निपटारा कर दिया गया है।

35. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न :

एमपीएमआरसीएल महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण और उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यकारी और गैर-कार्यकारी महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत समितियाँ मौजूद हैं जिनमें एक बाहरी सदस्य होता है जिसके पास महिला कल्याण के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होता है। वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर कामगार/कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया।

36. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही :

वित्तीय वर्ष के अंत में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत वर्ष के दौरान कोई आवेदन नहीं किया गया और कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

37. संचालकों का उत्तरदायित्व विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (सी) में संदर्भित संचालकों के उत्तरदायित्व कथन के अनुसार, यह कहा गया है कि :

ए) वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

बी) संचालकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू कर निर्णय लिए और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि, वित्तीय वर्ष के अंत में उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि; कंपनी के काम-काज की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

सी) संचालकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा

अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी थी;

डी) संचालकों ने वार्षिक लेखाओं को निरंतर संस्था के आधार पर तैयार कराया था; तथा

ई) संचालकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

38. अभिस्वीकृति :

- बोर्ड, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन, निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए उनका आभार अभिलेखों पर रखता है।
- बोर्ड, भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए वित्त पोषण एजेंसियों का भी आभारी है।
- बोर्ड, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकर्स विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों, सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और आपूर्तिकर्ताओं को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए वास्तविक धन्यवाद देता है।
- बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए अपनी गहरी सराहना दर्ज करना चाहता है और आने वाले वर्षों में कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनाने के लिए उत्साह और समर्पण के साथ उनकी सेवाओं के लिए तत्पर है।

बोर्ड के आदेश से

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

स्थान : भोपाल
दिनांक: 26.09.2023

हस्ताक्षर कृत—/
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव
एफसीएस : 7847

हस्ताक्षर कृत—/
(नीति कोठारी)
संचालक (वित्त) एंड
सीएफओ
डीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत—/
(मनीष सिंह)
प्रबंध संचालक
डीआईएन : 05277748

फॉर्म नं. एमजीटी 9

31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति में वार्षिक विवरणी का सारांश
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,
2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

1.	सी आई एन	U75100MP2015SGC034434
2.	रजिस्ट्रेशन दिनांक	09 जुलाई 2015
3.	कंपनी का नाम	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	मेट्रो रेल परिवहन सेवा
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कार्यालय भवन, कालीबाड़ी रोड, बीएचईएल, सेक्टर ए, बरखेडा भोपाल-462022
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान करने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियाँ बताई जाएंगी)

स.क्र.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	शहरी और उप-शहरी मेट्रो रेलवे परिवहन सेवाएं	99641112	100

III. होल्डिंग, सहयोगी और सहायक कंपनियों का विवरण –

स.क्र.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन	"होल्डिंग/सहायक/सहयोगी"	शेयर रखने का प्रतिशत	लागू योग्य धारा
1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल का विश्लेषण)

I) श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या (01 अप्रैल, 2022 तक)			कुल शेयर्स का प्रतिशत	वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या (31 मार्च, 2023 तक)			कुल शेयर्स का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमैट	भौतिक	कुल		डीमैट	भौतिक	कुल		
ए. संस्थापक (1) भारतीय									-
ए) व्यक्तिगत / एययूएफ									
बी) केन्द्र सरकार भारत के राष्ट्रपति	=	604000000	604000000	50%	=	604000000	604000000	50%	
सी) राज्य सरकार	=	604000000	604000000	50%	=	604000000	604000000	50%	
डी) / निगमित निकाय									
ई) बैंक / वित्तीय संस्थान									
एफ) कोई अन्य									
उप-जोड़ (1) (1)	=	1208000000	1208000000	100%	=	1208000000	1208000000	100%	-
(2) विदेशी									
ए) अनिचारी-व्यक्ति									
बी) अन्य-व्यक्ति									
सी) निगमित निकाय									
डी) बैंक / वित्तीय संस्थान									
ई) कोई अन्य									
उप-जोड़ (ए) (1)(2)									
योग संस्थापक की शेयरधारिता (ए) = (ए) (1)+(ए) (2)	=	1208000000	1208000000	100%	=	1208000000	1208000000	100%	

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या (01 अप्रैल, 2022 तक)			वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या (31 मार्च, 2023 तक)					वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का प्रतिशत	
बी) सार्वजनिक (1) शेयरधारिता संस्थान ए) म्यूचुअल फण्ड बी) बैंक / वित्तीय संस्थान सी) केन्द्रीय सरकार डी) राज्य सरकार ई) उद्यम कैपिटल फण्ड एफ) बीमा कंपनियाँ जी) एफ आई आई एस एच) विदेशी उद्यम पूंजी निधि आई) अन्य (उल्लेख करें) उप-जोड़ (बी) (1):									
(2) गैर- संस्थान ए) निगमित निकाय i) भारतीय ii) विदेशी बी) व्यक्तिगत i) व्यक्तिगत शेयरधारक सांकेतिक शेयर पूंजी रु. 1 लाख तक ii) 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयरधारक									

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में रखे गए शेयर्स की संख्या (01 अप्रैल, 2022 तक)			वर्ष के अंत में रखे गए शेयर्स की संख्या (31 मार्च, 2023 तक)					वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर्स का प्रतिशत	
सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (बी) (2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी) = (बी) (1)+(बी) (2).									
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर और एडीआर के लिए धारित शेयर									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग (ए+बी+सी)	-	1208000000	1208000000	100	-	1208000000	1208000000	100	

(ii) संस्थापकों (प्रमोटर्स) की शेरधारिता –

स.क्र.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के आरंभ में शेरधारिता			वर्ष के अंत में शेरधारिता			वर्ष के दौरान शेरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	कुल शेयर्स के लिए गिरवी/भारग्रस्त शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	कुल शेयर्स के लिए गिरवी/भारग्रस्त शेयर्स का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के 10 नामित व्यक्तियों के शेयर।	1208000000	100	—	1208000000	100	—	—
	योग	1208000000	100%	—	1208000000	100%	—	—

(iii) प्रमोटर्स की शेरधारिता में परिवर्तन (निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है)

स.क्र.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेरधारिता		वर्ष के दौरान शेरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत
1	मध्य प्रदेश शासन।				
	वर्ष के आरंभ में	604000000	50%	604000000	50%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेरधारिता में वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथि-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण के लिए आवंटन/स्वीट इक्विटी आदि):				
ए	वर्ष के अंत में	604000000	50%	604000000	50%
2	भारत के राष्ट्रपति				
	वर्ष के आरंभ में	604000000	50%	604000000	50%
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेरधारिता में वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तिथि-वार वृद्धि/कमी (उदाहरण के लिए आवंटन/स्वीट इक्विटी आदि):	—	—	—	—
बी	वर्ष के अंत में	604000000	50%	604000000	—
महायोग (ए+बी)		1208000000	100%	1208000000	100%

(iv) शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स की शेयरधारिता का पैटर्न

(संचालकों, संस्थापकों और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा) : निरंक

(100% शेयर केवल प्रमोटर द्वारा ही लिए जाते हैं, अर्थात् कंपनी के पद के अनुसार क्षमता के अपने नामितों के माध्यम से म.प्र. शासन)

स.क्र.	शीर्ष दस शेयर होल्डर्स के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में				
2	शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथि वार वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए, कमी (जैसे आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)	लागू नहीं			
3	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया हो)				

(v) संचालकों एवं प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता

स.क्र.	संचालकों एवं प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संवयी शेयरधारिता	
		शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत	शेयर्स की संख्या	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	भारत के राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के 10 नामित व्यक्तियों के शेयर।			
2	शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथि वार वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए, कमी (जैसे आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
3	वर्ष के अंत में				

(V) ऋणग्रस्तता

बकाया/अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान देय नहीं।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	जमा राशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	68109.00	-	68109.00
ii) ब्याज देय किन्तु भुगतान नहीं	-	-	-	
iii) ब्याज उपाजित किन्तु देय नहीं	-	-	-	
योग (i+ii+iii)	निरंक	68109.00	निरंक	68109.00
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
(i) परियोजना	-	73475.96	-	73475.96
(ii) कमी	-	-	-	
शुद्ध परिवर्तन	निरंक	73475.96	निरंक	73475.96
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	निरंक	141584.96	निरंक	141584.96
ii) ब्याज देय किन्तु भुगतान नहीं	-	-	-	
iii) ब्याज उपाजित किन्तु देय नहीं	-	-	-	
योग (i+ii+iii)	निरंक	141584.96	निरंक	141584.96

VI. संचालकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक-

ए. प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

(राशि रुपये में)

स. क्र.	नाम पदनाम	श्रीमती छवि मारहाज प्रबंध संचालक (13 जुलाई 2022 तक)	श्री अजय शर्मा संचालक (परियोजना)	श्रीमती नीति कोठारी संचालक, (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
	डीआईएन	06499360	08644408	09608369	
1	सकल वेतन	6,99,047	44,81,028	35,22,505	87,02,580
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अधीन वेतन	6,19,341	44,81,028	33,40,885	84,41,254
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन लाभों का मूल्य	79,706	-	1,81,620	2,63,068
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन वेतन के बदले लागू	-	-	-	
2	स्टाक विकल्प	-	-	-	
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	
4	कमीशन -लाभ के प्रतिशत के रूप में -अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	30,590	-	30,590
	सहायक प्रतिपूर्ति	-	1,08,000	93,484	2,32,074
	भविष्य निधि-नियोक्ता का योगदान 12%	-	-	3,03,733	3,03,733
	एनपीएस - नियोक्ता का योगदान	79,706	-	45,405	1,25,111
	ग्रेज्युटी और पेंशन योगदान	-	6,14,031	1,27,050	7,41,081
	समय स्थानांतरण अनुदान	-	1,74,080	1,13,888	2,87,968
	जीएसएलआई-नियोक्ता योगदान	-	-	900	900
	अवकाश वेतन अंशदान	-	2,96,288	2,94,644	5,90,932
6	योग (ए)	7,78,753	57,04,017	45,01,609	1,09,84,379
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		लागू नहीं		

बी. अन्य संचालकों को पारिश्रमिक : निरंक

स.क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	संचालकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र संचालक बोर्ड/कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस (i) कमीशन (ii) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	योग (1)		
2	अन्य गैर-कार्यकारी संचालक बोर्ड/कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस (i) कमीशन (ii) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	योग (2)		
	योग बी= (1+2)		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		

सी. प्रबंध संचालक/प्रबंधक पूर्णकालिक संचालक के अलावा प्रधान प्रबंधकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक (राशि रुपये में)

स.क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रधान प्रबंधकीय कर्मचारी	
		श्री संदीप जैन कंपनी सचिव	योग
1	सकल वेतन	1822356	1822356
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	1724196	1724196
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन लाभों का मूल्य	98160	98160
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-
2	स्टाक विकल्प	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-
4	कमीशन -लाभ के प्रतिशत के रूप में -अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	भविष्य निधि-नियोक्ता का योगदान 12%	1,57,431	1,57,431
	एनपीएस - नियोक्ता का योगदान	24,540	24,540
6	योग सी	20,04,327	20,04,327

VII. शारित्तियों/दंड/अपराधों की समाप्ति (कंपाउंडिंग) :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोधित शारित्त/दंड/कंपाउंडिंग का विवरण	प्राधिकारी [आर डी/एन सीएलटी/न्यायालय]	अपील यदि की गई (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शारित्त			कोई नहीं		
दण्ड					
कंपाउंडिंग					
बी. संचालक					
शारित्त			कोई नहीं		
दण्ड					
कंपाउंडिंग					
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शारित्त			कोई नहीं		
दण्ड					
कंपाउंडिंग					

बोर्ड के आदेश से
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

स्थान : भोपाल
दिनांक : 26.09.2023

हस्ताक्षर कृत—/
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव
एफसीएस : 7847

हस्ताक्षर कृत—/
(नीति कोठारी)
संचालक (वित्त) एंड
सीएफओ
डीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत—/
(मनीष सिंह)
प्रबंध संचालक
डीआईएन : 05277748

परिशिष्ट-“बी”

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा 10 जुलाई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया जाना बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के संपादित परिकलन से गुजरे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

प्रकटीकरण पर टिप्पणी

1. भारत सरकार ने जनवरी 2023 में ₹ 200 करोड़ और मार्च 2023 में ₹ 42.78 करोड़ की निधि कंपनी में इक्विटी अंशदान के लिए आवंटित की है और मध्य प्रदेश शासन से अप्रैल 2023 और मई 2023 में क्रमशः ₹ 142.78 करोड़ एवं ₹ 100 करोड़ की इक्विटी का समरूपी अंश प्राप्त हुआ था। चूंकि, म.प्र. शासन द्वारा लेखों के अनुमोदन की दिनांक (जुलाई 2023) से पहले इक्विटी प्रदान की गई थी, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण तथ्य होने के नाते लेखों के नोट्स में प्रकट किया जाना चाहिए था।

प्रबंधन का उत्तर

निधि आवंटन आदेश के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि यह निधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए म.प्र. मेट्रो रेल परियोजना के निष्पादन के लिए स्वीकृत की गई है।

इक्विटी निधि जारी करना एक नियमित प्रक्रिया है जबकि भारत सरकार और म.प्र. शासन द्वारा अपने वार्षिक बजट के माध्यम से निधियाँ आवंटित की जाती हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को उसकी प्राप्ति के वर्ष में बैलेंस शीट में दर्शाया गया है। चूंकि उक्त लेनदेन मेट्रो उद्योग के संदर्भ में नियमित प्रकृति के हैं, इसलिए उनका वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता/पाठक के निर्णयों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, इसका अलग से प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

हालांकि, इस संबंध में प्रकटीकरण निर्देशकों की रिपोर्ट में हुआ है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

2. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट ए बिंदु (i) (सी) में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी संपत्ति संस्थापक, निदेशक, संस्थापक के रिश्तेदार या निदेशक और निदेशक के संस्थापक के कर्मचारी के नाम पर नहीं है। हालाँकि, लेखों के अतिरिक्त नोट्स के बिंदु 17 के अनुसार 12 संपत्तियों का शीर्षक विलेख संस्थापक के रूप में म.प्र. शहरी विकास एवं आवास विभाग, म.प्र. शासन के नाम पर रखा गया था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट उस सीमा तक अपर्याप्त है।

प्रबंधन का उत्तर

वैधानिक लेखा परीक्षक के अनुसार मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण ऐसा हुआ। इसके अलावा प्रबंधन ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन की आवश्यकता के अनुसार लेखों में अतिरिक्त नोट संख्या 17 में जानकारी का प्रकटीकरण किया है। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अचल संपत्ति संस्थापक के नाम पर है। इस प्रकार वित्तीय विवरण के सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

हालाँकि, वैधानिक लेखा परीक्षक ने एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है और ऑडिट रिपोर्ट का मसौदा तैयार करते समय अधिक सतर्क रहने का आश्वासन भी दिया है।

बोर्ड के आदेश से
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

स्थान: भोपाल
दिनांक: 26.09.2023

हस्ताक्षर कृत—/
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव
एफसीएस : 7847

हस्ताक्षर कृत—/
(नीति कोठारी)
संचालक (वित्त) एंड
सीएफओ
डीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत—/
(मनीष सिंह)
प्रबंध संचालक
डीआईएन : 05277748

परिशिष्ट-“सी”

फॉर्म नं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार और

कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9}

प्रति,

सदस्य,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दूसरी मंजिल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लिमिटेड कार्यालय भवन,

कालीबाड़ी रोड, बीएचईएल, सेक्टर ए, बरखेड़ा

मोपाल एमपी 462022 आईएन

सीआईएन: U75100MP2015SGC034434

हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा प्रवर्तित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से संचालित की गयी थी जो हमें कॉर्पोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान कर सके।

कंपनी का संचालक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के मामलों के लिए उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी वर्ष के दौरान किए गए अनुपालनों की नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा करने की है। हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, भरे गए रिटर्न एवं फार्म और कंपनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए हमारे सत्यापन के आधार पर ऐसी विधियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है। हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन कंपनी के पास उस सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-प्रणाली है।

हमने, 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा संधारित की गई पुस्तकों, दस्तावेजों कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न के प्रावधानों के अनुसार की है :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और उसके नियम;
- (iii) मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 और उसके नियम, और
- (iv) कंपनी का मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदनों के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने सामान्यतया ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मानकों,

दिशा-निर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है :

- i. विभिन्न वैधानिक रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों का संधारण कर उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- ii. कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक फॉर्मर्स, रिटर्न्स, दस्तावेज और संकल्प फाइल करना;
- iii. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कंपनी रजिस्ट्रार को दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- iv. संचालकों को बोर्ड और विभिन्न समितियों की बैठकों की सूचना देना;
- v. संचालकों और संचालकों की सभी समितियों की बैठकें आयोजित करना;
- vi. 22 सितंबर, 2023 को आयोजित 7वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना दी और आयोजन किया;
- vii. बोर्ड की बैठकों, समिति और सदस्यों की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त जारी करना;
- viii. जहां कहीं आवश्यक हो, संचालक मंडल, संचालकों की समिति, सदस्यों और शासकीय प्राधिकारियों का अनुमोदन लेना;
- ix. संचालक मंडल का गठन, संचालकों की समितियों और संचालकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति करना;
- x. संचालकों और प्रबंध संचालक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना;
- xi. सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक देना;
- xii. कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण, निर्गम एवं आवंटन करना;
- xiii. पंजीकृत कार्यालय और कंपनी के नाम एवं संपर्क का प्रकाशन करना;
- xiv. संचालक मंडल की रिपोर्ट तैयार करना;
- xv. कंपनी की निधियों का निवेश करना;
- xvi. सामान्य रूप से, अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधान और उसके तहत नियमों का पालन करना;
- xvii. हमारी राय में, कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है और लागू वैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, लागू सचिवीय मानकों, आदि का अनुपालन किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है और कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत निर्धारित है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

- i. संचालकों ने अनुबंधों और व्यवस्थाओं में हितों और चिंताओं अन्य कंपनियों एवं अन्य इकाइयों में शेरधारिता और संचालक के रूप में प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;
- ii. कंपनी ने जहां भी आवश्यक हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं;
- iii. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के तहत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई मुकदमा प्रारंभ नहीं हुआ था या कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।

- iv समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए संचालक मंडल की संरचना में परिवर्तन कंपनी अधिनियम के अनुरूप भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन शहरी विकास और आवास विभाग के आदेशों के अनुपालन में किए गए थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान :

मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के मध्य 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम के साथ कंपनी की स्थिति एक शासकीय कंपनी के रूप में बनी हुई है। इसके अलावा, हमारा विचार है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 (कंपनी को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कार्य) के लागू प्रावधानों का अनुपालन करने में नियमित है।

- i कंपनी द्वारा संचारित विभिन्न अभिलेखों के अवलोकन से इस तथ्य की जांच की गई है कि इस आशय का अनुपालन किया गया है।
- ii समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के संचालक मंडल का विधिवत गठन किया गया था और संचालकों की नियुक्ति और समाप्ति कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित सरकारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। कंपनी ने सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्न दृष्टांत नहीं थे :

- (i) शेयर्स/डिविडेंड्स/स्वीट इक्विटी का सार्वजनिक निर्गम।
- (ii) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी-क्रय।
- (iii) विलय/समामेलन/पुनर्निर्माण आदि।
- (iv) विदेशी तकनीकी सहयोग।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित दृष्टांत थे:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक का आयोजन

वर्ष के दौरान कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 22 सितंबर, 2022 को वार्षिक आम बैठक आयोजित की और सदस्यों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संचालकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनाया।

दिनांक : 14 / 08 / 2023

नीलेश गुप्ता एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर कृत/—

सी.एस. नीलेश गुप्ता

प्रोपराइटर

सीपी नं. 6846

सदस्यता क्र. एफसीएस :6381

यूडीआईन : F006381E000802242

प्रति,

सदस्यगण,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

द्वितीय तल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय भवन,

कालीबाड़ी रोड, बीएचईएल, सेक्टर ए, बरखेड़ा,

भोपाल म.प्र. 462022 आईएन

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

1. यह कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि वह सचिवीय अभिलेख संधारित करे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित हैं।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

2. हमारा उत्तरदायित्व सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा संधारित इन सचिवीय अभिलेखों, पालन किए गए मानकों और प्रक्रियाओं पर राय व्यक्त करना है।
3. हमें विश्वास है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी, हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
4. जहां कभी भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

अस्वीकरण

5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के काम-काज का संचालन किया है।
6. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखों की पुस्तकों की यथार्थता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

दिनांक 14/08/2023

नीलेश गुप्ता एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर कृत/—
सी.एस. नीलेश गुप्ता
प्रोपराइटर
सीपी नं. 6846

सदस्यता क्र. एफसीएस: 6381



क्रमांक: वाणिज्य/MPMRCL/लेखा/2022-23/जा 235 दिनांक: 22/9/23



SAI2

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

Indian Audit & Accounts Department

Email: agaumadhyanpradesh1@cag.gov.in



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन,
झांसी रोड, ग्वालियर-474002

Office of the Principal Accountant General
(Audit-I), Madhya Pradesh, Audit Bhawan,
Jhansi Road, Gwalior-474002

प्रति

प्रबंध संचालक

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

2nd फ्लोर, स्मार्ट सिटी ऑफिस बिल्डिंग,

कालबाड़ी रोड , भेल , सेक्टर - A, बेरखेड़ा, भोपाल - 462022

विषय : मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं, जिसे आप संचालको के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक लेखों में प्रकाशित करें। वार्षिक लेखे विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 5 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

उपमहालेखाकार /प.एम.जी.-IV

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002,

दूरभाष: 0751-2323504, 2323505, 2436827, फ़ैक्स: 0751-2631290

Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002

Telephone: 0751-2323504, 2323505, 2436827, Fax: 0751-2631290

Email: agaumadhyanpradesh1@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10 July 2023.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

Comments on Disclosure

1. The Government of India has allocated fund of ₹200 crore on January 2023 and ₹42.78 crore on March 2023 for equity contribution to the Company and the GoMP matching share of equity of ₹142.78 crore and ₹100 crore was received in April, 2023 and May, 2023 respectively. Since the equity was provided by GoMP before the date of approval of Accounts (July 2023), the same should have been disclosed in Notes of Accounts, being a material fact.

Comments on Auditors' Report

2. In Annexure A point (i) (c) of the Independent Auditors' Report it is mentioned that none of the properties are in the name of promotor, director, relative of promotor or director and employee of the promotor or director. However, as per additional Notes to Accounts point no. 17, the title deed of the 12 properties were

held in the name of MP Urban Development Housing Department, GoMP as a promotor. Thus, Independent Auditors' Reports is deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



Principal Accountant General (Audit-I)
Madhya Pradesh

Place: Gwalior

Date: 22/09/2023

ए.के.बी.जैन एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ए.बी. हाउस
ई-2/318, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016
☎ : 0755-2420163, 2420319

प्रति,
संचालक (वित्त),
म.प्र. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भोपाल।

विषय : स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट-ए के बिंदु क्रमांक (i) (सी) के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में आपके ध्यान में लाया जाना है कि स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट-ए के बिंदु क्रमांक (i) (सी) में टंकण की त्रुटि के कारण यह तथ्य कि "आगे, इन संपत्तियों का स्वामित्व संस्थापक के नाम पर है" के बजाय "इनमें से किसी भी संपत्ति का आगे का शीर्षक संस्थापक, संचालक, संस्थापक या संचालक के रिश्तेदार और संचालक के संस्थापक के कर्मचारी के नाम पर नहीं है" के रूप में टाइप किया गया है।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे द्वारा लेखों के अतिरिक्त नोट्स के नोट नंबर 17 का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें इस तथ्य का सही प्रकटीकरण किया गया है कि शीर्षक संस्थापक के नाम पर है। इसलिए, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट-ए के बिंदु क्रमांक (i) (सी) में शब्द "इनमें से किसी भी संपत्ति का आगे का शीर्षक संस्थापक, संचालक, संस्थापक के रिश्तेदार या संचालक के संस्थापक के कर्मचारी के नाम पर नहीं है" को "इन संपत्तियों का आगे का शीर्षक संस्थापक के नाम पर है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

आगे, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते समय अधिक सतर्क रहने का आश्वासन देते हैं।

कृपया उपरोक्त बात को ध्यान में रखें और आवश्यक कार्यवाही करें।

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.-003904सी

(हस्ताक्षरकृत/—)


पवन धरमदासानी

(भागीदार)

सदस्यता संख्या : 430739

स्थान : भोपाल

दिनांक : 14.08.2023



ए.के.बी. जैन एंड कंपनी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ए.बी. हाउस
ई-2/318, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016
☎ : 0755-2420163, 2420319

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्यगण,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

भोपाल

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हमने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 की तुलना पत्र, और समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरणों पर नोट्स एवं इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सम्मिलित है (इसके बाद इसे "वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 यथा संशोधित ("अधिनियम") के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और सही और सटीक जानकारी देते हैं। कंपनी नियम 2015 यथासंशोधित (भारतीय लेखा मानक) के सहपठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप इसकी अन्य व्यापक आय सहित इसका लाभ, नकद प्रवाह और दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी की आवश्यक तरीके से सही और निष्पक्ष छवि देते हैं।

अभिमत का आधार

हमने संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ" अनुभाग में आगे वर्णित हैं। हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख मामले

हम संलग्न वित्तीय विवरणों के निम्नलिखित नोट्स की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

1. "लेखा नीति में परिवर्तन, लेखांकन अनुमान में परिवर्तन और त्रुटि" के संबंध में नोट संख्या 24 जिसमें कंपनी ने परिवर्तन के कारण या कंपनी द्वारा नई लेखांकन नीतियों को अपनाने के कारण पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारणों का प्रकटीकरण किया है ताकि भारतीय लेखा मानक का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
2. "प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों, और आकस्मिक संपत्तियों" के संबंध में नोट संख्या 13 जिसमें कंपनी ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए डीपीआर परामर्श शुल्क के संबंध में माननीय एमएसईएफसी, मुंबई के समक्ष लंबित मेसर्स रोहित एसोसिएट्स के साथ चल रहे विवाद का प्रकटीकरण किया है, जिनके वित्तीय प्रभाव का विवाद के निपटारे तक पता नहीं लगाया जा सकता है।

ऊपर उल्लिखित सभी मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य जानकारी

कंपनी का संचालक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तव में गलत बताई गई प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का गलत विवरण दिया गया है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए सुशासन प्रभार के साथ प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का संचालक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 की उपधारा (5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह के लिए निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक सहित अधिनियम की धारा 133, सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 यथा संशोधित के अंतर्गत अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन का सही सत्य एवं सुस्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संघारण एवं गबन व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग; निर्णय लेना तथा तर्कसंगत और विवेकपूर्ण अनुमान लगाना; और आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन व संघारण, जो कि सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित थे, सत्य एवं सुस्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करने वाले और वस्तुगत मिथ्यालेख जिसका कारण गबन अथवा त्रुटि, चाहे जो हों, से मुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से सरोकार रखने वाले उत्तरदायित्व भी सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन, कंपनी को एक निरंतर संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, निरंतर संस्था से संबंधित मामलों और निरंतर संस्था के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

संचालक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है, कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानक के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। मिथ्या विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि अलग-अलग या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यवसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और क्रियान्वित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण का पता नहीं लगाने के जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या कथन या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा निरंतर संस्था के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं से संबंधित कोई अर्थपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या ऐसी स्थितियों जो एक निरंतर संस्था के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष ऑडिटर की रिपोर्ट की दिनांक तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी निरंतर संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से वर्णन करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति उपलब्ध होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, शासन के प्रभारी लोगों के साथ लेखा परीक्षा का समय, नियोजित दायरा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक विवरण भी प्रदाय करते हैं जिन पर शासन का प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी रिशतों और अन्य मामलों के बारे में सूचित किया है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, जहां संबंधित सुरक्षा उपाय लागू होते हैं।

भौतिकता, वित्तीय विवरणों में गलत कथनों का परिमाण है, जो अलग-अलग या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्वपूर्णता एवं गुणात्मक कारकों पर ध्यान रखते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जिनको विधि या नियमन सार्वजनिक करने से नहीं रोकता हो; अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में एक मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक लाभ अधिक होने की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 द्वारा अपेक्षित है उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण "परिशिष्ट ए" में संलग्न करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिसका अनुपालन "परिशिष्ट-बी" में किया गया है।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - ए) हमने सभी जानकारियों और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
 - बी) हमारी राय में कंपनी में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - सी) तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट में व्यवहार में लाए गए लेखों की पुस्तकों से मिलान करता है;
 - डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133, सहपठित संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - ई) भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान, शासकीय कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

एफ) इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के "परिशिष्ट सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

जी) भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं; और

एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

(ए) प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है (वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों से संबंधित नोट संख्या 13 देखें)।

(बी) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हो।

(सी) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

(डी)

(i) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के लेखों के नोट्स में प्रकट किए गए के अलावा, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को या उसमें कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा;

(ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी इकाई सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है ("वित्त पोषक पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान नहीं की गई है;

(iii) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) के तहत दिया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण सम्मिलित है।

(ई) कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

(एफ) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखों की पुस्तकें बनाए रखने के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल 2023 से कंपनी पर लागू है। और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 003904सी

हस्ताक्षर कृत /—

पवन धर्मदासानी

(भागीदार)

एम.नं. : 430739

स्थान : भोपाल

दिनांक : 10.07.2023

UDIN : 23430739BGVWP12580

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ए

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के पैराग्राफ "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" में संदर्भित।

(i)

(ए)

(ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पूरा विवरण, मात्रात्मक विवरण और स्थिति दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाकर रखे हैं।

(बी) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, अतः यह धारा लागू नहीं होती।

(बी) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके अनुसार प्रबंधन द्वारा गठित आंतरिक टीम द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है। हमें प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई विसंगतियाँ नहीं देखी गईं।

(सी) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सामने प्रस्तुत रिकॉर्ड की जांच के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख तुलन पत्र की तारीख को कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

संपत्ति का विवरण	संपत्ति की संख्या	क्षेत्र	31.03.2023 तक सकल ब्लॉक (लाख रुपये में)
पीपीई- फ्रीहोल्ड भूमि	12	67.0466 हेक्टेयर	491.42

कंपनी द्वारा इन संपत्तियों का अधिग्रहण कंपनी की स्थापना के बाद से अलग-अलग तारीखों में किया गया है। इसके अलावा, इनमें से किसी भी संपत्ति का शीर्षक संस्थापक, संचालक, संस्थापक के रिश्तेदार या निदेशक और निदेशक के संस्थापक के कर्मचारी के नाम पर नहीं है (अधिक जानकारी के लिए लेखों के अतिरिक्त नोट्स की नोट संख्या 17 को देखें)।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संपत्ति संयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 और उसके तहत बनाये गये नियम के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii)

(ए) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। अतः यह धारा लागू नहीं होती।

(बी) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा नहीं है। अतः यह धारा लागू नहीं होती।

(iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, कंपनी ने फर्मों सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को ऋण या गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए, उप-क्लाज (ए), (बी),

- (सी), (डी), (ई) और (एफ) लागू नहीं हैं।
- (iv) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत आने वाले पक्षों को कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
- (v) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा, कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
- (vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और जैसा कि स्पष्ट किया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- (vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर उपयुक्त प्राधिकारियों को अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है।
- हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं था।
- (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के अंत में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य वैधानिक देय के संबंध में कोई भी विवादित राशि बकाया नहीं थी।
- (viii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के लेखों की पुस्तकों में कोई भी लेनदेन अलिखित नहीं पाया गया, जिसका आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकटीकरण किया गया हो।
- (ix)
- (ए) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और निरूपण के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (सी) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान टर्म लोन के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।
- (डी) हमें दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी फंड का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

- (ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम के तहत परिभाषित अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
- (एफ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है।
- (x)
- (ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश की यह धारा लागू नहीं होती है।
- (बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, यह धारा लागू नहीं है।
- (xi)
- (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, न तो धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आया है और न ही कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नोटिस किया या रिपोर्ट किया, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे मामले की सूचना दी गई है।
- (बी) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में हमारे द्वारा दर्ज नहीं की गई है।
- (सी) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर (क्सलब्लोअर) से शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 के तहत परिभाषित किया गया है। तदनुसार, उप-क्लाजेज सहित यह क्लाज लागू नहीं है।
- (xiii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ।
- (xiv)
- (ए) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है, आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति को छोड़कर जो निगम द्वारा की गई गतिविधि के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।
- (बी) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स को ध्यान में रखा है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने संचालकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। इसलिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi)
- (ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।


- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।
- (सी) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। अतः यह क्लाज़ एव उप-क्लाज़ (डी) लागू नहीं होता है।
- (xvii) कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं और यह कार्यान्वयन चरण में है, इस प्रकार, नकद घाटे के संबंध में इस खंड के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं उस पर लागू नहीं होती हैं।
- (xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार इस क्लाज़ के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xix) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, कालप्रभाव और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी के आधार पर बोर्ड के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी देनदारियों, जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- तथापि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है और आगे हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की दिनांक तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि सभी तुलन पत्र की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय देनदारियां, कंपनी द्वारा देय होने पर चुकाई जाएगी।
- (xx) यह कंपनी, अधिनियम की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर आती है। हालांकि, कंपनी के पास सकारात्मक औसत शुद्ध लाभ नहीं है जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित है, इसलिए कंपनी को सीएसआर के लिए कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह क्लाज़ और उप-क्लाज़ लागू नहीं है।
- (xxi) क्लाज़ 3(xxii) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं हैं। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त क्लाज़ के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 003904सी

हस्ताक्षर कृत/—
पवन धर्मदासानी
(भागीदार)
एम.नं. : 430739

स्थान : भोपाल
दिनांक : 10.07.2023

UDIN : 23430739BGVWP12580



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट-बी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" संक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 3 में संदर्भित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 5 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

- क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकित लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ लेखों की प्रामाणिकता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।
 - कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। सॉफ्टवेयर पासवर्ड से सुरक्षित है और ऐसे सॉफ्टवेयर तक पहुँचने का अधिकार केवल अधिकृत व्यक्ति के पास है।
 - संचालित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन-लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है। तदनुसार, लेखों की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/अग्रिमों/ब्याज आदि को माफ करने/बड़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो उसके निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होते हैं)।
 - प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हमारे सामने प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि ऋणों की कोई पुनर्रचना नहीं की गयी है।
- क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं (अनुदान/सब्सिडी) के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।
 - प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हमें प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि म.प्र.शासन और भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उचित लेखांकन किया गया है और स्वीकृति के नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है।
- क्या कंपनी ने अपने स्वामित्व वाली बेकार भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। क्या कंपनी की किसी भूमि पर अतिक्रमण है, मुकदमा चल रहा है, उपयोग में नहीं लाया गया है या अधिशेष घोषित किया गया है? विवरण उपलब्ध कराया जा सकता है।
 - प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के कब्जे वाली भूमि बाधाओं से मुक्त है और उसकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।
- क्या सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान के लिए प्रचलित प्रणाली सरकार के दिशा-निर्देशों/नीतियों के अनुरूप है? यदि कोई विचलन हो तो टिप्पणी करें।
 - प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर, हम रिपोर्ट

करते हैं कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान के लिए प्रचलित प्रणाली सरकार के दिशा-निर्देशों/नीतियों के अनुरूप है। इसके अलावा, वर्तमान में कोई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएँ आरंभ नहीं की गई हैं।

6. क्या अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन की तुलना में कार्य के निष्पादन की निगरानी के लिए प्रणाली अस्तित्व में है और लागत वृद्धि, यदि कोई हो, अनुबंधों से होने वाले राजस्व/हानियों आदि का प्रभाव उचित रूप से लेखा पुस्तकों में लिया गया है।

- प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हमारे सामने प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कार्य के निष्पादन के लिए माइलस्टोन की निगरानी के लिए प्रणाली लागू है यानी कंपनी में सामान्य सलाहकार के अलावा कार्य के निष्पादन की निगरानी के लिए विभिन्न स्तर के विशेषज्ञ अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा, चूंकि वित्त वर्ष में कोई अनुबंध बंद नहीं हुआ है, तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुबंधों से कोई हानियाँ नहीं हुई हैं।

7. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हमारे सामने प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि मध्यप्रदेश शासन और भारत सरकार से प्राप्त धन का उचित लेखांकन किया गया है और परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है।

8. क्या बैंक गारंटियों का समय पर पुनर्वैधीकरण किया गया है?

- प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हमारे सामने प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि जहां भी आवश्यक हो, सभी बैंक गारंटियों को समय पर पुनः वैध कर दिया गया है।

9. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, सावधि जमा, बैंक खाते और प्राप्त नकदी के शेष की पुष्टि पर टिप्पणी करें।

- प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि सावधि जमा सहित बैंक खातों की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। 31.03.2023 तक कोई व्यापार देय/प्राप्य/हस्तगत नकद नहीं है।

10. परित्यक्त परियोजनाओं पर व्यय की गई लागत की मात्रा निर्धारित की जा सकती है और वास्तव में अपलिखित की गई राशि का उल्लेख किया जाएगा।

- प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और हमारे सामने प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया है।

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 003904सी

हस्ताक्षर कृत/—

पवन धर्मदासानी

(भागीदार)

एम.नं. : 430739

स्थान : भोपाल

दिनांक : 10.07.2023

UDIN : 23430739BGVWP12580



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट-सी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ 4(एफ) में संदर्भित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ हमने उस दिनांक को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर भारत के चार्टर्ड एंकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने सहित रोकथाम और इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और संधारण कर लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना सम्मिलित है जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत के चार्टर्ड एंकाउंटेंट्स की संस्था द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट (वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा) और लेखा परीक्षा पर मानक के अनुसार संचालित की है, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (10) के तहत निर्धारित माने जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और संधारित किए गये थे और इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, जोखिम का आकलन करना कि क्या महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान है, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, परिचालन और प्रभावशीलता का परीक्षण करना और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण कथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का आकलन सम्मिलित हैं।

हमें विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा के साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है जो कि :

- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, कि उचित विस्तार से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रकृति को यथार्थ और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;
- (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन, सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किए गए हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और संचालकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलाभगत या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों पर अधिभावी होने की संभावना सहित, त्रुटि या घोखघड़ी के कारण महत्वपूर्ण विवरण त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति (डिग्री) खराब हो सकती है।

अभिमत

हमारी राय में कंपनी ने सभी मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 003904सी

हस्ताक्षर कृत /—

पवन धर्मदासानी

(भागीदार)

एम.नं. : 430739

स्थान : भोपाल

दिनांक : 10.07.2023

UDIN : 23430739BGVWP12580



मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन : U75100MP2015SGC034434
31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		नोट	31 मार्च 2023 की स्थिति	31 मार्च 2022 की स्थिति
	परिसंपत्तियाँ			
(1)	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(ए)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3,3ए	1,353.87	1,464.23
(बी)	प्रगतिरत पूजागत कार्य	4	1,96,713.35	70,030.08
(सी)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) निवेश		-	-
	(ii) प्राप्त व्यापार		-	-
	(iii) ऋण		-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	40.21	37.58
(डी)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	7	449.09	111.44
(ई)	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	6	46,123.23	15,308.15
	योग गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		2,44,679.75	86,951.48
(2)	चालू परिसंपत्तियाँ			
(ए)	इन्वेन्ट्रीज		-	-
(बी)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ		-	-
	(i) निवेश		-	-
	(ii) प्राप्त व्यापार		-	-
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	9	11,562.97	1,12,078.36
	(iv) नकद और नकद समतुल्य	10	60,000.00	-
	(v) ऋण		-	-
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	2,753.36	487.38
(सी)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	8	253.19	19.51
(डी)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6	832.89	19.71
	योग चालू परिसंपत्तियाँ		75,402.39	1,12,602.96
	योग परिसंपत्तियाँ		3,20,082.14	1,99,554.44
	इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1)	इक्विटी			
(ए)	इक्विटी शेयर पूंजी	11	1,20,800.00	1,20,800.00

(बी)	अन्य इक्विटी	12	24,208.83	(410.89)
	योग इक्विटी		1,45,008.83	1,20,389.11
	देनदारियाँ			
(2)	गैर-चालू देनदारियाँ			
(ए)	वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) उधार	13	1,41,564.96	68,109.00
	(ii) भुगतान योग्य व्यवसाय		-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	14	2,269.84	3,981.59
(सी)	प्राक्धान	16	68.59	-
(डी)	आन्वयित कर देनदारियाँ (मुद्द)		-	-
(ई)	अन्य गैर चालू देनदारियाँ			-
	योग गैर चालू देनदारियाँ		1,43,823.39	72,090.59
(3)	चालू देनदारियाँ			
(ए)	वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) उधार		-	-
	(ii) भुगतान योग्य व्यवसाय		-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	14	29,193.84	6,511.45
(बी)	अन्य चालू देनदारियाँ	15	1,899.34	563.29
(सी)	प्राक्धान	16	56.74	-
(डी)	चालू कर देनदारियाँ (मुद्द)		-	-
	योग चालू देनदारियाँ		31,149.92	7,074.74
	योग इक्विटी एवं देनदारियाँ		3,20,082.14	1,99,554.44

महत्वपूर्ण झेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स 1 से 22 संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं

हमारी सम विधि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ए.के.बी. जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.नं.-003904सी

हस्ताक्षर कृत/-
पवन धर्मदासाजी
भागीदार
सदस्यता क्र.-430739
स्थान : भोपाल
दिनांक : 10.07.2023

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हस्ताक्षर कृत/-
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव
एफसीएस : 7847
हस्ताक्षर कृत/-
(नीति कोठारी)
संचालक (वित्त) एंड सीएफओ
सीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत/-
(नीरज मंडलोई)
संचालक
सीआईएन : 02037213
हस्ताक्षर कृत/-
(मनीष सिंह)
प्रबंध संचालक
सीआईएन : 05277748

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(₹ लाख में)

स.क्र.	विवरण	नोट	31 मार्च 2023 की स्थिति	31 मार्च 2022 की स्थिति
I	परिचालन से राजस्व		-	-
II	अन्य आय	17	3,681.99	1,766.04
III	योग राजस्व (i+ii)		3,681.99	1,766.04
IV	व्यय :			
	परिचालन व्यय		-	-
	इन्वेंट्री में सप्लाई		-	-
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	18	1,314.54	344.79
	अन्य व्यय	19	1,624.86	832.52
	विशेष लागत	20	60.76	30.62
	मूल्यांकन एवं परिकल्पना व्यय	3,3ए	220.79	129.52
	योग व्यय (iv)		3,220.99	1,337.45
V	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)		461.00	428.59
VI	असाधारण मदें	21	-	113.49
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		461.00	315.10
VIII	कर व्यय :			
	(1) चालू कर		456.93	51.03
	(2) आलापित कर		(337.65)	(98.18)
IX	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		341.72	362.25
X	अन्य व्यापक आय			
ए (i)	मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
ए (ii)	उन मदों से संबंधित अवकाश जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
बी (i)	मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-

स.क्र.	विवरण	नोट	31 मार्च 2023 की स्थिति	31 मार्च 2022 की स्थिति
बी (ii)	उन मर्दानों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
XI	अवधि के लिए योग्य व्यापक आय (EX+X) जिसमें लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल हैं)		341.72	362.25
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल	22	0.03	0.10
	(2) डायव्जिडेंड		0.03	0.10

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

1 से 22

संलग्न नोट्स विवरणों का एक अभिन्न अंग है।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.आर.न.-003904सी

हस्ताक्षर कृत /-
 (संदीप जैन)
 कंपनी सचिव
 एफसीएस : 7847

हस्ताक्षर कृत /-
 (नीति कोठारी)
 संचालक (वित्त) एंड सीएफओ
 डीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत /-
 पवन धर्मदासानी
 भागीदार
 सदस्यता क्र.-430739
 स्थान : भोपाल
 दिनांक : 10.07.2023

हस्ताक्षर कृत /-
 (नीरज मंडलोई)
 संचालक
 डीआईएन : 02037213

हस्ताक्षर कृत /-
 (मनीष सिंह)
 प्रबंध संचालक
 डीआईएन : 05277748

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U75100MP2015SGC034434

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
ए.परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कराधान एवं असाधारण मदों के बाद शुद्ध लाभ	461.00		315.10	
समायोजन के लिए- मूल्यहास	220.79		129.52	
वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज कम करना	(2.62)		(1.18)	
एफडीआर पर ब्याज	(3,002.53)		(1,512.81)	
(संपत्ति की बिक्री पर (लाभ)/ हानि	(0.01)		—	
विदेशी मुद्रा (लाभ)/ हानि	(1.54)		—	
अपलिखित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	0.17		—	
वित्तीय लगाव	60.78		30.62	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		(2,263.96)		(1,038.75)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन				
इन्वेंट्रीज	—		—	
व्यापार प्राप्तियां	—		—	
ग्रहण और अन्य परिसंपत्तियां	(1,196.01)		(15.07)	
देय व्यापार	—		—	
प्राप्तधान और अन्य देनदारियां	22,538.83		(20,042.11)	
		21,342.82		(26,057.18)
परिचालनों से सृजित नकद प्रवाह		19,078.86		(27,095.93)
टैक्स	(690.62)	(690.62)	24.98	24.98
परिचालन गतिविधियों से (में प्रयुक्त) शुद्ध नकद प्रवाह		18,388.24		(27,070.95)
बी.निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
पूंजीगत अधिन	(30,819.28)		(11,838.08)	
अचल संपत्तियों का क्रय/प्रगति में पूंजीकार्य	(1,26,794.40)		(41,770.14)	
संपत्ति का निपटान	0.52		—	
परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि)	0.91		—	
(परिकल्पना) सावधि जमा की विमुक्ति	(50,000.00)		—	
विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	1.54		—	
एफडीआर पर प्राप्त ब्याज	1,123.60		1,025.43	

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकद प्रवाह	(2,18,488.01)	(62,582.79)
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पुत्री और शेयर एक्सीक्यूटिव मनी में वृद्धि	24,278.00	86,582.00
दीर्घकालिक ऋण से आय	73,475.96	61,106.00
पट्टे देनदारियों का मूल भुगतान	(105.80)	(49.27)
पट्टे की देनदारियों पर व्याज का भुगतान	(60.78)	(30.62)
पट्टे की देनदारियों के अलावा भुगतान किया गया व्याज		
वित्तीय गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) से शुद्ध नकद प्रवाह	97,586.38	1,46,697.11
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(1,00,513.39)	67,043.37
अवधि के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	1,12,076.36	45,032.99
अवधि के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	11,562.97	1,12,076.36

नोट: नकद प्रवाह का उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के नियम 4 और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 7 विवरण में निर्धारित किया गया है।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफ.आर.न.-003904सी

हस्ताक्षर कृत/-
 (संदीप जैन)
 कंपनी सचिव
 एफसीएस : 7847

हस्ताक्षर कृत/-
 (नीति कोठारी)
 संचालक (वित्त) एंड सीएफओ
 डीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत/-
 पवन धर्मदासानी
 भागीदार
 सदस्यता क्र.-430739
 स्थान : भोपाल
 दिनांक : 10.07.2023

हस्ताक्षर कृत/-
 (नीरज मंडलोई)
 संचालक
 डीआईएन : 02037213

हस्ताक्षर कृत/-
 (मनीष सिंह)
 प्रबंध संचालक
 डीआईएन:05277748

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन U75100MP2015SGC034434

31 मार्च 2023 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	वर्ष 2022-23 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	1,20,800.00	—	1,20,800.00

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	वर्ष 2021-22 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2022 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	35,218.00	85,582.00	1,20,800.00

बी. अन्य इक्विटी

31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	आयटन के लिए उचित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित निधि और आधिस्य प्रतिस्तरित आय	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	योग
1 अप्रैल, 2022 तक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	—	(410.89)	—	(410.89)
शेयर आवेदन राशि प्राप्त/शेयर आवंटित	24,278.00	—	—	24,278.00
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (ए)	—	341.72	—	341.72
अन्य व्यापक आय (बी)	—	—	—	—
वर्ष के लिए योग व्यापक आय समावोजन	—	341.72	—	341.72
31 मार्च 2023 को समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि	24,278.00	(69.17)	—	24,208.83

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	आयटन के लिए उचित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित निधि और आधिस्य प्रतिस्तरित आय	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	योग
1 अप्रैल, 2021 तक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	—	(773.14)	—	(773.14)
शेयर आवेदन राशि प्राप्त/शेयर आवंटित	—	—	—	—
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (ए)	—	362.25	—	362.25
अन्य व्यापक आय (बी)	—	—	—	—

विवरण	आवदन के लिए दत्तित शेष आवेदन राशि	आवृत्त विधि और आधिक्य प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय (डीआईएन)	योग
धर्म के लिए योग्य व्यापक आय	—	362.25		362.25
समावोजन	—	—	—	—
31 मार्च 2022 को समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि	—	(410.89)	—	(410.89)

हमारी तम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

संचालक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.न.-003904सी

हस्ताक्षर कृत/-
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव
एफसीएस : 7847

हस्ताक्षर कृत/-
(नीति कोठारी)
संचालक (वित्त) एंड सीएफओ
डीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत/-
पवन धर्मदासानी
भागीदार
सदस्यता क्र.-430739
स्थान : भोपाल
दिनांक : 10.07.2023

हस्ताक्षर कृत/-
(नीरज मंडलोई)
संचालक
डीआईएन : 02037213

हस्ताक्षर कृत/-
(मनीष सिंह)
प्रबंध संचालक
डीआईएन:05277748

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स
नोट 3: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (स्वामित्व वाली)

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	1 अप्रैल, 2022 को	अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान निपटान/कटौतियाँ	31 मार्च, 2023 की रिशति	1 अप्रैल, 2022 को	अवधि के लिए	निपटान पर मूल्यहास	31 मार्च, 2023 की रिशति	31 मार्च, 2022 की रिशति
भूमि	472.02	19.40	-	491.42	-	-	-	491.42	472.02
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	203.62	18.04	0.63	220.83	91.26	32.50	0.65	97.72	112.56
कंप्यूटर और प्रिंटर	60.51	45.66	0.94	106.53	36.82	24.81	0.42	44.32	23.89
कार्यालय उपकरण	47.54	21.97	-	69.51	36.30	8.56	-	24.66	11.24
बैंकड्रॉल सेंट	-	6.06	-	6.06	-	2.00	-	4.06	-
योग	783.99	111.13	1.77	893.35	164.38	67.87	1.07	662.17	619.61

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास/परिशोधन		नेट ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2023 को	अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान निपटान/कटौतियाँ	अवधि के लिए ग्लानि	31 मार्च, 2022 की रिशति	31 मार्च, 2021 की रिशति
भूमि	-	472.02	-	-	-	-
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	203.62	-	-	39.24	91.26	112.36

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यदास/परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2021 को	अवधि के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान निपटान/कटौतियाँ	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को	अवधि के लिए	निपटान पर मूल्यदास	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
कंप्यूटर और प्रिंटर	34.74	26.07	-	60.81	27.91	8.91	-	36.82	23.89	6.83
कार्यालय उपकरण	37.22	10.32	-	47.54	27.83	8.47	-	36.30	11.24	9.39
मोबाइल सेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	275.58	508.41	-	783.99	107.76	56.62	-	154.38	619.51	167.82

व्याख्यात्मक नोट

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.5 के अनुसार विभिन्न राज्य सरकार के राज्य/अधिगृहीत भूमि पार्सल का लेखांकन नाममात्र मूल्य पर किया गया है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान प्राप्त भूमि पार्सल को नाममात्र मूल्य पर मान्यता दी गई है और एसडी को तदनुसृत प्रभाव दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारतीय लेखा मानक 6 के अनुसार, भूमि और एसडी में 4 रुपये की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा लेखांकन नीति के अनुसार आर एंड आर की लागत को भूमि की लागत में जोड़ा गया है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान किए गए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) को भूमि में मान्यता दी गई है और इसी लिए प्रगति में वृद्धि कार्य / अग्रिम को

19.40 लाख रुपये का प्रभाव दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार भूमि में रुचक 472.02 लाख की वृद्धि और प्रगति में पूंजी कार्य / अग्रिम में 472.02 लाख रुपये की कमी हुई है।

एमपीएमआरसीएल के नाम पर रखी गई अचल संपत्तियों के स्वाभिव्यक्ति विलेख - शून्य

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 3 ए संपत्ति संयंत्र और उपकरण (संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार)

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सकल वहन राशि		
प्रारंभिक शेष	917.52	—
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	917.52
निपटान	—	—
सकल वहन राशि	917.52	917.52
संचित मूल्यहास एवं परिशोधन		
प्रारंभिक शेष	72.90	—
वर्ष के दौरान प्रभारित परिशोधन	152.92	72.90
निपटान	—	—
संचित मूल्यहास एवं परिशोधन	225.82	72.90
शुद्ध वहन राशि	691.70	844.62

व्याख्यात्मक नोट :

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाया है जहां परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार पट्टा दायित्व के बराबर है। कंपनी ने अपने पट्टों पर मानक लागू किया है जिसके अनुसार पट्टे की व्यवस्था को पट्टा अनुबंध की तारीख से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार पिछली अवधि की जानकारी पुनः बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप लेखा नीति संख्या 2.17 के संदर्भ में ₹ 917.52 लाख की संपत्ति के उपयोग के अधिकार और ₹ 917.52 लाख की पट्टा देयता को परिशोधन व्यय और पट्टे की देनदारी पर वित्त लागत को लाभ और हानि के विवरण में प्रारंभिक रूप से मान्यता दी गई है।

नोट 4 : प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2022 को	अवधि के दौरान परिवर्तन/समायोजन	योग	वर्ष के दौरान पूंजीकृत/अंतरित	31.03.2023 को
प्रगतिरत पूंजीकार्य –सिविल संरचना एवं भवन	48,395.05	80,157.81	1,28,552.86	—	1,28,552.86
प्रगतिरत पूंजीकार्य –स्थायी रास्ता	—	3,787.65	3,787.65	—	3,787.65
प्रगतिरत पूंजीकार्य –निर्माण के दौरान व्यय	21,835.03	9,496.94	31,131.97	—	31,131.97
प्रगतिरत पूंजीकार्य – रोलिंग स्टॉक	—	6,271.93	6,271.93	—	6,271.93
प्रगतिरत पूंजीकार्य –ट्रेक्शन और पावर	—	23,409.54	23,409.54	—	23,409.54
प्रगतिरत पूंजीकार्य – सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम	—	2,320.65	2,320.65	—	2,320.65
*निर्माण स्टोर	—	1,238.75	1,238.75	—	1,238.75
योग	70,030.08	1,26,683.27	1,96,713.35	—	1,96,713.35

*रु.1178 36 लाख के निर्माण भंडार (पिछले वर्ष-शून्य) ठेकेदारों के पास पड़े हैं.

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को	अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	योग	वर्ष के दौरान पूंजीकृत/अंतरित	31.03.2022 को
प्रगतिरत पूंजीकार्य –सिविल संरचना एवं भवन	11,391.97	37,003.08	48,395.05	—	48,395.05
प्रगतिरत पूंजीकार्य –निर्माण के दौरान व्यय	18,293.89	3,341.14	21,635.03	—	21,635.03
योग	29,685.86	40,344.22	70,030.08	—	70,030.08

व्याख्यात्मक नोट:

भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार ₹ 1205.88 लाख की उधार लागत ब्याज आय को वर्ष के दौरान प्रगतिरत पूंजीकार्य में अंतरित कर दिया गया है (पिछले वर्ष ₹ 344.03 लाख)।

प्रगतिरत पूंजीकार्य की कालक्रम अनुसूची

प्रगतिरत पूंजीकार्य—भोपाल

(₹ लाख में)

प्रगति पर परियोजना विवरण	एक अवधि के लिए प्रगतिरत पूंजीकार्य में राशि				31.03.2023 को योग प्रगतिरत पूंजी कार्य
	> 3 वर्ष	2 से 3 वर्ष	1से 2 वर्ष	< 1 वर्ष	
प्रगतिरत पूंजीकार्य –सिविल संरचना एवं भवन	3,286.94	7,658.24	16,112.49	16,507.00	43,564.67
प्रगतिरत पूंजीकार्य –स्थायी रास्ता	—	—	—	784.86	784.86
प्रगतिरत पूंजीकार्य –निर्माण के दौरान व्यय	3,394.24	2,687.12	4,138.48	8,884.53	19,104.37
प्रगतिरत पूंजीकार्य –शेल्डिंग स्टॉक	—	—	—	3,256.57	3,256.57
प्रगतिरत पूंजीकार्य –ट्रेक्शन और पावर	—	—	—	9,113.29	9,113.29
प्रगतिरत पूंजीकार्य –सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम	—	—	—	1,162.21	1,162.21
*निर्माण स्टोर	—	—	—	60.38	60.38
सकल योग (परियोजना प्रगति पर)	6,681.18	10,345.36	20,250.97	39,768.84	77,046.35
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—

प्रगतिरत पूँजीकार्य-इन्दौर

(₹.लाख में)

प्रगति पर परियोजना विवरण	एक अवधि के लिए प्रगतिरत पूँजीकार्य में राशि				31.03.2023 को योग प्रगतिरत पूँजी कार्य
	> 3 वर्ष	2 से 3 वर्ष	1 से 2 वर्ष	< 1 वर्ष	
प्रगतिरत पूँजीकार्य –सिविल संरचना एवं भवन	1,338.84	4,749.03	15,249.50	63,650.81	84,988.18
प्रगतिरत पूँजीकार्य –स्थायी रास्ता	—	—	—	3,002.79	3,002.79
प्रगतिरत पूँजीकार्य –निर्माण के दौरान व्यय	3,667.78	2,903.67	4,843.75	612.41	12,027.61
प्रगतिरत पूँजीकार्य –रोलिंग स्टॉक	—	—	—	3,015.36	3,015.36
प्रगतिरत पूँजीकार्य –ट्रेक्शन और पावर	—	—	—	14,296.25	14,296.25
प्रगतिरत पूँजीकार्य –सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम	—	—	—	1,158.45	1,158.45
*निर्माण स्टोर	—	—	—	1,178.36	1,178.36
सकल योग (प्रगति पर परियोजना)	5,006.62	7,652.70	20,093.25	86,914.43	1,19,667.00
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
5	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	सुरक्षा जमा राशि	40.21	50.05	37.58	—
	एफडी, स्वीप एफडी पर अर्जित व्याज, लेकिन देय नहीं	—	2,366.31	—	487.38
	बचत खाता	—	—	—	—
*	अन्य	—	1.00	—	—
	भारत सरकार से प्राप्य अनुदान	—	335.99	—	—
	योग	40.21	2,753.35	37.58	487.38

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
6	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	पूजीगत अग्रिम				
	बैंक गारंटी के विरुद्ध ढंकेदार को अग्रिम (सुरक्षित और अच्छा माना गया है)।				
	मतिशीलन अग्रिम (असुरक्षित और अच्छा माना गया है)।	41,434.32	—	10,362.43	—
**	पूजीगत व्यय के लिए अग्रिम	4,877.41	—	4,930.01	—
	अन्य अग्रिम	—	2.83	—	2.13
***	डिफाजिट	—	811.15	—	—
	प्रीपेड व्यय	0.84	15.86	2.01	14.55
	उचित मूल्यांकन के कारण विलंबित लागत:				
	प्रीपेड किराया व्यय	10.66	3.04	13.70	3.03
	योग	46,123.23	832.88	15,308.15	19.71

* सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्य

** पूजीगत व्यय के लिए शासकीय निकायों/प्राधिकरणों/रेलवे को दिया गया अग्रिम

***एमपीपीकेवीवीसीएल के पास ₹ 811.16 लाख की जमा राशि को ऊर्जा खपत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
7	आस्थगित कर परिसंपत्तियों (शुद्ध) वर्ष की शुरुआत में	111.44	13.26
	लाम और हानि के विवरण के लिए प्रभारित / (क्रेडिट)	337.65	98.18
	योग	449.09	111.44

व्याख्यात्मक नोट :

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियों बनाने वाली मदों पर कर प्रभाव		
आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र, उपकरण का मूल्य वहन करना	264.56	222.73
पुस्तकों के अनुसार मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र, उपकरण का वहन मूल्य	170.75	147.58
उप-जोड़ (डीटीए)	93.80	75.15
कर्मचारी लाम के लिए प्रावधान (डीटीए)	70.95	—
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (डीटीए) के वहन मूल्य में अंतर	1,549.90	344.03
पट्टा परिसंपत्तियों का वहन मूल्य (डीटीएल)	691.70	844.62
पट्टा दायित्व का वहन मूल्य (डीटीए)	761.46	868.25
शुद्ध मूल्य	1,784.41	442.81
कर दर	25.17%	25.17%
योग आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	449.09	111.45

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
8	चालू कर संपत्ति		
	वर्ष के दौरान प्रावधान	456.93	51.03
	टीडीएस सहित चालू अग्रिम कर	710.12	70.54
	योग	253.19	19.51

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022
9	नकद और नकद समकक्ष हस्तगत नकदी बैंकों के मास शेष (चालू/स्वीप/बचत एवं एफडीआर) तीन माह से कम की परिपक्वता वाले डिपॉजिट	11,562.97	1,12,076.36
	योग	11,562.97	1,12,076.36

(₹.लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022
10	नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष 3 माह से अधिक की मूल परिपक्वता और 12 महीने के भीतर परिपक्व होने वाली जमा राशि	60,000.00	—
	योग	60,000.00	—

उपरोक्त में अप्रयुक्त इविपटी योगदान शामिल है।

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
		शेयर्स की संख्या	भारतीय मुद्रा में रुपये	शेयर्स की संख्या	भारतीय मुद्रा में रुपये
11 ए	शेयर पूंजी अधिकृत रुपये 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर।	5,00,00,00,000	50,00,00,00,000	5,00,00,00,000	50,00,00,00,000
	रुपये 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर वरीयता शेयर।	-	-	-	-
		शेयर्स की संख्या	लाख रु. में	शेयर्स की संख्या	लाख रु. में
	जारी, अभिदत्त और पूर्ण भुगतान रुपये 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर।				
	प्रदत्त शेयर पूंजी (भारत सरकार)	60,40,00,000	60,400	60,40,00,000	60,400
	प्रदत्त शेयर पूंजी (मध्यप्रदेश शासन)	60,40,00,000	60,400	60,40,00,000	60,400
		1,20,80,00,000	1,20,800	1,20,80,00,000	1,20,800
बी	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान नीचे दिया गया है:	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		शेयर्स की संख्या	लाख रु. में	शेयर्स की संख्या	लाख रु. में
	अवधि के आरंभ में बकाया शेयरों की संख्या	1,20,80,00,000	1,20,800	35,21,80,000	35,218
	जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-	-	85,58,20,000	85,582
	अवधि के अंत में बकाया शेयर्स की संख्या	1,20,80,00,000	1,20,800	1,20,80,00,000	1,20,800
सी	इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार				
	i) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य प्रति शेयर 10/- रुपये है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है				
	ii) कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।				
	iii) प्रत्येक शेयरधारक को संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है और यह आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।				
	कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले इक्विटी शेयरधारकों का विवरण				
डी		31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	प्रवर्तकों/शेयरधारकों के नाम	शेयर्स की संख्या	%	शेयर्स की संख्या	%
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	60,39,99,995	49.999	60,39,99,995	49.999
	भारत के राष्ट्रपति	60,39,99,995	49.999	60,39,99,995	49.999
इसके अलावा, 5 शेयर भारत सरकार के नामितियों के पास हैं और 5 शेयर एमपीएमआरसीएल में उनके पद के आधार पर म.प्र. शासन के नामितों के पास हैं।					

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
12	अन्य इग्विटी		
	प्रतिधारित आय		
	वर्ष के आरंभ में अधिशेष	(410.89)	(773.14)
	वर्ष के दौरान लाभ/हानि	341.72	362.25
	वर्ष के दौरान अंतरण		
	योग	(69.17)	(410.89)
	आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि		
	प्रारंभिक शेष राशि		
	भारत सरकार		
	मध्यप्रदेश शासन	—	—
	वर्ष के दौरान प्राप्त धन	—	—
	भारत सरकार	24,278.00	—
	मध्यप्रदेश शासन	—	—
	अंत शेष		
	भारत सरकार	24,278.00	—
	मध्यप्रदेश शासन	—	—
	योग	24,208.83	(410.89)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का भाग बनने वाले नोट्स

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
13	उधार				
	भारत सरकार से ऋण (पीटीए)	45,522.00	—	30,728.00	—
	दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता	—	—	—	—
	ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण				
	करों के लिए भारत सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	19,863.00	—	11,181.00	—
	करों के लिए म.प्र. शासन से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	35,990.00	—	1,200.00	—
	भूमि के लिए म.प्र. शासन से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	20,000.00	—	20,000.00	—
	आईडीसी के लिए म.प्र. शासन से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	20,209.96	—	5,000.00	—
	योग	1,41,584.96	—	68,109.00	—

व्याख्यात्मक नोट :

भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण ब्याज वाले बाहरी उधारों के पुनर्भुगतान के बाद चुकाए जाने योग्य हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए गए ऋण/अधीनस्थ ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर हैं जिन पर ऐसे ऋण अन्य मेट्रो परियोजनाओं को प्रदान किए जाते हैं और इसलिए उन्हें उचित मूल्य पर माना गया है।

यूरोपीय निवेश बैंक के विरुद्ध भारत सरकार से ब्याज वाले ऋण में भोपाल परियोजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त 455.22 करोड़ रुपये शामिल हैं, लेकिन यह राशि ईआईबी से भारत सरकार को जारी नहीं की गई है। इसलिए ऋण की शर्तें अज्ञात हैं यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) ने 20 दिसंबर 2019 और 8 दिसंबर 2022 को क्रमशः 250 मिलियन यूरो और 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भारत सरकार के ईआईबी ऋणों से पासबुक असिस्टेंस (पीटीए) के रूप में सकल बजटीय संसाधनों के माध्यम से एमपीएमआरसीएल को उपलब्ध कराए जाने हैं, वे सार्वभौम ऋण हैं और इसलिए भारत सरकार कार्यों के निष्पादन के लिए पीटीए की व्यवस्था कर रही है। तथापि, ईआईबी द्वारा भारत सरकार को कोई संवितरण नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 तक भारत सरकार ने भोपाल परियोजना के निष्पादन के लिए एमपीएमआरसीएल को पीटीए मद के तहत ₹. 455.22 करोड़ जारी किए। उक्त पीटीए को उधार के अंतर्गत गैर चालू देनदारियों के रूप में दिखाया गया है। ईआईबी और कंपनी के बीच परियोजना अनुबंध पर मार्च 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
14	अन्य वित्तीय देनदारियां				
	ब्यानों राशि जमा	—	375.67	—	16.59
##	म.प्र. शासन से अनुदान	1,635.06	—	1,825.23	—
	भारत सरकार से अनुदान	—	—	136.49	—
#	प्रतिधारण / जमा	—	6,480.57	1,258.42	—
	ठेकेदारों को देय (प्रगतिरत पूंजीगत कार्य)	—	21,499.18	—	5,810.90
	अन्य देय	—	711.75	—	577.16
	पट्टा दायित्व	634.78	126.67	761.45	106.80
	योग	2,269.84	29,193.84	3,981.59	6,511.45

चूंकि परियोजनाएं निष्पादन चरण में हैं, इसलिए प्रतिधारण राशि का भुगतान कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही किया जाएगा। तथापि, सुरक्षा जमा, प्रतिधारण राशि के बदले बैंक गारंटी स्वीकार करने के संबंध में निविदा क्लॉज के अनुसार ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की राशि से कटौती की गई प्रतिधारण राशि को चालू वर्ष में अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

शासकीय/गैर-शासकीय या अन्य प्राधिकरणों से अनुदान को अन्य वित्तीय देनदारियों (गैर-चालू) के तहत "अनुदान" के रूप में दिखाया गया है, इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान शेष के पूर्ण मूल्य की छपत के लिए कोई परिभाषित योजना नहीं है।

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
15	अन्य देनदारियाँ				
	अन्य वैधानिक बकाया:	—	—	—	—
	चस्तु एवं सेवा कर	—	614.92	—	57.21
	स्रोत पर आयकर कटौती	—	1,046.27	—	468.74
	श्रम उत्पन्न	—	237.50	—	36.97
	वृत्ति कर	—	0.38	—	0.37
	आयकर देय	—	0.27	—	—
	योग		1,899.34		563.29

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
16	प्राक्धान				
	कर्मचारी लाभ के लिए				
	अवकाश नकदीकरण प्राक्धान	27.63	23.40	—	—
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा	10.24	—	—	—
	कर्मचारी टर्मिनल लाभ	30.72	33.34	—	—
	योग	68.59	56.74	—	—

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
17	अन्य आय		
	ब्याज आय	4,208.41	1,856.84
	घटाए : निर्माण के दौरान व्यय	(1,205.88)	(344.03)
	बैंक जमा से ब्याज आय	3,002.53	1,512.81
	निविदा फार्म का विक्रय	9.32	30.13
	संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.01	—
	अन्य आय	4.87	4.68
	उचित मूल्यांकन पर आय (एसडी पर ब्याज की छूट)	2.62	1.18
	अनुदान	662.64	217.24
	योग	3,681.99	1,766.04
17.1	अन्य व्यापक आय		
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ	—	—
	अप्राप्त लाभ	—	—
	योग	—	—

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
18	कर्मचारी लाभ व्यय		
	वेतन और मजदूरी	1,206.59	318.04
	भविष्य निधि और अन्य में योगदान	107.95	28.75
	योग	1,314.54	344.79

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
19	अन्य व्यय :		
1	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	125.34	104.99
2	बैंक शुल्क	0.12	0.02
3	संचार एवं आईटी व्यय	39.72	30.23
4	परामर्श शुल्क	662.64	217.24
5	आयोजन, सेमिनार एवं प्रशिक्षण व्यय	7.48	—
6	कार्यालय एवं विविध व्यय	18.30	13.25
7	दरें एवं कर	1.97	9.35
8	कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	36.12	8.85
9	जनशक्ति नियुक्ति व्यय	122.59	83.40
10	संस्थागत सदस्यता शुल्क	16.26	15.90
11	कार्यालय किराया और बिजली व्यय	194.89	242.40
12	मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	20.41	6.19
13	स्टाम्प शुल्क	85.56	—
14	दौरा एवं यात्रा व्यय	43.04	5.16
15	वाहन किराये का व्यय	180.64	66.66
16	अभिलिखित अचल संपत्तियाँ (एफ एंड एफ)	0.17	—
17	प्रतिपूर्ति व्यय	67.16	26.98
18	लेखा-परीक्षा शुल्क	—	—
	— सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.89	0.89
	— टैक्स लेखापरीक्षा शुल्क	0.47	0.12
	— आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.89	0.89
	योग	1,624.88	832.52

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
20	वित्तीय लागत:		
	ब्याज प्रभार		
	ब्याज प्रभार की समाप्ति	60.78	30.62
	अन्य उधार की लागत	-	-
	योग	60.78	30.62

(₹ लाख में)

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
21	असाधारण मदें		
	प्रधान कार्यालय का किराया		12.06
	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को जनशक्ति व्यय की प्रतिपूर्ति		7.01
	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विजली व्यय की प्रतिपूर्ति		92.17
	शुल्क और कर		2.47
	पिछले वर्ष के अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन		(0.22)
	योग		113.49

नोट	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
22	प्रति शेयर आय (ईपीएस)		
	इन्विट्टी शेयरधारकों के कारण कर के बाद लाभ (लाखों में)	341.72	362.25
	इन्विट्टी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में) – मूल	1,20,80,00,000	36,15,58,849
	इन्विट्टी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में) – मदित	1,24,99,86,575	36,15,58,849
	प्रति शेयर इन्विट्टी का नाममात्र मूल्य (रुपये में)	10.00	10.00
	प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)	0.03	0.10
	प्रति शेयर मदित आय (रुपये में)	0.03	0.10

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेट जानकारी

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 09 जुलाई, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में शासकीय कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी की स्थापना मध्य प्रदेश शासन द्वारा 100 प्रतिशत शेरधारिता के साथ की गई थी और बाद में भोपाल और इंदौर शहर में व्यापक तीव्र पारगमन व्यवस्था (मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को लागू करने के लिए 50:50 शेरधारिता के साथ भारत सरकार और म.प्र. शासन के संयुक्त उद्यम को विशेष प्रयोजन वाहन में परिवर्तित कर दी गई थी। कंपनी को मेट्रो रेल प्रदान करके स्थायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार, इसके संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों के कार्य सौंपे गये हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं। ऐसी लेखांकन नीतियाँ इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर निरंतर लागू की गई हैं जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

2.1 अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2.2 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण कुछ संपत्तियों और देनदारियों के अपवाद के साथ जिन्हें भारतीय लेखा मानक द्वारा उचित मूल्य पर ले जाने की आवश्यकता होती है, इतिहासपरक लागत रूपांतरण के तहत तैयार किए गए हैं। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप दिनांक पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

2.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मूल लागत से संचित मूल्यह्रास और संचित निष्क्रियता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर बताए गए हैं। जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी बदले गए भाग की पहचान हटाती है, और नए भाग को उसके स्वयं के संबद्ध उपयोगी जीवन के साथ पहचानती है, तदनुसार मूल्यह्रास किया जाता है। सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, या तो निपटान पर या सक्रिय उपयोग से विरत होने पर वित्तीय विवरणों से निकाल दिए जाते हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सेवानिवृत्ति के मामले में होने वाली हानि और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से होने वाले लाभ या हानि को घटना के वर्ष में लाभ और हानि

के विवरण में मान्य किया गया है।

निक्षेप कार्यों/अनुबंधों का पूंजीकरण, निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर पूरा होने पर और इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन पर डब्ल्यूडीवी आधार पर परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया गया है। परिवर्धन/कटौती पर मूल्यहास की गणना, परिवर्धन/कटौती की अवधि के अनुपात में की जाती है।

5,000.00 रुपये या उससे कम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का भौतिक पहलू ध्यान में रखते हुए क्रय के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास/परिशोधन किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यहास प्रभारित करने के लिए परिसंपत्ति की मूल लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखकर कटौती की गई है।

कर्मचारियों को मोबाइल हैंडसेट प्रदान किये गये, उन पर बिना किसी अवशिष्ट मूल्य के तकनीकी अनुमान के आधार पर संपत्ति के उपयोगी जीवन यानी 2 वर्ष पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.4 अमूर्त संपत्ति

सॉफ्टवेयर की लागत और अन्य अमूर्त संपत्ति को तुलन पत्र में अमूर्त संपत्ति के रूप में सम्मिलित किया जाता है, जब यह संभावना होती है कि संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे। इस मामले में उन्हें आरंभ में अधिग्रहण की लागत पर मापा गया है और फिर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर डब्ल्यूडीवी आधार पर परिशोधित किया गया है। अन्य सभी लागतों को व्यय होने पर लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें वह व्यय किया गया है।

2.5 भूमि

भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए फ्रेमवर्क द्वारा आवश्यक नियंत्रण के आधार पर भूमि को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। विभिन्न शासकीय निकायों और विभागों सहित भूमि मालिकों द्वारा सौंपे गए और कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए भूमि पासल को कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय पूंजीकृत किया गया है।

बढ़ा हुआ मुआवजा यदि कोई हो, भुगतान देय होने पर दर्ज किया जाएगा क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत भूमि की लागत में जोड़ी गई है।

भूमि से संबंधित लागत या मुआवजे के लिए किए गए भुगतान, जिसमें कब्जे में लीज होल्ड भूमि भी शामिल है, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत, ध्वस्त की गई ऐसी संरचनाओं की बिक्री आय को घटाकर भूमि या लीज होल्ड भूमि की लागत के रूप में माना गया है।

अस्थायी आधार पर अधिग्रहीत भूमि के लिए किए गए भुगतान का परिशोधन भूमि के कब्जे की अवधि के दौरान किया जाता है।

विभिन्न राज्य सरकार/राज्य सरकार निकायों/विभागों से प्राप्त/अर्जित भूमि पार्सल का हिसाब-किताब नाममात्र मूल्य पर किया गया है।

परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक संरक्षण में पहचाने गए और अन्य एजेंसियों/निजी पार्टियों से प्राप्त भूमि पार्सल को अधिग्रहण लागत में शामिल किया गया है।

2.6 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

तुलन पत्र की तारीख के अनुसार स्थापना और/या निर्माण के तहत संपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के रूप में दिखाया गया है। कार्य अनुबंध के संबंध में पूंजीगत कार्य प्रगति पर है और परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है। मूल्य भिन्नता सहित दावों को स्वीकृति पर ध्यान में रखा जाता है। अंतिम बिल के निपटान पर परिसमापन हर्जाने का हिसाब लगाया जाता है और लागत से कटौती की जाती है। निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे कि ब्याज आय (इक्विटी, ब्याज मुक्त अधीनस्थ-ऋण और अनुदान के माध्यम से प्राप्त धन के अस्थायी परिनियोजन के अलावा) को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

2.7 गैर-वित्तीय संपत्तियों की निष्क्रियता- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक पर मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्ति या संपत्ति का समूह निष्क्रिय हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो किसी परिसंपत्ति की हानि की सीमा, यदि कोई हो, उसकी वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस नकद उत्पादन इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। निष्क्रियता को लाभ और हानि के विवरण में उस सीमा तक मान्य जाता है, जिस सीमा तक परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को घटाई राशि से अधिक होती है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह के आधार पर आधारित पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके चालू मूल्य पर छूट देकर बनती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिम के चालू बाजार आकलन को दर्शाता है।

यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो पूर्व लेखा अवधि में मान्य निष्क्रियता हानि को उलट दिया जाता है।

2.8 वित्त लागत

उधार लेने की लागत में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय के अंतर शामिल हैं, जिस सीमा तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन्हें ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दी जाती है।

अन्य सभी उधारी लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती हैं, जिसके लिए वे व्यय की गई हैं।

2.9 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:



- i. कच्चे माल, स्टोर और स्पेयर का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया गया है। भारत औसत के आधार पर लागत का पता लगाया गया है।
- ii. संबंधित उपरिव्यय सहित लागत पर प्रगति में कार्य।
- iii. तैयार माल और स्टॉक-इन ट्रेड का मूल्यांकन लागत या अनुमानित वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में सामग्री, श्रम और लागू उपरिव्यय प्रभार शामिल हैं।
इन्वेंटरी की लागत में क्रय की लागत, रूपांतरण की लागत और अन्य लागतें शामिल हैं, जिसमें उन्हें उनके संबंधित चालू स्थान और निर्माण की स्थिति में लाने के लिए उपरिव्यय शामिल है।
हालांकि, वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं रहती है, इसलिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं उस पर लागू नहीं होती हैं।

2.10 विदेशी मुद्रा लेनदेन

लेनदेन जो विदेशी मुद्राओं में अंकित हैं, लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए गए हैं। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
मौद्रिक मदों के निपटान या अंतरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है जिसमें ये उत्पन्न हुए हैं।

2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को, प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि लाभ, व्यवसायिक छूट, मूल्य वर्धित करों और तीसरे पक्षों की ओर से एकत्र की गई राशि को मिलाकर होती है।

कंपनी राजस्व को मान्य करती है जब राजस्व की मात्रा को दृढ़ता से मापा जा सकता है, कि भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होना संभावित है और कंपनी की प्रत्येक गतिविधियों के लिए विशिष्ट मानदंड पूरे किए गए हैं। कंपनी अपने अनुमानों को ग्राहक के प्रकार, लेनदेन के प्रकार और प्रत्येक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इतिहासपरक परिणामों के आधार पर बनाती है।

कंपनी ने अभी तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरंभ नहीं की हैं, इसलिए इस क्लोज की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

2.11.1 ब्याज आय

लंबित राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए, ब्याज को समय के अनुपात में मान्यता दी गई है।

2.11.2 अन्य आय

अन्य आय को तब मान्यता दी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.12 कर्मचारी लाभ

2.12.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह देय होने वाले सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.12.2 रोजगार के बाद के लाभ

ए) परिभाषित अंशदान योजनाएं: कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति दायित्व एक परिभाषित अंशदान योजना है। भुगतान/देय अंशदान को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। कंपनी ने अंशदान योजनाओं को परिभाषित किया है जहां कंपनी पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करती है और रोजगार के बाद के लाभों के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है।

बी) परिभाषित लाभ योजना :

ग्रेज्युटी देनदारी एक परिभाषित लाभ दायित्व है और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, बीमारी और अर्जित अवकाश के प्रति दायित्व है, जिनकी गणना बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

2.13 आय पर करों के लिए लेखांकन

आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी बहन राशियों के बीच रिपोर्टिंग दिनांक पर अस्थायी अंतर पर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित कर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है, जो उस वर्ष में प्रयुक्त होने की आशा है, जिसमें परिसंपत्ति का कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर अर्जन होता है या देयता का निपटान किया जाता है जो रिपोर्टिंग दिनांक पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं। लाभ और हानि के विवरण के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर।

आस्थगित कर मदों को या तो अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में मान्यता दी गई है। आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियाँ ऑफसेट हैं यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार चालू आयकर देनदारियों के विरुद्ध चालू कर परिसंपत्तियों का समंजन (सेट ऑफ) करने के लिए मौजूद है एवं आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकारी से संबंधित हैं।

2.14 वित्तीय साधन

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

ए) प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लेन-देन की लागतें जो सीधे तौर पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या निर्गम के कारण होती हैं, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, वे प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में समायोजित की गई हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रय और विक्रय को व्यापार दिनांक लेखांकन का उपयोग करके मान्य किया गया है।

बी) बाद की माप

तुलन पत्र की दिनांक से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इन विलेखों की अल्प परिपक्वता के कारण अग्रणीत राशि लगभग उचित मूल्य पर है।

2.14.2 वित्तीय दायित्व

ए) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर और ऋणों के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार शुद्ध लागत को मान्यता दी गई है। आवर्ती प्रकृति के शुल्क को सीधे लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के

रूप में मान्य किया गया है।

बी) बाद की माप

तुलन पत्र की दिनांक से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देयों के लिए इन विलेखों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

2.14.3 प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना निम्नानुसार की जाती है:

- i. वित्तीय संपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ जिन पर बाजार दर पर ब्याज लगता है: इन मामलों में ईआईआर साधन की ब्याज दर के बराबर है।
- ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ या वित्तीय देनदारियाँ : एसबीआई-निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) (1वर्ष)
- iii. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार (आरओयू): एसबीआई-एमसीएलआर (1वर्ष) पट्टा अनुबंध की दिनांक पर लागू होता है।

2.15 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

ए) प्रावधान उन देनदारियों के लिए मान्यता प्राप्त हैं जिन्हें केवल पर्याप्त मात्रा में अनुमान का उपयोग करके मापा जा सकता है, यदि

- (i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का चालू दायित्व है।
- (ii) संसाधनों के संभावित बहिर्वाह से दायित्व का निपटान होने की आशा है, एवं
- (iii) दायित्व की राशि का दृढ़ता से अनुमान लगाया जा सकता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों में विद्यमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

बी) एक प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति है, उसे केवल तभी मान्य किया जाता है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।

सी) आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण निम्न मामलों में किया गया है :-

- (i) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक चालू दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- (ii) एक चालू दायित्व जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है, और
- (iii) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक संभावित दायित्व जहां संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

डी) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया गया है, जहां आर्थिक लाभ की संभावना है।

ई) प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

2.16 प्रति शेयर आय

प्रति मूल शेयर आय (ईपीएस) की गणना वर्ष के दौरान बकाया साधारण शेयर्स की भारत औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को विभाजित करके की गई है। मंदित ईपीएस की गणना सामान्य इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ या हानि को समायोजित करके और सभी संभावित

मंदित साधारण शेयर्स के प्रभावों के लिए साधारण इक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या को समायोजित करके की गई है।

2.17 पट्टे

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

किसी अनुबंध की शुरुआत में कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा है या नहीं। एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध विचार के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई रेखांकित संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या :

- i. अनुबंध में एक पहचानी गई अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,
- ii. कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ होते हैं, और
- iii. कंपनी को अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे की शुरुआत की दिनांक पर, बारह महीने की अवधि वाले पट्टों या कम (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे को छोड़कर कंपनी उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति ("आरओयू") और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए संबंधित पट्टा दायित्व को मान्यता देती है, जिसमें वह एक पट्टेदार है।

अत्यावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। 1.00 करोड़ रुपये से अधिक की लीज अवधि की कुल अवधि में प्रत्येक लीज समझौते के खिलाफ देय लीज शुल्क को महत्वपूर्ण माना जाता है और तदनुसार यह मानक लागू किया गया है।

आरओयू परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर पहचाना जाता है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की दिनांक पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन शामिल होता है।

आरओयू परिसंपत्तियों को बाद में संचित मूल्यह्रास और निष्क्रियता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा गया है।

आरओयू परिसंपत्तियों को लीज अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से परिशोधन/मूल्यह्रास किया गया है।

पट्टा दायित्व को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के चालू मूल्य पर मापा गया है। पट्टे के भुगतान में आसानी से निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी गई है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग किया जाता है। बाद में पट्टे की देनदारी पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर पट्टे की देनदारी को फिर से मापा गया है और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम किया गया है।

कुछ घटनाओं के घटित होने जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्रकांक या दर में बदलाव पर पट्टे की देनदारी को फिर से मापा गया है। पुनः माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित करता है।

लीज देनदारी और आरओयू परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतान को वित्तपोषण नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पूर्ण प्रतिफल का भुगतान करके पट्टे पर प्राप्त संपत्तियों के संबंध में, लेनदेन मूल्य होने पर, ऐसी परिसंपत्तियों को लेनदेन मूल्य पर आरओयू परिसंपत्तियों के तहत शून्य पर संबंधित देयता के साथ मान्यता दी गई है। अन्य मामलों में, आरओयू परिसंपत्ति पट्टा दायित्व के बराबर है।

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि पार्सल जिसका कंपनी के पास अनंत/स्थायी कब्जा है और प्रभावी नियंत्रण भी कंपनी के पास है, इसलिए मूल्यहास/परिशोधन की आवश्यकता नहीं है।

पट्टेदाता के रूप में कंपनी:

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन पट्टे से किराये की आय, यदि कोई हो, को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर पहचाना गया है, सिवाय उस मामले को छोड़कर जहां वृद्धिशील पट्टा मुद्रास्फीति प्रभाव को दर्शाता है और ऐसे मामले में पट्टा व्यय को अवधि के लिए वार्षिक किराए के हिसाब से लेखांकित किया जाता है।

पट्टों को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टेदार को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया है। वित्त पट्टे की आय को पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर लाभ की निरंतर आवधिक दर को प्रतिबिंबित करने के लिए लेखांकन अवधि में आवंटित किया गया है।

2.18 सेग्मेंट रिपोर्टिंग – सेग्मेंट्स की पहचान

प्रबंधन की राय में, इस्टिच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी "ऑपरेटिंग सेगमेंट" पर भारतीय लेखा मानक 108 द्वारा परिकल्पित केवल एक रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय सेग्मेंट है। तदनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में सेग्मेंट रिपोर्टिंग के लिए अलग से कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भूगोल पर आधारित, विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से भारत में काम करती है और कंपनी का मानना है कि भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से संचालन में इसके जोखिम और रिटर्न में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

"प्रबंध संचालक" मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता है जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करते हैं और रणनीतिक निर्णय लेते हैं।

2.19 अनुमानों और निर्णयों का प्रयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है कि कंपनी का प्रबंधन अनुमान और धारणाएं बनाता है जो अवधि की आय और व्यय के वित्तीय विवरणों की दिनांक पर रिपोर्ट की गई राशियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई शेष राशि और आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। रिपोर्टिंग दिनांक पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन करने का एक सार्थक जोखिम है। कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए जाने पर उपलब्ध मापदंडों पर अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया है। तथापि, विद्यमान परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार में बदलाव या प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं।

2.20 पूर्व अवधि के व्यय और आय

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल कारोबार/सकल आय का 0.50% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय माना गया है।

2.21 शासकीय अनुदान

शासकीय अनुदान को मान्यता दी जाती है जहां उचित आश्वासन होता है कि अनुदान प्राप्त होगा, और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। जब अनुदान किसी व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे उन अवधियों में व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब संबंधित लागत, जिसके लिए इसका मुआवजा देने का इरादा होता है, व्यय की जाती है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित होता है, तो इसे उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के अनुपात में संबंधित परिसंपत्तियों के जीवन पर समान मात्रा में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ
2.22 लेखों के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. कंपनी का निधिकरण (फंडिंग) पैटर्न

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) को 09 जुलाई, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ के तहत शासकीय कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी की स्थापना 100% शेयरधारिता के साथ मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई थी और बाद में मेट्रो रेल प्रदान करके भोपाल और इंदौर शहर में व्यापक तीव्र पारगमन व्यवस्था (मांस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को लागू करने के लिए 50:50 शेयरहोल्डिंग के साथ भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त उद्यम को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में परिवर्तित कर दिया गया है। स्थायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार, इसके संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों के कार्यों के साथ स्वीकृत निधिकरण पैटर्न इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

स्रोत	भोपाल परियोजना	इंदौर परियोजना
भारत सरकार की इक्विटी	84,193.00	90,684.00
केंद्रीय करों के लिए भारत सरकार का अधीनस्थ ऋण	32,251.00	36,952.00
म.प्र. शासन की इक्विटी	84,193.00	90,684.00
केंद्रीय करों के लिए मध्य प्रदेश शासन का अधीनस्थ ऋण	32,251.00	36,952.00
द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण एजेंसियाँ	3,49,334.00	3,20,000.00
म.प्र. शासन द्वारा आंतरिक उधार/बांड	—	62,911.00
भूमि, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)घटक को छोड़कर कुल लागत	5,82,222.00	6,38,183.00
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) घटक	44,000.00	44,000.00
योग	6,26,222.00	6,82,183.00
भूमि के लिए म.प्र. शासन एसडी और आर एंड आर(100%)	32,160.00	32,558.00
राज्य कर (एसजीएसटी) म.प्र. शासन द्वारा वहन किया जाएगा	24,601.00	25,040.00
आईडीसी का वहन म.प्र. शासन द्वारा किया जाएगा	11,157.00	10,299.00
कुल पूर्णता लागत	6,94,140.00	7,50,080.00

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

31.03.2023 तक विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित अनुबंधों की अनुमानित राशि, जिसमें पूंजी लेखों पर निष्पादित होने के लिए ₹ 7,02,578.78 लाख की शेष अग्रिम राशि शामिल है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है।

3. अन्य प्रतिबद्धताएँ

31.03.2023 तक निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि ₹ 807.63 लाख है।

4. लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में जानकारी

(₹ लाखों में)

विवरण	2022-23 के लिए	2021-22 के लिए
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.89	0.89
टैक्स लेखापरीक्षा शुल्क	0.47	0.12
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.89	0.89

*राशियाँ कर सहित हैं।

5. कंपनी के पास बैंकों और अन्य पार्टियों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। जहां तक वित्तीय वर्ष के अंत में देय राशि और ऋण और अग्रिम का सवाल है, शेष राशि की पुष्टि के पत्र पार्टियों को भेजे गए थे। शेष राशि में से कुछ पुष्टि/पुनर्मिलान के अधीन है, समायोजन, यदि कोई हो, पुष्टि/पुनर्मिलान पर किया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में जानकारी

(₹ लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22
1	किरसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:		
	ए) मूल राशि	576.65	239.53
	बी) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ।	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
4	उपार्जित ब्याज की राशि और शेष अदत्त	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान किए जाने तक अगले वर्षों में भी बकाया और देय है।	शून्य	शून्य

पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़ों में मेसर्स रोहित एसोसिएशन सिटीज और रेल प्राइवेट लिमिटेड को देय ₹ 239.53 लाख शामिल हैं। चूंकि मामला न्यायाधीन है और 31 मार्च 2023 तक देनदारी का पता नहीं चल सका है, इसलिए ब्याज की गणना और प्रकटीकरण नहीं किया जा सका। इसके अलावा इस तथ्य का प्रकटीकरण आकस्मिक दायित्व के तहत किया गया है।

इस जानकारी का प्रकटीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत किया जाना आवश्यक है, जो कि कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित किया गया है।

7. भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक-1) "वित्तीय विवरण की प्रस्तुति" के संबंध में प्रकटीकरण

पूँजी प्रबंधन

अनुपात: कंपनियों उन सभी अनुपातों का प्रकटीकरण करेंगी जो निर्धारित हैं और नीचे दिए गए अनुपातों की गणना के लिए अंश और हर में शामिल वस्तुओं की व्याख्या करेंगी। इसके अलावा, यदि पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में कोई परिवर्तन 25% से अधिक है तो उसके लिए स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

अनुपात	अंश	हर	चालू अवधि	पिछली अवधि	% भिन्नता	भिन्नता का कारण
चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयता	2.4206	15.9162	-84.79	यह कमी मुख्य रूप से नकद और नकद समकक्ष में कमी और ठेकेदारों को देय राशि में वृद्धि के कारण है।
ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (उधार)	कुल इक्विटी (इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी)	0.9784	0.5657	72.59	उधार में वृद्धि शेयरधारकों के फंड में वृद्धि से अधिक है,
इक्विटी पर प्रतिफल	शुद्ध आय (टैक्स के बाद)	औसत शेयरधारक की इक्विटी (इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी)	0.0026	0.0047	-44.97	अंशधारी निधि में वृद्धि के कारण
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ईबीआईटी (ब्याज और कर से पहले लाभ)	पूँजी नियोजित (कुल इक्विटी और उधार)	0.0018	0.0018	-0.73	

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II द्वारा आवश्यक अन्य अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अनुपात से संबंधित कोई लेनदेन नहीं होता है।

8. भारतीय लेखा मानक-116 "पट्टों" के संबंध में प्रकटीकरण

ए) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाया है, जहां संपत्ति के उपयोग का अधिकार पट्टा दायित्व के बराबर है। कंपनी ने अपने पट्टों पर मानक लागू किया है, जिसके अनुसार पट्टे की व्यवस्था को पट्टा अनुबंध की तारीख से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, पिछली अवधि की जानकारी पुनः बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक रूप से रुपये की उपयोग-अधिकार संपत्ति को मान्यता दी गई है। लेखांकन नीति संख्या 2.17 के अनुसार ₹ 917.52 लाख और पट्टा देयता ₹ 917.52 लाख है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के लिए परिशोधन व्यय और पट्टे की देनदारी पर वित्त लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

बी) 31 मार्च 2023 को भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ लाखों में)

न्यूनतम लीज भुगतान देय	लीज भुगतान	वित्त प्रभार	शुद्ध चालू मूल्य
1 वर्ष के भीतर	179.97	53.30	126.67
1-2 वर्ष	198.18	44.43	153.75
2-3 वर्ष	208.09	33.67	174.42
3-4 वर्ष	218.49	21.46	197.03
4-5 वर्ष	117.26	7.67	109.59
5 वर्ष बाद			
योग	921.99	160.53	761.46

सी) कंपनी ने भोपाल में कार्यालय स्थान के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिया है। यह पट्टा अनुबंध पारस्परिक रूप से सहमत अवधि पर नवीकरणीय है लेकिन कम मूल्य होने पर रद्द किया जा सकता है। इसलिए, इसे कम मूल्य वाली संपत्ति के अल्पकालिक पट्टे/ कम मूल्य वाली संपत्ति के पट्टे के रूप में माना गया है।

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण

9.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

ए) भविष्य निधि

कंपनी के भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी भविष्य निधि में पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान देती है। देनदारी की पहचान प्रोदमवन आधार पर की जाती है।

बी) ग्रेच्युटी

कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, समाप्ति पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई वेतन/महंगाई भत्ता) की दर से अर्पणता या मृत्यु पर ग्रेच्युटी का हकदार है।

भारतीय लेखा मानक-19 के तहत आवश्यक जानकारी का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है और दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है।

प्रतिनियुक्त कर्मचारी के संबंध में, योगदान की गणना ऋण देने वाले संगठन/सरकार के अनुसार की गई है। भारत सरकार के नियम और संचय के आधार पर इसका लेखांकन किया गया है।

सी) अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वार्षिक रूप से क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के लिए मिलते हैं। नकदीकरण योग्य अवकाश खाते में केवल एक कैलेंडर वर्ष में सेवा के दौरान एक बार और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन (गैर-नकदयोग्य भाग और बिना रूपान्तरण के आधे वेतन अवकाश सहित) की छुट्टी भुनाई जा सकती है। इस खाते पर देनदारी बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

प्रतिनियुक्त कर्मचारी के संबंध में, योगदान की गणना प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले संगठन/सरकार के अनुसार की जाती है। भारत सरकार के नियम और संचय के आधार पर इसका लेखांकन किया जाता है।

डी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को नियमित कर्मचारी के समान दर पर भर्ती होकर (इनडोर) उपचार के लिए मान्य की जाती है।

ई) पेंशन

कंपनी के पास कर्मचारियों की पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति कोष बनाने की दिशा में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) है। यह योजना वैकल्पिक है, और कंपनी का दायित्व नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन का 2.5% भुगतान करने तक सीमित है। इस योजना का प्रबंधन एक्सिस बैंक द्वारा किया जाता है। अवधि के लिए योजना में अंशदान को संचय आधार पर कर्मचारी लागत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। प्रतिनियुक्त कर्मचारी के संबंध में योगदान की गणना प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और संचय के आधार पर इसका लेखांकन किया जाता है।

9.2 लाभ और हानि विवरण, अन्य व्यापक आय और तुलन पत्र और अन्य खुलासों में मान्यता प्राप्त विभिन्न लाभों की सारांशित स्थिति इस प्रकार है:

ए) शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व

(₹ लाखों में)

विवरण		ग्रेच्युटी (अदित्तपोषित)	अवकाश (अदित्तपोषित)	पीआरएगएफ (अदित्तपोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व	चालू वर्ष	31.81	28.90	10.24
	पिछला वर्ष	-	-	-
योजना और परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
वित्तपोषित स्थिति	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
शुद्ध परिभाषित लाभ संपत्ति / (देयताएँ)	चालू वर्ष	31.81	28.90	10.24
	पिछला वर्ष	-	-	-

(बी) परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन

(₹ लाखों में)

विवरण		ग्रेच्युटी (अदित्तपोषित)	अवकाश (अदित्तपोषित)	पीआरएगएफ (अदित्तपोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व-वर्ष की शुरुआत	वर्तमान वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	वर्तमान वर्ष	31.81	28.90	10.24
	पिछला वर्ष	-	-	-
ब्याज लागत	वर्तमान वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
लाभ का भुगतान	वर्तमान वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन और अधिग्रहण	वर्तमान वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
पुनः माप-बीमाकिक हानि / (लाभ)	वर्तमान वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
वर्ष के अंत में-परिभाषित लाभ दायित्व	वर्तमान वर्ष	31.81	28.90	10.24
	पिछला वर्ष	-	-	-

सी) लाभ और हानि विवरण में दर्शाई गई राशि

(₹ लाखों में)

विवरण	ग्रेज्युटी (अवित्तपोषित)	अवकाश (अवित्तपोषित)	पीआरएमएफ (अवित्तपोषित)	
चालू सेवा लागत	चालू वर्ष	31.81	28.90	10.24
	पिछला वर्ष	-	-	-
पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
कटौती लागत / (क्रेडिट)	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
सेवा लागत (ए)	चालू वर्ष	31.81	28.90	10.24
	पिछला वर्ष	-	-	-
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति) (बी)	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
(लाभ) / हानियों की तत्काल पहचान -अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाएं (सी)	चालू वर्ष	-	-	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
लाभ एवं हानि लेखों में मान्य लागत (ए+बी+सी)	चालू वर्ष	31.81	28.90	10.24
	पिछला वर्ष	-	-	-

डी) संवेदनशीलता विश्लेषण

(31.03.2023 को (₹ लाखों में))

मान्यता	मान्यता में परिवर्तन	ग्रेज्युटी (अवित्तपोषित)	अवकाश (अवित्तपोषित)	पीआरएमएफ (अवित्तपोषित)
छूट की दर	+0.50%	30.20	27.24	9.04
	-0.50%	33.56	30.72	11.64
वेतन वृद्धि दर	+0.50%	32.76	30.71	-
	-0.50%	30.84	27.24	-
निकासी दर	+10.00%	32.06	28.90	10.24
	-10.00%	31.53	28.90	10.24
चिकित्सा मुद्रारफीति दर	+0.50%	-	-	11.68
	-0.50%	-	-	8.99

मान्यता	मान्यता में परिवर्तन	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	अवकाश (अवित्तपोषित)	पीआरएमएफ (अवित्तपोषित)
छूट की दर	+0.50%	-	-	-
	-0.50%	-	-	-
वेतन वृद्धि दर	+0.50%	-	-	-
	-0.50%	-	-	-
निकासी दर	+10.00%	-	-	-
	-10.00%	-	-	-
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	+0.50%	-	-	-
	-0.50%	-	-	-

ई) बीमाकिक अनुमानः

(₹ लाखों में)

मान्यता		ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	अवकाश (अवित्तपोषित)	पीआरएमएफ (अवित्तपोषित)
विधि प्रयुक्त	चालू वर्ष	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट (पीयूसी) बीमाकिक विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट (पीयूसी) बीमाकिक विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट (पीयूसी) बीमाकिक विधि
	पिछला वर्ष	-	-	-
छूट की दर	चालू वर्ष	7.50%	7.50%	7.50%
	पिछला वर्ष	-	-	-
वेतन वृद्धि दर	चालू वर्ष	7.50%	7.50%	-
	पिछला वर्ष	-	-	-
निकासी दर	चालू वर्ष	4.00%	4.00%	0.00%
	पिछला वर्ष	-	-	-
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	चालू वर्ष	-	-	3.00%
	पिछला वर्ष	-	-	-

एफ) अपेक्षित लाभ मुगतान

(₹ लाखों में)

क्रमांक	मुगतान का वर्ष	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	अवकाश (अवित्तपोषित)	पीआरएमएफ (अवित्तपोषित)
1	मार्च 31,2024	1.09	1.27	-
2	मार्च 31,2025	1.13	1.31	-
3	मार्च 31,2026	1.33	3.89	-
4	मार्च 31,2027	1.37	1.26	-
5	मार्च 31,2028	2.75	2.73	-
6	मार्च 31, 2029 से मार्च 31,2033	16.37	8.89	0.75

31.03.2023 तक, कंपनी के पास कोई निधिकरण (फंडिंग) व्यवस्था नहीं थी और वह पे-एन-गो आधार पर इसका निपटान करती थी।

10. भारतीय लेखा मानक-21 के संबंध में प्रकटीकरण— “विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव”
लाभ और हानि के विवरण में जमा विनिमय अंतर की राशि (शुद्ध) ₹.1.54 लाख (पिछले वर्ष 2021-22 शून्य थी)।

11. भारतीय लेखा मानक -24 के संबंध में प्रकटीकरण— “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण”

ए) प्रमुख प्रबंधन कर्मी :

श्री मनीष सिंह, प्रबंध संचालक (12.11.2022 से)

श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रबंध संचालक (13.07.2022 से 11.11.2022 तक)

श्रीमती छवि भारद्वाज, तत्कालीन प्रबंध संचालक (13.07.2022 तक)

श्री अजय शर्मा, परियोजना संचालक (23.03.2022 से)

श्रीमती नीति कोठारी, संचालक वित्त और सीएफओ (20.05.2022 से)

श्री संदीप जैन, कंपनी सचिव

बी) प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण (₹ लाखों में)

विवरण	2022-23	2021-22
वेतन एवं भत्ते	101.65	27.35
भविष्य निधि और अन्य निधियों, ग्रेच्युटी और समूह बीमा में अंशदान	19.43	2.57
अन्य लाभ	5.21	-
योग (कर्मचारी लागत में शामिल)	126.29	29.92

उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त:

बीमाकिक मूल्यांकन पर सुनिश्चित ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और अंतिम लाभों के लिए अंशदान का प्रावधान ₹ 5.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) था।

12. भारतीय लेखा मानक- 33 के संबंध में प्रकटीकरण – प्रति शेयर आय (₹ लाखों में)

विवरण	2022-23	2021-22
लाभ और हानि विवरण के अनुसार कराधान के बाद लाभ	341.72	362.25
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:		
मूल	1,20,80,00,000	36,15,58,849
मंदित	1,24,99,86,575	36,15,58,849
प्रति शेयर मूल आय (₹)	0.0283	0.1002
(अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर)		
प्रति शेयर मंदित आय (₹)	0.0273	0.1002
(अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर)		

13. भारतीय लेखा मानक-37 "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक संपत्ति": के संबंध में प्रकटीकरण

आकस्मिक देयताएँ (₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कंपनी के विरुद्ध दावों को विदेशी मुद्रा दावे सहित ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
निर्माण	4,781.00	4,781.00
किराया	45.70	45.70
योग	4,826.70	4,826.70

आकरिमक संपत्ति : शून्य

आकरिमक देनदारियों के संबंध में प्रकटीकरण :

विवरण (मामले का विवरण)	पक्ष(1)	पक्ष(2)	विवाद की राशि	मामला दर्ज होने की तारीख	31.3.2023 की स्थिति
भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं हेतु डीपीआर परामर्श शुल्क के संबंध में	रोहित एसोसिएट्स	एमपीएम आरसीएल	₹ 4,781 लाख (5021-240)# (समाधान एमएसईएफसी, मुंबई)	डब्ल्यू पी. 1271 / 2020 (20.02.2020)	माननीय एमएसईएफसी, मुंबई के समक्ष लंबित
अपोलो टावर किराया, इंदौर	अपोलो प्रीमियर	एमपीएमआरसीएल	₹ 45.70 लाख	-	जैसा दावा किया गया है
भोपाल सिटी सर्कल के खसरा नंबर 920/1, 938, 939 और 940 और गोविंदपुरा सर्कल का खसरा नंबर 37 और 38 के तहत जमीन के विवाद के संबंध में	भोपाल गिलू एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	जिला कलेक्टर एवं अन्य (प्रतिवादी क्रमांक 3 के रूप में एमपीएम आरसीएल)		28.03.2022	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित
खसरा नंबर 208 के अंतर्गत(30.23 एकड़) बाग मकबरा शरीफ, शाहजहाँनाबाद भूमि पारसल के स्वामित्व के संबंध में	जीकाफ-ए-शाही भोपाल	एमपीएम आरसीएल		सिविल सूट नं ए-17 / 2021 (08.11.2021)	म.प्र.राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित
भारत टॉकीज से बरखोड़ी रोड के दाहिनी ओर खसरा नंबर 1187 (0.275 हेक्टेयर) और 1189 (0.975 हेक्टेयर) के तहत एक भूमि पारसल के स्वामित्व के संबंध में				सिविल सूट नं ए-18 / 2021 (08.11.2021)	

पुस्तकों के अनुसार मेसर्स रोहित एसोसिएशन सिटीज एंड रेल प्राइवेट लिमिटेड, डीपीआर सलाहकार को 31.03.2023 को ₹ 239.52 लाख का शुद्ध देय।

14. भारतीय लेखा मानक 107—“वित्तीय साधन: प्रकटीकरण”के संबंध में प्रकटीकरण

14.1 वित्तीय साधन

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधन

श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य इस प्रकार हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 तक परिशोधित लागत	31.03.2022 तक परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नोट 5 देखें)	2,793.56	524.96
नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष (नोट 10 देखें)	60,000.00	—
नकद और नकद समकक्ष (देखें नोट 9)	11,562.97	1,12,076.36
योग	74,356.53	1,12,601.32
वित्तीय देनदारियाँ		
उधार (नोट 13 देखें)	1,41,584.96	68,109.00
अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट 14 देखें)	31,463.69	10,493.04
योग	1,73,048.65	78,602.04

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप में महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर 1— समान वित्तीय साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) जिन्हें इकाई माप तिथि पर अभिगम(एक्सेस) कर सकती है।

स्तर 2— सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों के मूल्य का उचित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो प्रासंगिक अवलोकन योग्य बाजार इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करते हैं।

स्तर 3— यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार इनपुट पर आधारित नहीं है, तो साधन को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/देनदारियों जिनके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है

(₹ लाखों में)

विवरण	स्तर	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट 5 देखें)	स्तर 2	2,793.56	2,793.56	524.96	524.96
योग		2,793.56	2,793.56	524.96	524.96
वित्तीय देनदारियाँ					
अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट 14 देखें)	स्तर 2	31,463.69	31,463.69	10,493.04	10,493.04
योग		31,463.69	31,463.69	10,493.04	10,493.04

iv) उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक और प्रक्रिया

- ए) 12 महीने से कम परिपक्वता वाली वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य उचित मूल्य का द्योतक माना जाता है।
- बी) परिशोधित लागत पर ली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य छूट दर का उपयोग करके नकद प्रवाह में छूट द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे लेखांकन नीति संख्या 2.14 के अनुसार परिभाषित किया गया है।

14.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

I. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी को वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी की वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को श्रेणी के अनुसार नोट संख्या 14.1 (i) में संक्षेपित किया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। कंपनी के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है।

ए) बाजार जोखिम

कंपनी के पास बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी के पास ब्याज दर जोखिम है क्योंकि ईआईबी ऋण अनुबंध में ब्याज की परिवर्तनीय दर होती है। कंपनी के पास कोई मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

विनिमय में उतार-चढ़ाव का जोखिम भारत के बाहर से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आयात के कारण है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कोई प्रतिरक्षा साधन नहीं है।

निम्नलिखित तालिका वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है:

(31.03.2023 को ₹ लाख में)

विवरण	यूरो	यू.एस.डालर	अन्य मुद्रा	योग
नकद और नकद समकक्ष	—	—	—	—
व्यापार प्राप्तियाँ	—	—	—	—
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	—	—	—	—
व्यापार देनदारियाँ	—	—	—	—
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	66.10	1.01	—	67.11
शुद्ध संपत्ति देनदारियाँ	66.10	1.01	—	67.11

* लागू विनिमय दर ₹ 82.2368 / यू.एस.डालर और ₹ 88.9566 / यूरो

संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा की तुलना में संबंधित विदेशी मुद्राओं में 1% की वृद्धि या कमी से कर पूर्व लाभ पर ₹ 0.67 लाख का प्रभाव पड़ेगा।

विवरण	यूरो	यू.एस.डालर	अन्य मुद्रा	योग
नगद और नगद समकक्ष	—	—	—	—
व्यापार प्राप्तियाँ	—	—	—	—
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	—	—	—	—
व्यापार देनदारियाँ	—	—	—	—
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	—	—	—	—
शुद्ध परिसंपत्तियाँ / देनदारियाँ	0	0	0	0

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर डिफॉल्ट के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए सुरक्षा जमा आदि। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से होता है :

- नकद और नकद समकक्ष
- ऋण
- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

i) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में धनराशि रखकर प्रबंधित किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन है और इन बैंकिंग संबंधों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ :

अन्य वित्तीय संपत्ति जिसमें ऋण और अग्रिम शामिल हैं, को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ii) अपेक्षित ऋण हानि**परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ :**

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की वसूली की लगातार निगरानी करके किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियाँ निर्धारित सीमा के भीतर हैं। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किसी हानि का प्रावधान नहीं है। हम रिपोर्टिंग तिथियों के अनुसार उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता वाली मानते हैं।

सी) तरलता जोखिम

कंपनी की तरलता आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष, पीटीए के माध्यम से ईआईबी से दीर्घकालिक ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं। हम नकद प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और पर्याप्त नकद और नकद समकक्ष बनाए रखकर अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए शुद्ध नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी बकाया और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य व्यवहार के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रतिधारण और जमा शामिल हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और आंतरिक स्रोतों के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। गैर-चालू देनदारियों में ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण और कर्मचारी लाभ के लिए देनदारियाँ शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में विवरण प्रदान करती है। यह तालिका वित्तीय देनदारियों के नकद प्रवाह के आधार पर उस प्रारंभिक तिथि के आधार पर तैयार की गई है जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूलधन और ब्याज नकद प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(31.03.2023 को ₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
उधार (देखें नोट 13)	—	—	—	—	1,41,584.96	1,41,584.96
अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट 14 देखें)	24,860.01	4,333.82	1,963.23	306.62	—	31,463.68
सकल योग	24,860.01	4,333.82	1,963.23	306.62	1,41,584.96	1,73,048.64

(31.03.2022 को ₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
उधार (देखें नोट 13)	—	—	—	—	68,109.00	68,109.00
अन्य वित्तीय देनदारियाँ (नोट 14 देखें)	6,404.66	106.80	3,674.98	306.62	—	10,493.06
सकल योग	6,404.66	106.80	3,674.98	306.62	68,109.00	78,602.06

15 भारतीय लेखा मानक-36 – “संपत्ति की निष्क्रियता” के संबंध में प्रकटीकरण

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की हानि का आकलन किया है और वर्ष 2022-23 के दौरान कोई निष्क्रियता नहीं पाई है (पिछला वर्ष 2021-22 शून्य) ।

16 अतिरिक्त विनियामक जानकारी

- i. अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है—नोट 17 देखें
- ii. धारित बेनामी संपत्ति का विवरण—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- iii. क्या कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया है—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- iv. बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- v. कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि लंबित—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- vi. कंड़्यूट ऋण/निवेश/कंड़्यूट उधार—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- vii. आयकर अधिनियम के तहत अधोषित आय—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- viii. क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी लेनदेन का विवरण—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- ix. निवेश संपत्ति के उचित मूल्य का पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- x. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (आरओयू सहित) के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- xi. अमूर्त संपत्तियों के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)
- xii. प्रवर्तकों/संचालकों/के.म.प्र. और संबंधित पक्षों को ऋण/अग्रिम—शून्य (पिछला वर्ष—शून्य)

- xiii. चालूपरिसंपत्तियों के विरुद्ध बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार-शून्य (पिछला वर्ष-शून्य)
- xiv. कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन-शून्य (पिछला वर्ष-शून्य)
- xv. व्यवस्था की अनुमोदित योजना(योजनाओं) का अनुपालन-शून्य (पिछला वर्ष-शून्य)
- xvi. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग-शून्य (पिछला वर्ष-शून्य)
- xvii. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 और 62 लागू नहीं हैं (कॉर्पोरेट मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार)

17 अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि:

संपत्ति का विवरण	सकल बहन मूल्य (राशि ₹में)	क्षेत्र	शीर्षक विलेख के नाम पर धारित	यदि शीर्षक विलेख धारक संस्थापक संचालक या संस्थापक / संचालक का रिश्तेदार या संस्थापक / संचालक का कर्मचारी है	कौन सी दिनांक से धारित संपत्ति	टिप्पणियाँ
भोपाल						
सुभाष नगर में मेट्रो रेल डिपो भूमि	1	27.495 हे.	मध्य प्रदेश शासन (मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग)	संस्थापक	09.12.2021	प्रक्रियात्मक विलंब
सुभाष नगर डिपो के लिए अतिरिक्त भूमि	1	3.51 हे.			30.08.2022	
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) भूमि	1	1.67 हे.			23.11.2022	
एमस भूमि	1	0.0176 हे.			23.11.2022	
एमपी नगर जोन-2 में सरगम सिनेमा के सामने लैन	1	0.126 हे.			23.11.2022	
कैवी मेट्रो स्टेशन के लिए पी नगर जोन-1 में आर.बी.आई के पास लैन	1	0.405 हे.			23.11.2022	
डीआइजी बंगले के पास जमीन मेट्रो स्टेशन	1	0.85 हे.			23.11.2022	
इन्दौर						
गांधीनगर में इंदौर मेट्रो रेल डिपो की भूमि	38202490	30.17हे.	मध्य प्रदेश शासन (मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग)	संस्थापक	01.07.2021	प्रक्रियात्मक विलंब
गांधीनगर चक भूमि	1939544	0.09हे.			06.12.2022	
मआर-10 पर स्कीम नंबर 139 आईडीए की भूमि	1	0.363हे.			19.08.2021	
खजराना के पास एआईसीटीएसएल बस डिपो की आईएमसी भूमि	9000001	0.25हे.			12.11.2021	
डिपो पर गांधी नगर सोसायटी की भूमि	1	2.1 हेक्टेयर			23.12.2022	

18. म.प्र. शासन और भारत सरकार के एमओयू के संबंध में प्रकटीकरण :

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) के बीच समझौता ज्ञापन 19 अगस्त 2019 को निष्पादित किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन से ₹ 49999.96 लाख की धनराशि प्राप्त हुई और भारत सरकार (पीटीए सहित) से ₹ 47754.00 लाख प्राप्त हुए। इसमें से भारत सरकार से आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि 24278.00 लाख है।

19. भारतीय लेखा मानक 7 "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यकताओं के अनुसार नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार और प्रस्तुत किया गया है।

20. रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन वित्तीय विवरण स्वीकृत होने से पहले होने वाली घटनाओं पर विचार करने के लिए, कट ऑफ दिनांक 15.05.2023 ली गई है। इसके अलावा कंपनी के संचालक मंडल द्वारा 03.07.2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण जारी करने हेतु अनुमोदित कर दिए गए हैं।

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) प्रावधान एमपीएमआरसीएल पर लागू होते हैं, लेकिन पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक है, कंपनी को सीएसआर पर अनिवार्य रूप से कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

22. आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित किया गया है।

23. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित, पुनर्व्यवस्थित, पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

24. भारतीय लेखा मानक -8 "लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के संबंध में प्रकटीकरण :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी ने कर्मचारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट पर मूल्यहारा के लिए नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3) अपनाई है। चालू वर्ष के लिए मोबाइल सेट पर मूल्यहारा ₹ 2 लाख है।

कंपनी ने निक्षेप (जमा) कार्य/अनुबंधों के लिए नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3) अपनाई है: जमा कार्य/अनुबंधों को निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखों के विवरण के आधार पर पूरा होने पर और इसके अभाव में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निष्पादित कार्य पंजीकृत किया जाता है।

भूमि


कंपनी ने भूमि को मान्यता देने के लिए लेखांकन नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.5) अपनाई है। इसके परिणामस्वरूप नाममात्र मूल्य के रूप में भूमि और एसडी में पिछले वर्ष के लिए ₹ 4 और चालू वर्ष के लिए ₹ 8 की वृद्धि हुई है। नीति के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत भूमि की लागत में जोड़ी जाती है। तदनुसार, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के लिए भूमि में क्रमशः ₹ 472.02 लाख और ₹ 19.40 लाख की वृद्धि हुई है।

प्रगति पर पूंजीगत कार्य

कंपनी ने प्रगतिरत पूंजीगत व्यय के लिए लेखांकन नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.6) अपनाई है और भारतीय लेखा मानक -23 "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज वाले ऋण के खिलाफ पारस्परिक सहायता (पीटीए) के लिए निर्माण अवधि से संबंधित आय को प्रगतिरत पूंजीगत व्यय के अंतर्गत समायोजित किया गया है। ₹ 1205.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 344.03 लाख) की ब्याज आय को प्रगतिरत पूंजीगत व्यय मद के तहत निर्माण के दौरान व्यय में अंतरित कर दिया गया है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कंपनी ने विदेशी मुद्रा लेनदेन को पहचानने के लिए लेखांकन नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.10) अपनाई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अंतर के कारण लाभ में ₹ 1.55 लाख की वृद्धि हुई है।



कर्मचारी लाभ: रोजगार के बाद के लाभ (परिभाषित लाभ योजना)

कंपनी ने रोजगार के बाद के लाभों को मान्यता देने के लिए नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.12) अपनाई है। वर्ष के दौरान बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹ 70.95 लाख का प्रावधान किया गया है।

आय पर करों के लिए लेखांकन

कंपनी ने पॉलिस्टी (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.13) में आयकर के बारे में बताया है। तदनुसार, ₹ 458.93 लाख (पिछले वर्ष ₹ 51.03 लाख) के लिए आयकर का प्राक्कान लाभ को प्रभावित करते हुए बनाया गया है और करदाता की नई व्यवस्था का उपयोग करके चालू कर परिसंपत्ति (शुद्ध) में अंतरित किया गया है।

प्रभावी व्याज दर

कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यांकन के लिए प्रभावी व्याज दर (ईआईआर) के बारे में नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.14) में उल्लेख किया है। उचित मूल्यांकन केवल उन मामलों में किया जाता है जहां अवधि सुनिश्चित की जा सकती है। तदनुसार सुरक्षा जमा उचित मूल्यांकित है। चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अंत में सुरक्षा जमा क्रमशः ₹ 40.21 लाख और ₹ 37.58 लाख है।

पट्टा

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 118 को अपनाया है, जहां संपत्ति के उपयोग का अधिकार पट्टा दायित्व को बराबर है। कंपनी ने अपने पट्टों पर मानक लागू किया है, जिसके अनुसार पट्टे की व्यवस्था को पट्टा अनुबंध की तारीख से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, पिछली अवधि की जानकारी पुनः बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक रूप से रुपये की उपयोग-अधिकार संपत्ति को मान्यता दी गई है। लेखांकन नीति संख्या 2.17 के अनुसार ₹ 917.52 लाख और पट्टा देयता ₹ 917.52 लाख है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के लिए परिशोधन व्यय और पट्टे की देनदारी पर वित्त लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

पूर्व अवधि

कंपनी ने पूर्व अवधि को मान्यता देने के लिए लेखांकन नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.20) अपनाई है। "पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय जो कुल टर्न ओवर/सकल आय का 0.50% से अधिक नहीं है, उसे चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना गया है"।

अनुदान

कंपनी ने अनुदान के लिए नीति (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.21) अपनाई है। "अनुदान एक व्यय मद से संबंधित है, इसे उन अवधियों में व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी गई है, जब संबंधित लागत, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, व्यय की गई है"। वर्ष के दौरान किए गए व्यय को अन्य व्ययों में दिखाया गया है और संबंधित आय को अनुदान के वहन मूल्य से कम करके दिखाया गया है। तदनुसार चालू वर्ष में ₹ 662.64 लाख रुपये एवं पिछले वर्ष ₹ 217.24 लाख व्यय और आय के रूप में दर्ज हैं।

आस्थगित कर

आरजोयू परिसंपत्तियों, पट्टा देयता और प्रगतितरत पूंजीगत व्यय (व्याज आय) के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता) को बहाल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति में ₹ 91.91 लाख की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष में और आस्थगित कर की दर को भी सही किया गया। (पहले ली गई दर 26% थी जिसे संशोधित कर 25.168% कर दिया गया है)

निम्नलिखित वित्तीय विवरण की मदें लेखांकन नीति, लेखांकन अनुमान में परिवर्तन और लेखांकन त्रुटियों से प्रभावित हुईं:

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलना पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष में पुनर्कथित राशियाँ	पूर्व में प्रस्तुत राशि	पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित / पुनर्कथित राशि
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1,464.23	147.59	1,316.64
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	70,030.08	70,374.11	-344.03
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	37.58	54.56	-16.98
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	111.44	19.53	91.91
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	15,308.15	13,224.10	2,084.05
चालू परिसंपत्तियाँ			
(iii) नकद और नकद समकक्ष	1,12,076.36	1,12,563.74	-487.38
(v) ऋण		2,542.37	-2,542.37
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	487.38	-	487.38
चालू कर संपत्ति (शुद्ध)	19.51	-	19.51
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	19.71	87.22	-67.51
इक्विटी			
अन्य इक्विटी	-410.89	-83.86	-327.03
देनदारियाँ			
गैर-चालू देनदारियाँ:			
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	3,981.59	3,220.14	761.45
चालू देनदारियाँ			
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	6,511.45	473.27	6,038.18
प्रावधान	0.00	5,931.39	-5,931.39

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष में पुनर्कथित राशियाँ	पूर्व में प्रस्तुत राशि	पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित / पुनर्कथित राशि
अन्य आय	1,766.04	1,891.65	-125.61
अन्य व्यय	832.52	693.74	138.78
वित्त लागत	30.82	0.00	30.82
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	129.52	56.62	72.90
कर पूर्व लाभ	315.10	683.01	-367.91
चालू कर	51.03	0.00	51.03

आस्थगित कर	-98.18	-6.27	-91.91
कर पश्चात लाभ	362.25	689.28	-327.03
प्रति इक्विटी शेयर आय			
(1) मूल	0.10	0.19	-0.09
(2) मदित	0.10	0.19	-0.09

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चालू वर्ष में पुनर्कथित राशियाँ	पूर्व में प्रस्तुत राशि	पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित / पुनर्कथित राशि
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-27,070.95	-40,378.46	13,307.52
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-52,582.79	-38,867.79	-13,715.00
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1,46,697.11	1,46,777.00	-79.89
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (कमी)	67,043.37	67,530.74	-487.37
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	45,032.99	45,032.99	-
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष	1,12,076.36	1,12,563.74	-487.38
शुद्ध प्रभाव	0.00	0.00	0.00

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

संचालक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ए.के.बी. जैन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर. न.-003904सी

हस्ताक्षर कृत/-
(संदीप जैन)
कंपनी सचिव
एफसीएस : 7847

हस्ताक्षर कृत/-
(नीति कोठारी)
संचालक (वित्त) एंड सीएफओ
डीआईएन : 09608369

हस्ताक्षर कृत/-
पवन धर्मदासानी
भागीदार
सदस्यता क्र.-430739

हस्ताक्षर कृत/-
(नीरज मंडलोई)
संचालक
डीआईएन : 02037213

हस्ताक्षर कृत/-
(मनीष सिंह)
प्रबंध संचालक
डीआईएन : 05277748

स्थान : भोपाल
दिनांक : 10.07.2023

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

Annual Report 2022-2023



Sl. No.	Index	Page No.
1.	Corporate Information	106-107
2.	Board's Report and Extract of Annual Return (MGT-9)	108-140
3.	Report of the Comptroller and Auditor Gen. of India (C&AG)	141-143
4.	Independent Auditor's Report	144-161
5.	Balance Sheet for the Year ended 31 st March, 2023	162-163
6.	Statement of Profit and loss for the Year ended 31 st March, 2023	164-165
7.	Cash Flow Statement for the Year ended 31 st March, 2023	166
8.	Notes forming part of the Financial Statements for the year ended on 31 st March, 2023	167-213

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited

(A Joint Venture of Government of India and Government of Madhya Pradesh)

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors (As on AGM Date)

Sr. No.	Name	Designation
1.	Shri Surendrakumar Bagde Additional Secretary (Housing), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	Chairman & Nominee Director (Govt. of India)
2.	Ms. D. Thara Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	Nominee Director (Govt. of India)
3.	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC)	Nominee Director (Govt. of India)
4.	Shri Anand Singh Bisht Director (Project), Gujarat Metro Rail Corporation Limited. (GMRC)	Nominee Director (Govt. of India)
5.	Shri Pankaj Tyagi ED/L&A, Railway Board, Ministry of Railways.	Nominee Director (Govt. of India)
6.	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P., Urban Development & Housing Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)
7.	Shri Sukhveer Singh Principal Secretary, Govt. of M.P., Public Works Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)
8.	Shri Nikunj Kumar Srivastava Principal Secretary, Govt. of M.P., Revenue Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)
9.	Shri D. B. Patil Secretary, Govt. of M.P., Finance Department.	Nominee Director (Govt. of M.P.)
10.	Shri Manish Singh Managing Director, MPMRL	Managing Director (Govt. of M.P.)

11.	Shri Ajay Sharma Director (Project), MPMRCL	Whole-time Director
12.	Ms. Niti Kothari Director (Finance), MPMRCL	Whole-time Director

Statutory Auditors:
M/s A K B Jain & Co.,
Chartered Accountants
FRN:003904C

Internal Auditors:
M/s R.C. Baheti & Company,
Chartered Accountants

Secretarial Auditors:
M/s Neelesh Gupta & Co.,
Company Secretaries

Company Secretary:
Shri Sandeep Jain

Banker:

1. Central Bank of India
2. Union Bank of India
3. State Bank of India
4. Bank of Baroda
5. Axis Bank

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited
(Domiciled and incorporated in India)

Registered office:

2nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector-A, Berkheda, Bhopal-462 022
Website: <https://www.mpmetrorail.com>
CIN: U75100MP2015SGC034434.

DIRECTORS REPORT

Dear Shareholders,

The Company's Directors have pleasure in presenting the 8th Annual Report on the affairs of the Company together with the Audited Accounts, Auditors' Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended 31st March, 2023.

1. Financial Statement Summary:

The summary of Company's financial performance for the financial year ended 31st March, 2023 is presented below:

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended 31st March, 2023	Year Ended 31st March, 2022
Total Income	3681.99	1766.04
Employee Benefits Expense	1314.54	344.79
Other Expenses	1624.88	832.52
Earnings Before Interest, Depreciation & Tax (EBIDT)	742.57	588.73
Finance Cost	60.78	30.62
Depreciation and amortization expense	220.79	129.52
Exceptional Items	-	113.49
Tax Expense	119.28	(47.15)
Profit/(Loss) After Tax	341.72	362.25

- 1.1 During the year, the company has received Pass Through Assistance (PTA) from Government of India (GoI) against funding from European Investment Bank (EIB) of ₹ 14,794 Lakh. As on 31st March, 2023, total amount of PTA from GoI stood at ₹ 45,522 Lakh. However, there is no disbursement made by EIB to GoI, during the year ending 31st March, 2023.
- 1.2 As on 31st March, 2023 the paid up equity share capital of the Company was ₹ 1,20,800 Lakh with both the stakeholders viz. Government of India (GoI) and Government of Madhya Pradesh (GoMP) in equal proportion. The matching share for Equity contribution amounting to ₹ 142.78 crore & ₹ 100 crore was received in April, 2023 & May, 2023 respectively from GoMP against share application money pending allotment received from GoI as shown in the Balance Sheet for the year ending March, 2023.
- 1.3 Subordinate Debts of ₹ 8,682 Lakh from GoI towards Central taxes and ₹ 49,999.96 Lakh from GoMP towards Central taxes, State Taxes, Land, R&R and IDC were re-

ceived during the year. Total contribution against Subordinate Debts stood at ₹ 96,062.96 Lakh as on 31st March, 2023.

2. The Status of funding for Bhopal and Indore Metro Rail Projects is as follows:

- European Investment Bank (EIB) –Finance contract for Euro 400 million (250+150) has been duly executed with EIB.
- New Development Bank (NDB) – Loan agreement and Project agreement for Indore Metro Rail Project were under execution as on 31.3.23. However, the Loan agreement and Project agreement have been executed on 10.07.2023 for USD 225 million.
- Asian Development Bank (ADB) –Approval of Department of Economic Affairs (DEA), GoI has been received and a Reconnaissance Mission was conducted by ADB from 9th to 11th Nov, 2022 and Indore project appraisal along with due diligence is in process. A safeguard mission is also being scheduled shortly.

3. State of the Company's Affairs:

3.1 Status of Civil Works for Bhopal & Indore Metro Rail Projects:

Bhopal Metro Rail Project consist of 2 lines i.e. Purple-line (renaming to Orange- line), and Red-line (renaming to Blue line) in line with Rolling Stock styling approved by GoMP, with total length of 27.87 km and 30 Stations. Orange-line from Karond Square to AIIMS has 12.58 km of elevated, 2.41 km of underground sections and 16 stations (14 elevated and 2 underground). Blue line from Bhabhada Square to Ratnagiri Tiraha has 12.88 km of elevated section and 14 Stations. One station 'Pul-Bogda' is interchange station for both lines. One rolling stock depot has been planned at Subhash Nagar which will cater to both the lines.

In priority stretch of 6.226 km from Subhash Nagar to AIIMS of Orange line, works for construction of viaduct, 8 stations, Rolling Stock Depot at Subhash Nagar and installation of track etc are in progress. The commencement of train trials between Subhash Nagar to Rani Kamlapati stations of priority stretch are planned in Sep 23 and commercial operations in June 2024. Tenders for civil works for balance stretches have also been invited and entire project has been planned for commissioning by Dec 2026.

Indore Metro Rail Project comprises of Ring Line (Yellow Line) from Bengali Square-Vijay nagar, Bhawarsala-Airport-Palasia- Bengali Square with total length of 31.55 km. and 30 stations.

In priority stretch of 5.29 km from Gandhi Nagar to SC3 stations, works for construction of viaduct, 5 stations, Rolling Stock Depot at Gandhi Nagar and installation of track etc are in progress. The commencement of train trials between in this stretch are planned in Sep 23 and commercial operations in June 2024. Further, in approx. 10.7 km stretch between SC 3 station to Radison Square, works for viaduct and stations are in progress and this stretch is planned for

commissioning by Dec 24. Tenders for civil works for balance elevated stretch has also been invited and for underground section is in process of bidding. The entire project has been planned for commissioning by Dec 2026.

For both Bhopal and Indore Metro Rail Projects, on technical considerations, changes in the length of Elevated, Underground and at grade (for Indore) sections and the respective number of stations is under due process of approval.

3.2 Status of System Works for Bhopal & Indore Metro Rail Projects:

Contracts for both Bhopal Metro Rail Project and Indore Metro Rail Project have been awarded for major system works like Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) of Rolling Stock, Signalling, Train control & Telecommunication, Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) of Traction & Power Supply including 3rd Rail and Receiving Sub-Station (RSS); Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) of Vertical and Horizontal Transport System (VHTS). Tenders have been invited for major Depot Machinery and Plants (M&P) and Supply & Installation of Automatic Fare Collection System (AFC) on PPP basis including National Common Mobility Card (NCMC).

Engineering and Execution work of Rolling Stock Cars (with 15 Years Comprehensive Maintenance) – 81 Cars for Bhopal and 75 Cars for Indore, including Signalling & Train Control and Telecommunication Systems (with 7 Years Comprehensive Maintenance) tender in progress and priority Rollings stock cars to be delivered by September 2023 for Trail run.

Design and Manufacturing of Lifts and Escalators for priority stations is in progress and Delivery and Installation of priority Lifts and Escalators is planned in September 2023 for both Bhopal and Indore Metro rail Project.


4. Social Works of Bhopal and Indore Metro Rail Projects:

Resettlement Implementation Support Agency (RISA) has been appointed for implementation of SIA & RAP. During the FY 2022-23, the database has been prepared based on the field verification carried out by RISA for those Project Affected Families (PAFs) and Project Affected Persons (PAPs) along with District administration, Municipal Corporation and other Stakeholders. Public consultations with the Project Affected Families were also conducted for the Rehabilitation and Resettlement of PAFs, with special attention being given for potential vulnerable people.

Disbursement of compensation and assistance to the eligible project affected families is being done in accordance with the approved Entitlement Matrix.

5. Future Extension and Projects:

The company is involved in preparation of Comprehensive mobility plan (CMP) including Alternative Analysis Reports (AAR) for five (5) cities of Madhya Pradesh (Indore, Jabalpur, Gwalior, Ujjain and Bhopal).



In this regard, following reports have been approved:

- i. Inception report, Interim report, Draft CMP report and Final CMP report of Gwalior city.
- ii. Inception report, Interim report and Draft CMP report of Indore city.
- iii. Inception report and Interim report of Jabalpur city.
- iv. Inception report and Interim report of Ujjain city.
- v. Inception report of Bhopal city.

Also, the company is involved in Pre-feasibility study of Indore to Ujjain RRTS.

6. Make in India Initiative:

All the equity funded tender packages have make in India preference clauses included. Further, the Rolling Stock tender is as per the MoHUA guidelines under Make in India initiative.

7. Dividend:

Company is yet to start its commercial operations and therefore, no dividend is being recommended.

8. Reserves:

During the period under review no amount has been transferred to the Reserves.

9. Deposits:

The Company has not invited/ accepted any deposits from the public under Section 2 (31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013 during the year ended on 31st March, 2023. There were no unclaimed or unpaid deposits as on 31st March, 2023.

10. Capital Structure:

As on 31st March, 2023, the Authorised share Capital of the Company is 5000,00,00,000/- (Rupees Five Thousand Crores Only) Divided in to 500,00,00,000 (Five Hundred Crore) Equity Share of ₹ 10/- each. The paid-up share capital of the Company is ₹ 12,08,00,00,000/- (Rupees Twelve Hundred Eight Crores only) divided into 1,20,80,00,000/- (One Twenty Crore and Eighty Lacs) equity shares of ₹ 10/- each. The Company has no other type of securities except equity shares forming part of paid-up capital.

11. Change in the Nature of Business, if any:

There was no change in the nature of business of the Company during the financial year ended on 31st March, 2023.

12. Details of Significant and Material orders passed by the regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future:

During the period, no order(s) has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

13. Material Changes and Commitments if any, affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year ended 31st March, 2023 and the date of the Report:

There are no material changes occurred in between the financial year ended on 31st March, 2023 and date of this report which affects the financial position of the Company.

14. Names of the Companies which have become or ceased or ceased to be its subsidiaries/ Joint venture/ Associate Companies during the year:

The Company does not have any Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associate Companies.

15. Annual Return under Section 92(3):

In accordance with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return referred to in Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT - 9 is attached at **Annexure - "A"**.

16. Statutory Auditors and Auditors Report:

The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi vide letter No./CA.V/COY/MADHYA PRADESH, MPMRC(1)/1080 dated 07/09/2022

appointed M/s A K B Jain & Co, Chartered Accountants, (CR-0876), Bhopal-462 016 as Statutory auditor of MPMRCL for the financial year 2022-2023 who shall continue in office till the conclusion of the 8th Annual General Meeting.

During the year, the Auditors of the Company have not reported any fraud under section 143(12) of the Companies Act, 2013.

17. Comments of the Comptroller and Auditor General of India and replies of Management thereof is attached at Annexure - "B".

18. Internal Auditors:

M/s. R. C. Baheti & Co, Chartered Accountants (Registration No. 0403034C), were appointed as the Internal Auditors of the Company for the F.Y. 2022-23 to conduct the Internal Audit and their report has been reviewed by the Audit Committee.

19. Secretarial Auditors:

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company has appointed M/s. Neelesh Gupta & Co., Practicing Company Secretaries, (CP No.6846) to undertake the Secretarial Audit of the Company the financial year 2022-23. The Secretarial Audit Report issued by the Secretarial Auditor is placed at **Annexure - "C"** of this report.

20. Cost Auditors:

As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Company is neither required to maintain cost records nor to appoint Cost Auditors.

21. Public Relations and Social Media:

Public Relations and Social Media activities undertaken by the Corporate Communication/PR division during the financial year 2022-23. These activities are aimed at enhancing the brand awareness and image building of the organization. Following are the key points mentioned below:

(i) Mass Media Efforts:

The PR division worked on maintaining the positive image of the organization and ongoing projects through positive stories and news in both print and electronic media.

(ii) Social Media Presence:

The organization, MPMRCL, has established a presence on various social media platforms such as Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn. The social media strategy focuses on targeted communication based on people's sentiments and the regular sharing of content related to activities. This includes various types of content:

- Hygiene: Posts related to important days and festivals.
- Tactical: Time-specific or topic-based posts, as well as milestones.
- Strategic: Focused campaigns on specific subjects.

Additionally, MPMRCL maintains digital platforms like Blogger and Medium, where informative blog posts related to themes/components are published every month to increase mass awareness.

(iii) E-Bulletin:

The organization publishes e-bulletins containing information and progress updates related to their projects. These e-bulletins are available on the official website of MPMRCL.

(iv) Exhibition/Stall Participation:

MPMRCL took part in exhibitions and conferences to showcase their projects by installed dedicated stalls at events like the Public Representatives of Urban Bodies' conference in December, 2022 and the India International Science Festival in January, 2023. These events provided opportunities for demonstrating project models and distributing awareness materials.

MPMRCL has also participated in the International Trade Fair for Transport Technology held at Messe Berlin from 20th to 23rd September 2022.

MPMRCL's PR division is actively engaged in various activities to enhance the organization's brand image, maintain positive media coverage, engage with audiences on social media and participate in events to promote their projects and raise awareness.

22. Conservation of Energy, Technology absorption and Foreign Exchange Earning and outgo:

The particulars as required under of the Companies Act, 2013: -

(A) Conservation of energy:

Conservation of energy is given foremost priority while planning of systems in all projects under being implementation by MPMRCL. MPMRCL has taken a series of measures to cut down its energy consumption and rationalize its energy procurement process by implementing several energy conservation measures and harnessing Renewable Energy. Some key initiatives are, Solar panels on Depot and Station buildings, planning for IGBC platinum rating certification of Stations and Depots, provision of regenerative technology for brakes of rolling stock, etc.

(B) Technology Absorption:

While procuring any machineries or other technological products in MPMRCL, priority is given to use of indigenous products over imported products. The Company follows the guidelines of 'Make in India' issued from time to time by the

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

(C) Foreign exchange earnings and Outgo:

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	2022-23	2021-22
1.	Foreign exchange earnings	Nil	Nil
2.	Foreign exchange outgo	9,695.00	Nil

23. Board of Directors:

- (i) As on 31st March 2023, the Board comprised 12 directors of which 2 are Functional Directors, 5 Directors including Chairman were nominated by the GoI and 5 Director including Managing Director were nominated by GoMP. The Nominee Directors and whole-time Functional Director are senior officers, who have wide range of experience in the functioning of Government and possess top order administrative skills, financial and technical expertise.

(ii) Particular of Change in Directors and Key Managerial Personnel during the year.

Sr. No	Name	DIN	Date of Appointment/Cessation	Nature of change
1.	Shri Manoj Govil Principal Secretary, Govt. of M.P., Finance Department.	07651991	22/04/2022	Cessation
2.	Shri D.B. Patil Secretary Finance, GoMP.	06999046	22/04/2022	Appointment
3.	Ms. Niti Kothari Director (Finance), MPMRCL.	09608369	20/05/2022	Appointment as (Whole-Time Director)
4.	Shri B. K. Gupta ED/Project Monitoring (SAG/IRSE) Railway Board, Ministry of Railways.	08121844	24/05/2022	Cessation
5.	Shri Pankaj Tyagi ED/L&A, Railway Board, Ministry of Railways.	09622386	24/05/2022	Appointment
6.	Ms. Chhavi Bhardwaj Managing Director, MPMRCL	06499360	13/07/2022	Cessation
7.	Shri Nikunj Kumar Srivastava Commissioner, Urban Administration and Development, and Managing Director.	02008508	13/07/2022	Appointment

Sr. No	Name	DIN	Date of Appointment/Cessation	Nature of change
8.	Shri Nikunj Kumar Srivastava Principal Secretary, Govt. of M.P. Department of Science and Technology and Managing Director.	02008508	11/11/2022	Cessation
9.	Shri Manish Singh Managing Director, MPMRCL.	05277748	12/11/2022	Appointment
10.	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P., Public Works Department.	02037213	07/11/2022	Cessation
11.	Shri Sukhveer Singh Principal Secretary, Govt. of M.P., Public Works Department.	02390931	07/11/2022	Appointment
12.	Shri Manish Singh Principal Secretary, Govt. of M.P., Urban Development & Housing Department.	02947579	11/11/2022	Cessation
13.	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P., Urban Development & Housing Department.	02037213	11/11/2022	Appointment

(iii) Details of directors and Key managerial personnel as on the closure of financial year

Sr. No.	Details of Directors	DIN	Designation
1.	Shri Surendrakumar Bagde Additional Secretary (H), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	02305641	Chairman and Director
2.	Ms. D. Thara Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	01911714	Director
3.	Shri Sanjay Mishra Director (Project), Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (UPMRCL)	08102041	Director
4.	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC).	08397090	Director
5.	Shri Pankaj Tyagi ED/L&A, Railway Board, Ministry of Railways.	09622386	Director
6.	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P., Urban Development & Housing Department.	02037213	Director
7.	Shri Manish Rastogi Principal Secretary, Govt. of M.P., Revenue Department.	02579544	Director
8.	Shri Sukhveer Singh Principal Secretary, Govt. of M.P., Public Works Department.	02390931	Director

9.	Shri D. B. Patil Secretary, Govt. of M.P., Finance Department.	06999046	Director
10.	Shri Manish Singh Managing Director, MPMRCL.	05277748	Managing Director
11.	Shri Ajay Sharma Director (Project), MPMRCL. (Whole-Time Director, MPMRCL)	08644408	Whole-time Director
12.	Ms. Niti Kothari Director (Finance), MPMRCL. (Whole-Time Director, MPMRCL)	09608369	Whole-time Director
13.	Shri Sandeep Jain MPMRCL	M. No. F7847	Company Secretary

(iii) Declaration by Independent Director(s) and re- appointment, if any:

The Company is a Joint-Venture Company, and it is exempted under the Companies Act, 2013 from appointment of Independent Directors on the Board of the Company.

(iv) Number of meetings of the Board:

The Board of Directors met five (5) times during the financial year from 1st April, 2022 to 31st March, 2023. The dates on which the meetings were held are: 22nd April, 2022, 06th July, 2022, 22nd September, 2022, 27th December, 2022 and 17th March, 2023, during the period under review.

The Annual Financial Statements for F.Y. 2022-23 was approved in Board Meeting held on 3rd July, 2023.

24. Committees of the Board of Directors

Pursuant to the requirement of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has constituted the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Investment Committee. Details of the Committees are as follows:

Committee	Members as on 31.03.2023	Members as on date of Report	Designation	Number of Meeting held
Audit Committee	Shri D.B. Patil Secretary, Govt. of M.P. Finance Department	Shri D.B. Patil Secretary, Govt. of M.P., Finance Department	Chairman	1 (one) meeting on 15.06.2022
	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of GoI	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of GoI	Member	
	Shri Ajay Sharma Director (Project), MPMRCL	Shri Ajay Sharma Director (Project), MPMRCL	Member	
Nomination and Remuneration Committee	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P., Urban Development and Housing Department	Shri Neeraj Mandloi Principal Secretary, Govt. of M.P., Urban Development and Housing Department	Chairman	2 (two) meeting on 13.06.2022 and 16.01.2023
	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of GoI	Shri O.H. Pande Director (Elect.), Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), Nominee of GoI	Member	
	Shri Manish Singh Managing Director, MPMRCL	Shri Manish Singh Managing Director, MPMRCL	Member	
Investment Committee	Shri Manish Singh Managing Director, MPMRCL	Shri Manish Singh Managing Director, MPMRCL	Chairman	1 (one) meeting on 29.08.2022
	Shri Ajay Sharma Director (Project), MPMRCL	Shri Ajay Sharma Director (Project), MPMRCL	Member	
	Ms. Niti Kothari Director (Finance), MPMRCL	Ms. Niti Kothari Director (Finance), MPMRCL	Member	

25. Shareholders' Grievance Committee:

MPMRCL is a Government Company, presently, 100% of the total paid-up share capital is held by GoI and GoMP in 50:50 ratio. The Shareholders are 10 in numbers which is done so as to comply with the minimum number of shareholders under the provisions of the Companies Act, 2013. Hence the Company does not foresee any reason for grievance and has not constituted Shareholders' Grievance Committee.

26. Particulars of Employees:

The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under, related to Managerial Remuneration, are not applicable to the Company. Therefore, no disclosure is required to be made.

27. Particulars of loans, guarantees or investments under Section 186:

During the year under Report, the Company has not,

- Given any loan to any person or other body corporate:
- Given any guarantee or provided security in connection with any loan to any otherbody corporate or person; and
- Acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any otherbody corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

28. Related Party Transactions:

During the year under review, the Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act 2013.

29. Corporate Social Responsibility (CSR):

Pursuant to Section 135 of Companies Act, 2013, the CSR provisions are applicable to MPMRCL but the average net profits during the three immediately preceding financial years is negative, the company is not required to spend any amount mandatorily on CSR.

30. Risk Management:

The Projects of the Company are under construction stage and the General Consultant has been appointed for Bhopal and Indore Metro Rail Projects. The General Consultant perceives and evaluates risk on a continuous basis and submits its observation regularly, based on which steps for mitigation of risks are taken by company.

31. Human Resources Management:

As on 31st March, 2023, the employees' strength of the Company is 89. MPMRCL has always believed that its employees are its biggest assets and driven for the growth of the Company. The Company has been regularly taking up initiatives for well being of employees by implementing various policies beneficial to staff. Industrial

relations were cordial and the company's Human Resources is commensurate with the size, nature and operation of the Company.

32. Official Language:

MPMRCL continue its efforts towards the promotion of the use of Hindi in official work.

33. Company's Website:

The Company's Website is www.mpmetrorail.com. All major information pertaining to the Company, including project, tenders, contracts, jobs, recruitment process and results, etc. are being posted on the website from time to time.

34. Right to information:

MPMRCL has implemented the provision of the Right to Information Act 2005, there is 01 PIOs and 01 First Appellate Authority looking after applications related to various department of the organization. 15 No. of RTI application and 3 No. of Appeal were received and which have been disposed.

35. Sexual Harassment at Workplace:

MPMRCL is committed towards Empowerment of women employees and providing a safe working environment to them. Internal Complaint Committees are in place for executive and non-executive women employees, with an external member having adequate knowledge and experience in the field of women welfare. During the year no case of Sexual Harassment of workman/ employee at workplace was reported.

36. Proceeding under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:

During the year, no application was made and no proceeding is pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 at the end of the financial year.

37. Directors' Responsibility Statement:

As per the Directors' Responsibility Statement referred to in clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, it is stated that:

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

- d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

38. Acknowledgements:

- The Board place on record their gratitude for the invaluable guidance, continued co-operation and support extended by various Ministries, Departments and agencies of Govt. of India, Govt. of Madhya Pradesh.
- The Board is also thankful to funding agencies for agreeing financial assistance for Bhopal and Indore Metro Rail Projects.
- The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors, Bankers of the Company, various national and international contractors, consultants, technical experts and suppliers for their continued support and co- operation.
- The Board wishes to place on record their deep sense of appreciation for the sincere efforts and hard works put in by all the employees of the Company and look forward to their services with zeal and dedication in the years ahead to enable the Company to scale greater heights.

**By the order of the Board
For Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd.**

Place: Bhopal
Date: 26.09.2023

Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS:7847

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance)
& CFO
DIN: 09608369

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN: 05277748

Form No. MGT-9**EXTRACT OF ANNUAL RETURN****As on the financial year ended on 31.03.2023**

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:		
1	CIN	U75100MP2015SGC034434
2	Registration Date	09 th July, 2015
3	Name of the Company	Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited
4	Category/Sub-Category of Company	Metro Railway Transport Services
5	Address of the Registered office and contact details	2 nd Floor, Smart City Development Corporation Office Building, Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda, Bhopal – 462022
6	Whether listed company	No
7	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:

S. No.	Name and Description of main products/ services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the Company
1	Urban & Sub-Urban Metro Railway Transport Services	99641112	100

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	Name of the Company	CIN	Holding/ subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Shareholding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-April, 2022)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March,2023)				% change in Share holding during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoter(s)									-
(1) Indian									
a) Individual / HUF	-	604000000	604000000	50%	-	604000000	604000000	50%	
b) Central Govt./ President of India	-	604000000	604000000	50%	-	604000000	604000000	50%	
c) State Govt. (s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks/Fl									
f) Any Other:	-	120800000	120800000	100%	-	120800000	120800000	100%	-

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-April, 2022)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March, 2023)				% change in Share holding during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
2) Foreign									
a) NRIs - Individuals									
b) Other - Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks/FI									
e) Any Other									
Sub-total(A)									
(2):- Total shareholding of Promoter (A)= (A) (1)+(A)(2)	-	1208000000	1208000000	100%	-	1208000000	1208000000	100%	-
B:									
Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks/FI									
c) Central Govt									
d) State Govt. (s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others									
Sub-total (B)(1):-									

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-April, 2022)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March,2023)				% change in Share holding during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
2.Non-Institutions									
a) Bodies Corporates									
i) Indian									
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1 lakh									
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total(B)									
(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	-	1208000000	1208000000	100	-	1208000000	1208000000	100	

ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	
1	Shares held by President of India, Governor of Madhya Pradesh and 10 nominees of GoI and GoMP.	1208000000	100	-	1208000000	100	-	-
	Total	1208000000	100%	-	1208000000	100%	-	-

(iii) Change in Promoters' Shareholding please specify, if there is no change)

S. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
I.	Government of Madhya Pradesh.				
	At the beginning of the year	604000000	50%	604000000	50%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/ sweat equity, etc.)	-	-	-	-
A	At the end of the year	604000000	50%	604000000	50%
II	President of India				
	At the beginning of the year	604000000	50%	604000000	50%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.)	-	-	-	-
B	At the end of the year	604000000	50%	604000000	-
Grand Total		1208000000	100%	1208000000	100%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NIL

S. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	NOT APPLICABLE			
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc.)				
3	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:-

S. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	Shares held by President of India, Governor of Madhya Pradesh and 10 Nominees of GoI and GoMP.			
2	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc.)				
3	At the end of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment:

(Amount in Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	68109.00	-	68109.00
ii) Interest due but not paid	-	-	-	
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i+ii+iii)	Nil	68109.00	Nil	68109.00
Change in Indebtedness during the financial year				
(i) Addition	-	73475.96	-	73475.96
(ii) Reduction	-	-	-	
Net Change	Nil	73475.96	Nil	73475.96
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	141584.96	Nil	141584.96
ii) Interest due but not paid	-	-	-	
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i+ii+iii)	Nil	141584.96	Nil	141584.96

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(Amount in Rs.)

S. No.	Name	Ms. Chhavi Bhardwaj	Shri Ajay Sharma	Smt. Niti Kothari	Total
	Designation	Managing Director (Till 13 th July 2022)	Director (Project)	Director (Finance) and CFO	
	DIN	06499360	08644408	09608369	
1.	Gross salary	6,99,047	44,81,028	35,22,505	87,02,580
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	61,9,341	44,81,028	33,40,885	84,41,254
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	79,706	-	1,81,620	2,63,068
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	
2.	Stock Option	-	-	-	
3.	Sweat Equity	-	-	-	
4.	Commission - as % of profit - others, specify	-	-	-	
5.	Others, please specify				
	Medical Reimbursement	-	30,590	-	30,590
	Helper Reimbursement	-	1,08,000	93,484	2,32,074
	PF - Employers Contribution 12%	-	-	3,03,733	3,03,733
	NPS- Employers Contribution	79,706	-	45,405	1,25,111
	Gratuity and pension Contribution	-	6,14,031	1,27,050	7,41,081
	Composite Transfer Grant	-	1,74,080	1,13,888	2,87,968
	GSLI -Employers Contribution	-	-	900	900
	Leave salary contribution	-	2,96,288	2,94,644	5,90,932
6.	Total (A)	7,78,753	57,04,017	4,501,609	10,984,379
	Ceiling as per the Act		N.A.		

B. Remuneration to other directors: Nil

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total Amount
1.	Independent Directors: - Fee for attending board committee meetings (i) Commission (ii) Others, please specify		
	Total(1)		
2.	Other Non-Executive Directors: - Fee for attending board committee meetings (i) Commission (ii) Others, please specify		
	Total(2)		
	Total(B)=(1+2)		
	Total Managerial Remuneration		

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

(Amount in Rs.)

S. N.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel Shri Sandeep Jain Company Secretary	Total
1.	Gross salary	1822356	1822356
	(a)Salary as per provisions contained in section17(1) of the Income-tax Act, 1961	1724196	1724196
	(b)Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act,1961	98160	98160
	(c)Profits in lieu of salary under section17(3) Income-tax Act, 1961	-	-
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission - as % of profit -others, specify	-	-
5.	Others, please specify		
	PF – Employers Contribution	1,57,431	1,57,431
	NPS- Employers Contribution	24,540	24,540
6.	Total (C)	20,04,327	20,04,327

VII. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding Fees Imposed.	Authority [RD/ NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty			NONE		
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty			NONE		
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty			NONE		
Punishment					
Compounding					

By the order of the Board
For Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd.

Place: Bhopal
Date: 26.09.2023

Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS:7847

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance) & CFO
DIN: 09608369

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN: 05277748

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED, BHOPAL FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH 2023

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended on 31st March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10th July 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31st March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which, in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

Comment on Disclosure

1. The Government of India has allocated fund of ₹ 200 crore on January 2023 and ₹42.78 crore on March 2023 for equity contribution to the Company and the GoMP matching share of equity of ₹ 142.78 crore and ₹ 100 crore was received in April, 2023 & May, 2023 respectively. Since the equity was provided by GoMP before the date of approval of Accounts (July 2023), the same should have been disclosed in Notes of Accounts, being a material fact.

Reply of Management

As per the order for allocation of fund, it is mentioned that the fund is sanctioned for execution of MP Metro rail project for FY 2023-24.

The release of equity funds is a regular feature whereby fund are allotted by the GoI and GoMP through their annual budgets. Amounts received during the year is depicted in the balance sheet in the year of its receipt. As the said transactions are of routine nature w.r.t the metro industry hence, they do not have an adverse impact on the



decisions of the user / reader of financial statements. Thus, the same has not be separately disclosed.

However, the disclosure in this regard has been made in the Directors report.

Comments on Auditors' Report

2. In Annexure A point (i) (c) of the Independent Auditors' Report it is mentioned that none of the properties are in the name of promotor, director, relative of promotor or director and employee of the promotor of director. However, as per additional Notes to Accounts point no. 17, the title deed of the 12 properties were held in the name of MP Urban Development Housing Development, GoMP as a promotor. Thus, Independent Auditors' Reports is deficient to that extent.

Reply of Management

As per Statutory Auditor this happened due to typographical error. Further, the management has disclosed the information as per the requirement of amendments in Schedule III to the Companies Act, 2013 in Note no. 17 of additional notes to accounts, it is clearly reported that immovable properties are held in the name of promoter. There is no impact on true and fare view on Financial Statement as such.

However, the Statutory Auditor has issued a clarification letter and has also assured to be more cautious while drafting Audit Report.

**By the order of the Board
For Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd.**

Place: Bhopal
Date: 26.09.2023

Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS:7847

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance) &
CFO
DIN: 09608369

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN: 05277748

Annexure-‘C’

FORM NO. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and
Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel)
Rules, 2014]

To,
The Members,
MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
2nd Floor, Smart City Development Cor. Ltd. office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda
Bhopal MP 462022 IN


CIN: U75100MP2015SGC034434

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited** (hereinafter called ‘the company’). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

The Company’s Board of Directors are responsible for the matters of Compliances of the various provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws. Our responsibility to conduct the audit of the Compliances made during the year upon test check basis. We have adopted such methods and procedure and based on our verification of the Company books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 and Rules thereof;
- (iii) The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 and Rules thereof; and



(iv) The Memorandum and Articles of Association of the Company

During the period under review and as per the explanations and representations made by the management and subject to clarifications given to us, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Standards, Guidelines, etc. mentioned above.

We further report that:

Based on our verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder:

- i. Maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- ii. Forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies;
- iii. Service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;
- iv. Notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- v. Meetings of Directors and all the Committees of Directors;
- vi. Notice and convening of 7th Annual General Meeting held on 22nd September, 2022;
- vii. Minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee and Members Meetings;
- viii. Approvals of the Board of Directors, Committee of Directors, Members and Government Authorities, wherever required;
- ix. Constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment and reappointment of Directors;
- x. Payment of remuneration to Directors and Managing Director and Key Managerial Personnel;
- xi. Appointment and remuneration of Statutory Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors;
- xii. Transfer of Company's shares, issue and allotment shares;
- xiii. Contracts, registered office and publication of name of the Company;
- xiv. Report of the Board of Directors;
- xv. Investment of Company's funds;
- xvi. Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under;

xvii. The Company has, in our opinion, proper Board-processes and compliance mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act(s), rules, regulations, guidelines, applicable secretarial standards, etc., mentioned above and as stipulated under the Memorandum and Articles of Association the Company.

We further report that:

- i. The Directors have complied with the requirements as to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings and directorships in other Companies and interest in other entities;
- ii. The Company has obtained all necessary approvals under various provisions of the Companies Act, 2013 wherever necessary;
- iii. There was no prosecution initiated against or show cause notice received by the Company during the year under review under the Companies Act, 2013 and rules, regulations and guidelines thereunder.
- iv. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance the orders of Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) and Urban Development & Housing Department, Government of Madhya Pradesh in consonance of the Companies Act..

We further report that during the year:

The status of the Company remains as a Government Company with 50:50 Joint Venture of Government of Madhya Pradesh and Government of India. Further, we are of the view that the Company is regular in complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Being specific acts governing the Company).

- i. The compliance to that effect have been made, this fact has been examined from the perusal of various records maintained by the Company.
- ii. During the period under review, the Board of Directors of the Company was duly constituted and the appointment and cessation of Directors has been made in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and respective Government Orders. The Company has complied with all the mandatory requirements.

We further report that :

During the audit period of the company, there were no instances of:

- (i) Public issue of shares/debentures/sweet equity.
- (ii) Redemption/buy-back of securities.
- (iii) Merger/amalgamation/reconstruction etc.
- (iv) Foreign technical collaboration.

We further report that :

During the Audit period of the company, there were instances of:

1. Holding of Annual General Meeting for the financial year ended 31st March, 2022

During the year company has hold Annual General Meeting for the financial year ended 31st March, 2022 on 22nd Day of September, 2022 and members adopted the Audited financial statements together with the Director Report for the year ended 31st March, 2022.

Date : 14/08/2023

For Neelesh Gupta & Co.,
Company Secretaries

Sd/-

CS. Neelesh Gupta

Proprietor

C.P. No.6846

Mem No. :FCS 6381

UDIN : F006381E000802242

To,
The Members,
MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
2nd Floor, Smart City Development Cor. Ltd. office Building,
Kalibadi Road, BHEL, Sector A, Berkheda
Bhopal MP 462022 IN

Our secretarial Audit Report for the financial year ended 31st March, 2023 of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the company to maintain Secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the company with respect to secretarial compliances.
3. We believe that audit evidence and information obtained from the company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

Date : 14/08/2023

For Neelesh Gupta & Co.,
Company Secretaries


Sd/-

CS. Neelesh Gupta

Proprietor

C.P. No.6846

Mem No. : FCS 6381



क्रमांक: वाणिज्य/MPMRCL/लेखा/2022-23/जा.235 दिनांक: 22/9/23



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Indian Audit & Accounts Department
Email: agaumadhvapradesh1@cag.gov.in

SAI2



कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन,
झांसी रोड, ग्वालियर-474002
Office of the Principal Accountant General
(Audit-I), Madhya Pradesh, Audit Bhawan,
Jhansi Road, Gwalior-474002

प्रति

प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
2nd फ्लोर, स्मार्ट सिटी ऑफिस बिल्डिंग,
कालबाड़ी रोड, भेल, सेक्टर - A, बेरखेड़ा, भोपाल - 462022

विषय : मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं, जिसे आप संचालकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक लेखों में प्रकाशित करें। वार्षिक लेखे विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 5 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

उपमहालेखाकार /ए.एम.जी.-IV

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002,
दूरभाष: 0751-2323504, 2323505, 2436827, फेक्स: 0751-2631290
Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Telephone: 0751-2323504, 2323505, 2436827, Fax: 0751-2631290
Email: agaumadhvapradesh1@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

The preparation of financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 10 July 2023.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

Comments on Disclosure

1. The Government of India has allocated fund of ₹200 crore on January 2023 and ₹42.78 crore on March 2023 for equity contribution to the Company and the GoMP matching share of equity of ₹142.78 crore and ₹100 crore was received in April, 2023 and May, 2023 respectively. Since the equity was provided by GoMP before the date of approval of Accounts (July 2023), the same should have been disclosed in Notes of Accounts, being a material fact.

Comments on Auditors' Report

2. In Annexure A point (i) (c) of the Independent Auditors' Report it is mentioned that none of the properties are in the name of promotor, director, relative of promotor or director and employee of the promotor or director. However, as per additional Notes to Accounts point no. 17, the title deed of the 12 properties were

held in the name of MP Urban Development Housing Department, GoMP as a promotor. Thus, Independent Auditors' Reports is deficient to that extent.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**



**Principal Accountant General (Audit-I)
Madhya Pradesh**

Place: Gwalior

Date: 22/09/2023

A K B JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

AB HOUSE
E-2/316, Arera Colony, Bhopal -462016
☎ :0755-2420163, 2420319

To,
The Director (Finance),
M.P. Metro Rail Corporation Ltd.,
Bhopal.

Subject: Clarification regarding Point No. (i)(c) of Annexure-A to the independent auditor's report.

Madam,

With reference to above mentioned subject, in respect of our audit report issued for financial year 2022-23, this is to bring to your notice that due to typographical error in Point No. (i) (c) of Annexure - A to the independent auditor's report the fact that "further title of these properties are in the name of promoter". It has been typed as "further title of none of these properties are in the name of promoter, director, relative of promoter or director and employee of the promoter of the director".

However, it should be noted that a reference is also made by us towards Note No. 17 of additional Notes to Accounts for further details wherein such fact that the title is held in the name of promoter is disclosed correctly.


Therefore, in Point No. (i)(c) of Annexure - A to the independent auditor's report the word "further title of none of these properties are in the name of promoter, director, relative of promoter or director and employee of the promoter of the director" should be read as "further title of these properties are in the name of promoter".

Further, we assure to be more cautious while drafting our audit report.

Kindly take the note of above and do the needful.

For A K B JAIN & CO.
Chartered Accountants
FRN-003904C

(Sd/-)
Pawan Dharamdasani
(Partner)
M. No.430739
Place: Bhopal
Date: 14.08.2023



A K B JAIN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

AB HOUSE
E-2/316, Arera Colony, Bhopal -462016
☎ :0755-2420163, 2420319

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
Members of
Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited,
Bhopal

Report on the audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED, BHOPAL** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as the "financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023 and its **Profit** including other comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing ("SA"s) as specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013 as amended ("the Act"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements" section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following Notes to the accompanying Financial Statements:-

1. Note No. 24 regarding "Changes in Accounting Policy, Changes in Accounting Estimate and Error" wherein the company has disclosed the reasons for restatement of Financial Statements of Previous year, either due to change or due to adoption of new accounting policies by the company so as ensure compliance of Ind. AS.
2. Note No. 13 regarding "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" wherein the company has disclosed the ongoing dispute with M/s Rohit Associates pending before Hon'ble MSEFC, Mumbai in respect of DPR consultancy fee for Bhopal & Indore Metro Rail Projects, the financial impact of which cannot be ascertained till the disposal of the dispute.

Our opinion is not modified in respect of all the matters mentioned above.

Other information

The Company's Board of Directors is responsible for preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management.


Discussion and Analysis, Board's Report including annexure to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether such other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in sub section (5) of Section 134 of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the Accounting Principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection



and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are

reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the audit of financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with the mall relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.


Materiality is the magnitude of misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work,

and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements for the financial year ended March 31, 2023 and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act, 2013, we provide "Annexure-A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the said order.



2. The Comptroller and Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of sub-section (5) of the section 143 of the Companies Act, 2013, the compliance of which is set out in "Annexure-B".
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
 - c) The Balance Sheet and Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.
 - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
 - e) Pursuant to Gazette Notification no. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of section 164(2) of the Act are not applicable to the Company, being a Government Company;
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company with reference to these financial statements and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C" to this report.
 - g) Pursuant to Gazette Notification no. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of section 197 of the Act are not applicable to the Company, being a Government Company; and
 - h) With respect to the other matter to be included in the Auditor's report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rule, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us:
 - (a) According to the information provided by the management, the company has disclosed the impact of pending litigation on its financial position in its financial statements (Refer Note No.13 relating to contingent liabilities to the financial statements).
 - (b) The company does not have long term contracts including derivative contracts for which there are any material foreseeable losses.
 - (c) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - (d) (i) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts to the Financial Statements, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by

the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ii) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(iii) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that


the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (i) and (ii) above, contain any material misstatement.

- (e) The company has not declared or paid dividend during the year.
- (f) Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023

For AKB Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 003904C

Sd/-
PAWAN DHARAMDASANI
(Partner)
M.No:430739

Place: Bhopal
Date: 10.07.2023
UDIN: 23430739BGVWP12580



ANNEXURE-A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

REFERRED TO IN PARAGRAPH "REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS" OF OUR REPORT ON EVEN DATE TO THE MEMBERS OF MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED.

(i)

(a)

- (A) The company has maintained reasonable records showing full particulars, quantitative details and the situation of Property, Plant & Equipment.
- (B) The company does not have any intangible assets. Hence, this clause is not applicable.
- (b) The Company has a regular programme of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which Property, Plant and Equipment are verified by the internal team constituted by the management. As per the report provided to us, no discrepancies were noticed on such verification.
- (c) According to the information & explanations given to us by the management & on examination of the records produced before us, we report that the title deeds of the following immovable properties are not held in the name of the company as at balance sheet date.

Description of Assets	No. of Properties	Area	Gross Block as on 31.03.2023 (Rs. In lakhs)
PPE- Freehold Land	12	67.0466 Hact.	491.42

These properties have been acquired by the Company at different dates since inception of the Company. Further, title of none of these properties are in the name of promoter, director, relative of promoter or director and employee of the promoter or director (also refer Note no.17 of Additional Notes to Accounts for further details).

- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.
- (e) According to the information & explanation given to us by the management and on the basis of our examination of the records of the Company, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 & Rules made thereunder.

(ii)

- (a) As per the information and explanation given to us by the management, there is no inventory held by the company. Hence, this clause is not applicable.

- (b) As per the information and explanation given to us by the management, the Company does not have working capital limit in excess of five crore rupees during the year, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Hence, this clause is not applicable.
- (ii) As per the information and explanation given to us by the management and relevant records, the company has not made any investments, provided any loans or advances in the nature of loans or guarantee to companies, firms Limited Liability Partnerships or any other parties during the year. Hence, the sub-clauses(a), (b), (c), (d), (e) and (f) are not applicable.
- (iv) In our opinion, & according to information & explanation given to us, the company has not granted any loan or guarantee or has not made investments or provided any guarantee and security to the parties covered under sections 185 and 186 of the Act.
- (v) As per the information and explanation given to us by the management and relevant records, the company has not accepted any deposits or amount which are deemed to be deposits, which are in contravention to the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the companies Act and the rules framed there under. Further, no order has been passed by Company law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any Court or any other Tribunal.
- (vi) To the best of our knowledge and as explained, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 in respect of the activities carried on by the Company.
- (vii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, no undisputed statutory dues were in arrears as at 31st March 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (a) As per the information and explanation given to us, no disputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employee's State Insurance, Income-tax, Goods and Service Tax, Cess and other statutory dues were outstanding, at the year end.
- (viii) As per the information and explanation given to us by the management and relevant records, there was no transaction found unrecorded in the books of accounts of the company which have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act 1961.

(ix)

- (a) Based on our audit procedures and on the information, explanations and representation given by the management, we are of the opinion that the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our audit procedure, we report that the company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
- (c) Based on our audit procedures and on the information and explanations given by the management, the company has utilized the money obtained by way of term loan during the year for the purposes for which they were obtained.
- (d) According to the information and explanation given to us, and the procedures performed by us, and on an overall examination of the financial statements of the company, we report that no fund raised on short-term basis, have been used for long-term purpose by the company.
- (e) According to the information and explanation given to us, and the procedures performed by us, the company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint venture as defined under the Act.
- (f) According to the information and explanation given to us, and the procedures performed by us, the company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.

(x)

- (a) The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Accordingly, this clause of the Order is not applicable.
- (b) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, this clause is not applicable.

(xi)

- (a) During the course of our examination of the books and records of the company carried out in accordance with generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanation given to us, we have neither come across any instance of fraud on or by the company, noticed or reported during the year, nor we have been informed of such case by the management.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by us in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.

- (c) As per information and explanation given by the management there were no whistle blower complaints received by the company during the year.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company is not a Nidhi Company as defined under section 406 of the Companies Act, 2013. Accordingly, this clause including sub clauses are not applicable.
- (xiii) According to the information and explanation provided to us, there were no transactions with the related parties in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013.
- (xiv)
- (a) In our opinion and based on our examination, the company has an internal audit system which is commensurate with the size and nature of business except the frequency of internal audit which should be commensurate with the level of activity undertaken by the auditor.
- (b) We have considered internal audit reports of the company issued till date, for the period under audit.
- (xv) According to the information and explanation given to us, during the year the company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them. Hence, provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 have not applicable to the company.
- (xvi)
- (a) The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (b) According to the information and explanation given to us the company has not conducted non-banking financial or housing finance activities.
- (c) The Company is not a Core Investment Company, as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Hence this clause and sub-clause (d) is not applicable.
- (xvii) The company has not yet commenced commercial activities and it is under the implementation stage, thus, reporting requirements under this clause with respect to cash losses is not applicable to it.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly reporting under this clause is not applicable.
- (xix) According to the information and explanations given to us by management and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payments of financial liabilities, other information accompanying the financial statement our knowledge of the board of directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they

fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company and we further state that our reporting is based upon the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

- (xx) The company falls within the limits specified under section 135 of Companies Act. However the company does not have positive average net profits as prescribed in section 135 of the companies act, therefore the company is not required to spend any money towards CSR. Hence this clause and sub clause is not applicable.
- (xxi) The reporting requirements under clause 3(xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the company. Accordingly no comment has been included in respect of said clause under this report.

For AKB Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 003904C

Sd/-
PAWAN DHARAMDASANI
(Partner)
M.No:430739

Place: Bhopal
Date: 10.07.2023
UDIN: 23430739BGVWP12580

ANNEXURE-B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 3 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section our report of even date to the Members of **MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED** on the Financial Statements for the year ended 31st March 2023.

Report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor general under Sub-section 5 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

- 1. Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT System? If yes, the implications of processing accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**
 - The Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Software is Password protected and authorization to access such software is only with the authorized person to safeguard integrity.
 - Based on the audit procedures carried out and as per the information and explanations given to us, no accounting transactions have been processed/ carried outside the IT system. Accordingly, there are no implications on the integrity of the accounts.

- 2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then its direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company).**
 - On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that no restructuring of loans has been done.

- 3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**
 - On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that funds received from GoMP & GOI has been properly accounted for and utilized for the projects as per the terms and conditions of the sanction.

- 4. Whether the company has taken adequate measures to prevent encroachment of idle land owned by it. Whether any land of the Company is encroached, under litigation, not put to use or declared surplus? Details may be provided.**
 - On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that lands under possession of the company are free from encumbrances and suitable measures are in place to protect the same.
- 5. Whether the system in vogue for identification of projects to be taken up under Public Private Partnership is in line with the guidelines/policies of the Government? Comment on deviation if any.**
 - On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that the system in vogue for identification of projects to be taken up under public private partnership is in line with the guidelines/ Policies of the government. Further, there are no PPP projects undertaken currently.
- 6. Whether system for monitoring the execution of work vis-à-vis the milestones stipulated in the agreement is in existence and the impact of cost escalation, if any, revenues/losses from contracts, etc., have been properly accounted for in the books.**
 - On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that the system for monitoring the milestone for execution of work is in place i.e. various officers are there in the company for monitoring the execution of work in addition to General Consultant having various level of experts. Further, as there is no contract closures in F.Y. 2022-23 accordingly, there have been no losses from the contracts during the financial year.
- 7. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for utilized? List the cases of deviations.**
 - On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that funds received from GoMP & GOI has been properly accounted for and utilized for the projects.
- 8. Whether the bank guarantees have been revalidated in time?**
 - On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that all the bank guarantees have been revalidated in time, wherever required.
- 9. Comment on the confirmation of balances of trade receivables, trade payables, term deposits, bank accounts and cash obtained.**

- On the basis of information provided by the management and records produced before us, we report that confirmation of balances of bank accounts including term deposits have been obtained. There is no trade payables/receivables/cash-in-hand as on 31.03.2023.

10. The cost incurred on abandoned projects may be quantified and the amount actually written off shall be mentioned.

- On the basis of information provided by the management and records produced before us we report that no such instance has been observed in FY 2022-23

For AKB Jain & Co

Chartered Accountants

FRN: 003904C

Sd/-

PAWAN DHARAMDASANI

(Partner)

M.No:430739

Place: Bhopal

Date: 10.07.2023

UDIN: 23430739BGVWP12580

ANNEXURE-C

(REFERRED IN OUR REPORT OF EVEN DATE)

Referred to in paragraph 4(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section our report of even date to the Members of MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED on the Financial Statements for the year ended 31st March 2023.

Report on the Internal Financial Controls with reference to Standalone Financial Statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the act")

In conjunction with our audit of the financial statements of Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited as at and for the year ended March 31, 2023, we have audited the internal financial controls over financial reporting of the Company on that date.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control over Financial Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective companies policies, safeguarding the assets of the company, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information's, as required under the Act.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the relevant Guidance Note (Audit of Internal Financial Controls Over Financial Controls) and the Standards on Auditing, both, issued by the ICAI and are deemed prescribed under sub-section (10) of the section 143 of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements.

MEANING OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING


A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that;

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

INHERENT LIMITATIONS OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS OVER FINANCIAL REPORTING

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.



OPINION

In our opinion, the Company has, maintained in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For AKB Jain & Co
Chartered Accountants
FRN: 003904C

Sd/-
PAWAN DHARAMDASANI
(Partner)
M.No:430739
Place: Bhopal
Date: 10.07.2023
UDIN: 23430739BGVWP12580

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

CIN No. U75100MP2015SGC034434

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

₹ in Lakhs)

Particulars		Note No.	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
(1)	ASSETS :			
	Non-current Assets			
(a)	Property, Plant & Equipment	3, 3 a	1,353.87	1,464.23
(b)	Capital Work in Progress	4	1,96,713.35	70,030.08
(c)	Financial Assets			
	(i) Investments		-	-
	(ii) Trade Receivables		-	-
	(iii) Loans		-	-
	(iv) Other Financial Assets	5	40.21	37.58
(d)	Deferred Tax Assets (Net)	7	449.09	111.44
(e)	Other Non-current Assets	6	46,123.23	15,308.15
	Total Non-Current Assets		2,44,679.75	86,951.48
(2)	Current Assets			
(a)	Inventories		-	-
(b)	Financial Assets			
	(i) Investments		-	-
	(ii) Trade Receivables		-	-
	(iii) Cash and cash equivalents	9	11,562.97	1,12,076.36
	(iv) Bank balance Other than Cash and cash equivalents	10	60,000.00	-
	(v) Loans		-	-
	(vi) Other Financial Assets	5	2,753.35	487.38
(c)	Current Tax Assets (Net)	8	253.19	19.51
(d)	Other Current Assets	6	832.88	19.71
	Total Current Assets		75,402.39	1,12,602.96
	TOTAL ASSETS		3,20,082.14	1,99,554.44
	EQUITY AND LIABILITIES:			
(1)	Equity			
(a)	Equity Share capital	11	1,20,800.00	1,20,800.00
(b)	Other Equity	12	24,208.83	(410.89)
	Total Equity		1,45,008.83	1,20,389.11

Particulars		Note No.	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Liabilities				
(2)	Non-current Liabilities :			
(a)	Financial Liabilities			
	(i) Borrowings	13	1,41,584.96	68,109.00
	(ii) Trade Payables		-	-
	(iii) Other financial liabilities	14	2,269.84	3,981.59
(b)	Provisions	16	68.59	-
(c)	Deferred Tax Liabilities (Net)		-	-
(d)	Other Non-Current liabilities		-	-
	Total Non-current Liabilities		1,43,923.39	72,090.59
(3)	Current Liabilities			
a)	Financial Liabilities			
	(i) Borrowings		-	-
	(ii) Trade Payables		-	-
	(iii) Other financial liabilities	14	29,193.84	6,511.45
(b)	Other current liabilities	15	1,899.34	563.29
(c)	Provisions	16	56.74	-
(d)	Current Tax Liabilities (net)		-	-
	Total Current Liabilities		31,149.92	7,074.74
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		3,20,082.14	1,99,554.44

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 22

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date

For A K B Jain & Co.
Chartered Accountants
FR No. 003904C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Pawan Dharamdasani
Partner
M. No. 430739

Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS : 7847

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance) & CFO
DIN : 09608369

Date : 10.07.2023
Place : Bhopal

Sd/-
(Neera) Mandloi)
Director
DIN : 02037213

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN : 05277748

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

CIN No. U75100MP2015SGC034434

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars		Note No.	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
I	Revenue from Operations		-	-
II	Other Income	17	3,681.99	1,766.04
III	Total Income (I+II)		3,681.99	1,766.04
IV	Expenses			
	Operating expense		-	-
	Change in inventories		-	-
	Employee benefits expense	18	1,314.54	344.79
	Other expenses	19	1,624.88	832.52
	Finance costs	20	60.78	30.62
	Depreciation and amortization expense	3, 3 a	220.79	129.52
	Total expenses (IV)		3,220.99	1,337.45
V	Profit/(loss) before exceptional items and tax (III-IV)		461.00	428.59
VI	Exceptional Items	21	-	113.49
VII	Profit/(loss) before tax (V-VI)		461.00	315.10
VIII	Tax Expense:			
	(i) Current tax		456.93	51.03
	(2) Deferred tax		(337.65)	(98.18)
IX	Profit (Loss) for the period (VII-VIII)		341.72	362.25
X	Other Comprehensive Income			
A(i)	Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
A(ii)	Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		-	-
B(i)	Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
B(ii)	Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
	loss			

XI	Total Comprehensive Income for the period (IX+X) Comprising		341.72	362.25
	Profit(Loss) and Other Comprehensive Income for the period)			
XII	Earnings per equity share	22		
	(1) Basic		0.03	0.10
	(2) Diluted		0.03	0.10

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements: 1 to 22

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date.

For A K B Jain & Co.
Chartered Accountants
FR No. 003904C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Pawan Dharamdasani
Partner
M. No. 430739

Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS : 7847

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance) & CFO
DIN : 09608369

Date : 10.07.2023
Place : Bhopal

Sd/-
(Neeraj Mandloi)
Director
DIN : 02037213

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN : 05277748

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

CIN No. U75100MP2015SGC034434

Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2023		For the year ended 31.03.2022	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :				
Net Profit Before Tax	461.00		315.10	
Adjustment for: Depreciation	220.79		129.52	
Unwinding Interest on Financial Assets	(2.62)		(1.18)	
Interest on FDR	(3,002.53)		(1,512.81)	
(Profit)/Loss on Sale of Assets	(0.01)		-	
Foreign Exchange (Gain)/Loss	(1.54)		-	
PPE Written off	(0.17)		-	
Finance cost	60.78		30.62	
Operating Profit Before Working Capital Changes		(2,263.96)		(1,038.75)
Adjustments for changes in working capital				
Inventories	-		-	
Trade receivables	-		-	
Loans and other Assets	(1,195.01)		(15.07)	
Trade payable	-		-	
Provisions and other Liabilities	22,538.83		(26,042.11)	
		21,342.82		(26,057.18)
Cash generated from Operations		19,078.86		27,095.93
Taxes	(690.62)	(690.62)	24.98	24.98
Net Cash flow from / (used in) Operating Activities		18,388.24		27,070.95
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:				
Capital Advances	(30,819.28)		(11,838.08)	
Purchase of Fixed Assets/Capital WIP	(126,794.40)		(41,770.14)	
Disposal of asset	0.52		-	
Profit/(Loss) on Sale of Assets	0.01		-	
(Addition) / Release of Fixed Deposit	(60,000.00)		-	
Foreign Exchange (Gain)/Loss	1.54		-	
Interest Received on FDR	1,123.60		1,025.43	
Net Cash flow from/(used in) Investing Activities		(2,16,488.01)		(52,562.79)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:				
Increase in Share Capital & Share Application Money	24,278.00		85,582.00	
Proceeds of Long Term Borrowings	73,475.96		61,195.00	
Principal Payment of lease liabilities	(106.80)		(49.27)	
Interest paid on lease liabilities	(60.78)		(30.62)	
Interest paid other than on lease liabilities	-		-	
Net Cash flow from / (used in) Financing Activities		97,586.38		1,46,697.11
Net Increase/ (decrease) in Cash & Cash Equivalents		(1,00,513.39)		67,043.37
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period		1,12,076.38		45,032.99
Cash and Cash Equivalents at the end of the period		11,562.97		1,12,076.36

Note: The above statement of cash flows has been prepared under the indirect method as set out in IND AS 7 statement of cash flows notified w/s 133 of companies act, 2013 ("act") read with rule 4 of the companies (Indian Accounting Standards) rules 2015 and the relevant provision of the act.

As per our report of even date

For A K B Jain & Co.
Chartered Accountants
FR No. 003904C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Pawan Dharamdasani
Partner
M. No. 430739


Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS: 7847

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance) & CFO
DIN: 09608369

Date : 10.07.2023
Place: Bhopal

Sd/-
(Neeraj Mandloi)
Director
DIN: 02037213

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN: 05277748



MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

CIN No. U75100MP2015SGC034434

Statement of Changes in Equity as at 31st March, 2023

a Equity Share Capital
For the Year ended 31.3.2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 March 2022	Changes in equity share capital during the year 2022-23	As at 31 March 2023
Equity Share Capital	1,20,800.00	-	1,20,800.00

For the Year ended 31.3.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31 March 2021	Changes in equity share capital during the year 2021-22	As at 31 March 2022
Equity Share Capital	35,218.00	85,582.00	1,20,800.00

b Other Equity
For the Year ended 31.3.2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share Application Money pending for allotments	Reserves and Surplus Retained Earning	Other Comprehensive Income (OCI)	Total
Balance at the beginning of the reporting period as at April 1, 2022	-	(410.89)	-	(410.89)
Share Application money received/Share Allotted	24,278.00	-	-	24,278.00
Profit / (loss) for the year (a)	-	341.72	-	341.72
Other Comprehensive Income (b)	-	-	-	-
Total Comprehensive Income for the year	-	341.72	-	341.72
Adjustments	-	-	-	-
Balance at the end of the reporting period as at March 31, 2023	24,278.00	(69.17)	-	24,208.83

For the Year ended 31.3.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share Application Money pending for allotments	Reserves and Surplus Retained Earning	Other Comprehensive Income (OCI)	Total
Balance at the beginning of the reporting period as at April 1, 2021	-	(773.14)	-	(773.14)
Share Application money received/Share Allotted	-	-	-	-
Profit / (loss) for the year (a)	-	362.25	-	362.25
Other Comprehensive Income (b)	-	-	-	-
Total Comprehensive Income for the year	-	362.25	-	362.25
Adjustments	-	-	-	-
Balance at the end of the reporting period as at March 31, 2022	-	(410.89)	-	(410.89)

As per our report of even date.

For A K B Jain & Co.
Chartered Accountants
FR No. 003904C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Pawan Dharamdasani
Partner
M. No. 430739

Date : 10.07.2023
Place : Bhopal

Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS : 7847

Sd/-
(Neeraj Mandloi)
Director
DIN : 02037213

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance) & CFO
DIN : 09608369

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN : 05277748

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED
Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

Note 3: Property, Plant and Equipment (Owned)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation/Amortisation			Net Block		
	As at 1st April, 2022	Additions during the period	Disposals/ Deductions during the year	As at 31st March, 2023	As at 1st April, 2022	For the period	Depreciation on disposal	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Land	472.02	19.40	-	491.42	-	-	-	-	491.42	472.02
Furniture & Fixtures	203.62	18.04	0.83	220.83	91.26	32.50	0.65	123.11	97.72	112.36
Computer & Printers	60.81	45.66	0.94	105.53	36.82	24.81	0.42	61.21	44.32	23.69
Office Equipment	47.54	21.97	-	69.51	36.30	8.56	-	44.86	24.65	11.24
Mobile Set	-	6.06	-	6.06	-	2.00	-	2.00	4.06	-
Total	783.99	111.13	1.77	893.35	164.38	67.87	1.07	231.18	562.17	619.61

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation/Amortisation			Net Block		
	As at 1st April, 2021	Additions during the period	Disposals /Deductions during the year	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the period	Depreciation on disposal	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Land	-	472.02	-	472.02	-	-	-	-	472.02	-
Furniture & Fixtures	203.62	-	-	203.62	52.02	39.24	-	91.26	112.36	151.60
Computer & Printers	34.74	26.07	-	60.81	27.91	8.91	-	36.82	23.99	6.83

Particulars	Gross Block			Depreciation/Amortisation			Net Block	
	As at 1st April, 2021	Additions during the period	Disposals /Deductions during the year	As at 31st March, 2022	As at 1st April, 2021	For the period	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Office Equipment	37.22	10.32	-	47.54	27.83	6.47	36.30	11.24
Mobile Set	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	275.58	508.41	-	793.99	107.76	56.62	164.38	167.82

Explanatory Note

In accordance with Significant Accounting policy No. 2.5 of the company Land parcel received / acquired from various State Government / State Government Bodies / Departments are accounted for at nominal value. Accordingly the land parcel received during Financial Year 22-23 is recognised at Nominal value and a corresponding effect is given to SD. In accordance with Ind AS 8, for Financial Year 21-22, there is a increase of land and SD by Rs. 4. Further as per accounting policy cost of R&R is added to the cost of land.

Accordingly R&R done during Financial Year 22-23 is recognised in land and a corresponding effect is given to CWIP/advance by Rs. 19.40 lakh.

In accordance with Ind AS 8, for Financial Year 21-22, there is a increase of land by Rs. 472.02 lakhs and decrease in CWIP/advance by Rs.472.02 lakh. Title deeds of the immovable porperties held in the name of the MPMRCL— Nil.

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

Note 3 a Property, Plant & Equipment (Right of use Assets)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Gross Carrying Amount		
Opening	917.52	-
Additions During the Year	-	917.52
Disposals	-	-
Gross Carrying Amount	917.52	917.52
Accumulated Depreciation & Amortization		
Opening	72.90	-
Amortization charged During the Year	152.92	72.90
Disposals	-	-
Accumulated Depreciation/ Amortization	225.82	72.90
Net carrying amount	691.70	844.62

Explanatory Note

The Company has adopted Ind AS 116, where the right of use assets is equal to the lease liability. The company has applied the standard to its leases, pursuant to which recognition of leasing arrangement as Right-of-use asset from the date of lease agreement. Accordingly, previous period information has been restated. This has resulted in initial recognising a right-of-use asset of Rs. 917.52 lakhs and lease liability of Rs 917.52 lakhs in terms of Accounting Policy No 2.17. Amortisation expenses for the right-of-use asset and finance cost on lease liability is recognised in the statement of profit and loss.

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

Note 4 : Capital Work in Progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2022	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalised/ Transfer During the Year	As at 31.03.2023
CWIP- Civil Structure & Building	48,395.05	80,157.81	128,552.86	-	128,552.86
CWIP- Permanent Way	-	3,787.65	3,787.65	-	3,787.65
CWIP- Exp During Construction	21,635.03	9,496.94	31,131.97	-	31,131.97
CWIP - Rolling Stock	-	6,271.93	6,271.93	-	6,271.93
CWIP - Traction & Power	-	23,409.54	23,409.54	-	23,409.54
CWIP - Signalling & Telecom	-	2,320.65	2,320.65	-	2,320.65
*Construction Stores	-	1,238.75	1,238.75	-	1,238.75
Total	70,030.08	126,683.27	196,713.35	-	196,713.35

* Construction stores of Rs. 1178.36 Lakhs (P.Y. Nil) lying with contractors.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalised/ Transfer During the Year	As at 31.03.2022
CWIP- Civil Structure & Building	11,391.97	37,003.08	48,395.05	-	48,395.05
CWIP- Exp During Construction	18,293.89	3,341.14	21,635.03	-	21,635.03
Total	29,685.86	40,344.22	70,030.08	-	70,030.08

CWIP Ageing Schedule
Capital Work in Progress - Bhopal

(₹ in Lakhs)

Project In Progress Particulars	Amount in CWIP for a period of				Total CWIP as on 31.03.2023
	>3 yr	2-3 yr	1-2 yr	<1 yr	
CWIP- Civil Structure & Building	3,286.94	7,658.24	16,112.49	16,507.00	43,564.67
CWIP- Permanent Way	-	-	-	784.86	784.86
CWIP- Exp during construction	3,394.24	2,687.12	4,138.48	8,884.53	19,104.37
CWIP - Rolling Stock	-	-	-	3,256.57	3,256.57
CWIP - Traction & Power	-	-	-	9,113.29	9,113.29
CWIP - Signalling & Telecom	-	-	-	1,162.21	1,162.21
Construction Stores	-	-	-	60.38	60.38
Gross Total (Project In Progress)	6,681.18	10,345.36	20,250.97	39,768.84	77,046.35
Project Temporarily Suspended	-	-	-	-	-

Capital Work in Progress - Indore

(₹ in Lakhs)

Project In Progress Particulars	Amount in CWIP for a period of				Total CWIP as on 31.03.2023
	>3 yr	2-3 yr	1-2 yr	<1 yr	
CWIP- Civil Structure & Building	1,338.84	4,749.03	15,249.50	63,650.81	84,988.18
CWIP- Permanent Way	-	-	-	3,002.79	3,002.79
CWIP- Exp during construction	3,667.78	2,903.67	4,643.75	612.41	12,027.61
CWIP - Rolling Stock	-	-	-	3,015.36	3,015.36
CWIP - Traction & Power	-	-	-	14,296.25	14,296.25
CWIP - Signalling & Telecom	-	-	-	1,158.45	1,158.45
Construction Stores	-	-	-	1,178.36	1,178.36
Gross Total (Project In Progress)	5,006.62	7,652.70	20,093.25	86,914.43	119,667.00
Project Temporarily Suspended	-	-	-	-	-

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITEDs

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current
5	Other Financial Assets				
	Security Deposit	40.21	50.05	37.58	-
	Interest Accrued But Not Due on FD, Sweep FD, Saving A/c	-	2,366.31	-	487.38
	Other	-	1.00	-	-
	Grant Receivable From GDI	-	335.99	-	-
	Total	40.21	2,753.35	37.58	487.38

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current
6	Other Assets				
	Capital Advances				
	Advance to Contractor against Bank Guarantees				
	(Secured and Considered Good) :				
	Mobilization Advances	41,434.32	-	10,362.43	-
	(Unsecured and Considered Good) :				
**	Advances for Capital Expenditure	4,677.41	-	4,930.01	-
	Other Advances	-	2.83	-	2.13
***	Deposit	-	811.15	-	-
	Prepaid Expenses	0.84	15.86	2.01	14.55
	Deferred Cost due to Fair Valuation :				
	Pre-paid Rent Expenses	10.66	3.04	13.70	3.03
	Total	46,123.23	832.88	15,308.15	19.71

* Receivable from Central Bank of India

** Advances given to government bodies/authorities/railways for Capital Expenditure.

*** Deposits with MPPKVCL of Rs. 811.16 Lakhs will be adjusted against energy consumption.

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
7	Deferred Tax Assets (Net) :		
	At the beginning of the year	111.44	13.26
	Charged / (Credit) to Statement of Profit and Loss	337.65	98.18
	Total	449.09	111.44

Explanatory note:

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Tax effect on items constituting deferred Tax Assets		
Carrying value of Depreciable PPE as per the Income Tax Act	264.56	222.73
Carrying value of Depreciable PPE as per the Books	170.75	147.58
Sub total (DTA)	93.80	75.15
Provision for Employee Benefit (DTA)	70.95	-
Difference in carrying value of CWIP (DTA)	1,549.90	344.03
Carrying value of lease Assets (DTL)	691.70	844.62
Carrying value of lease liability (DTA)	761.45	868.25
Net Value	1,784.41	442.81
Tax Rate	25.17%	25.17%
Total Deferred Tax Assets	449.09	111.45

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
8	Current Tax Assets		
	Provision during the year	456.93	51.03
	Current Advance Tax including TDS	710.12	70.54
	Total	253.19	19.51

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
9	Cash and cash equivalents		
	Cash in hand Balances with banks (Current / Sweep / Saving & FDR) Deposits with maturity of less than three months	11,562.97	1,12,076.36
	Total	11,562.97	1,12,076.36

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
10	Bank balance Other than Cash and cash equivalents Deposits having original maturity more than 3 months and maturing within 12 months	60,000.00	-
	Total	60,000.00	-

The above includes unutilized Equity Contribution

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

Note	Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		No of shares	Rs. in INR	No of shares	Rs. in INR
T1 A	Share capital Authorised				
	Equity Shares at par face value of Rs. 10/- each	5,00,00,00,000	50,00,00,00,000	5,00,00,00,000	50,00,00,00,000
	Preference Share at par face value of Rs. 10/- each	-	-	-	-
B	Issued, Subscribed and fully paid up				
	Equity Shares at par face value of Rs. 10/- each	60,40,00,000	60,400	60,40,00,000	60,400
	Paid Up Share Capital (GoI)	60,40,00,000	60,400	60,40,00,000	60,400
	Paid Up Share Capital (GoMP)	1,20,80,00,000	1,20,800	1,20,80,00,000	1,20,800
C	Reconciliation of the number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period are as given below:				
		As at March 31, 2023	As at March 31, 2022		
	Number of shares outstanding at the beginning of the period	No. of shares	No. of shares	Rs. in Lakh	Rs. in Lakh
	Add: Share issued during the year	1,20,80,00,000	3,52,180,000	1,20,800	35,218
Less: Number of shares outstanding at the end of the period	-	8,55,850,000	-	85,582	
	1,20,80,00,000	1,20,80,00,000	1,20,800	1,20,800	
D	Terms/rights attached to equity shares				
	i) The company has only one class of equity shares having par value of Rs. 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.				
	ii) In the event of liquidation of the company, the holders of Equity Shares will be entitled to receive remaining assets of the Company. The distribution will be in proportion to the number of Equity Shares held by the shareholders.				
	iii) Each Shareholder has the right to receive the dividend as proposed by the Board of Directors and it is subject to the approval of the Shareholders in the ensuing Annual General Meeting.				
E	Details of equity shareholders holding more than 5% shares in the company				
		As at March 31, 2023	As at March 31, 2022		
	Name of the promoters/shareholders	No. of shares	No. of shares	%	%
	Governor of Madhya Pradesh	60,39,99,995	60,39,99,995	49.999	49.999
President of India	60,39,99,995	60,39,99,995	49.999	49.999	
Further, 5 shares are held by nominees of GoI and 5 shares are held by nominees of GoMP by virtue of their post in MPMRCL.					

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
12	Other Equity		
	Retained Earnings		
	Surplus at the beginning of the year	(410.89)	(773.14)
	Profit/loss during the year	341.72	362.25
	Transfer during the year		
	Total	(69.17)	(410.89)
	Share Application Money Pending for Allotment		
	Opening Balance:		
	GoI	-	-
	GoMP	-	-
	Money received during the year:		
	GoI	24,278.00	-
	GoMP	-	-
	Closing Balance		
GoI	24,278.00	-	
GoMP	-	-	
	Total	24,208.83	(410.89)

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current
13	Borrowings				
	Loan from GOI (PTA)	45,522.00	-	30,726.00	-
	Current Maturities of Long term Borrowings	-	-	-	-
	Interest Free Subordinate Debt				
	Interest Free Subordinate Debt from GoI for Taxes	19,863.00	-	11,181.00	-
	Interest Free Subordinate Debt from GoMP for Taxes	35,990.00	-	1,200.00	-
	Interest Free Subordinate Debt from GoMP for Land and	20,000.00	-	20,000.00	-
	Interest Free Subordinate Debt from GoMP for IDC	20,209.96	-	5,000.00	-
	Total	141,584.96	-	68,109.00	-

Explanatory Note:

Interest Free Subordinate Debts from GoI & GoMP are repayable after the repayment of Interest Bearing external borrowings. Loan/ Subordinate Debt provided by GoI/ GoMP are at the same terms and conditions at which such loans are provided to other metro projects and are therefore considered to be at fair value.

Interest bearing loan from GoI against European Investment Bank includes INR 455.22 Crore received from GoI for Bhopal project but the amount has not been released from EIB to GoI. Hence the terms of the loan are unidentified.

European Investment Bank (EIB) has signed Finance contract to Finance Euro 250 Million & Euro 150 Million on 20 Dec 2019 & 8 Dec 2022 respectively, which are to be made available to MPMRCL through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from GoI. EIB loans are sovereign loans and therefore GoI is arranging PTA for execution of the works. However, there is no disbursement made by EIB to GoI. GoI till FY 2022-23 released INR 455.22 Crore under the head PTA to MPMRCL for the execution of Bhopal Project. The said PTA has been shown under Borrowings as Non Current liabilities. The Project agreement between EIB and the company was signed in March 2022.

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current
14	Other Financial Liabilities:				
	Earnest Money Deposits	-	375.67	-	16.59
##	Grant from MP Government	1,635.06	-	1,825.23	-
	Grant from Government of India	-	-	136.49	-
#	Retention / Deposit	-	6,480.57	1,258.42	-
	Payable to Contractors (CWIP)	-	21,499.18	-	5,810.90
	Other Payable	-	711.75	-	577.16
	Lease Liability	634.78	126.67	761.45	106.80
	Total	2,269.84	29,193.84	3,981.59	6,511.45

As the projects are under execution stage, the retention money are payable only after issue of taking over certificate. However as per tender clause regarding acceptance of BG in lieu of SD / Retention Money, Hence retention money as deducted from the amount of work done by the contractors has been classified under other Financial Liabilities (Current) in current year.

Grants from the Government/Non-Government or other authorities are shown as 'Grants' under other financial liabilities (Non-current). Further, there is no defined plan for consumption of full value of grant balance at the end of the FY.

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current
15	Other Liabilities				
	Other Statutory Dues :				
	Goods & Service Tax	-	614.92	-	57.21
	Income Tax Deducted at Source	-	1,046.27	-	468.74
	Labour Cess	-	237.50	-	36.97
	Professional Tax	-	0.38	-	0.37
	Income Tax Payable	-	0.27	-	-
	Total		1,899.34		563.29

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current
16	Provisions:				
	For Employee Benefits	27.83	23.40	-	-
	Leave Encashment provision				
	Post Retirement Medical Facility	10.24	-	-	-
	Employee Terminal Benefit	30.72	33.34	-	-
	Total	68.59	56.74	-	-

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	For the year ended	
		31.03.2023	31.03.2022
17	Other income		
	Interest Income	4,208.41	1,856.84
	less : Exp During Construction	(1,205.88)	(344.03)
	Interest Income from Bank deposits	3,002.53	1,512.81
	Sale of Tender Fees	9.32	30.13
	Profit on sale of assets	0.01	-
	Other Income	4.87	4.68
	Income on Fair Valuation (Unwinding of Interest on SD)	2.62	1.18
	Grant	662.64	217.24
	Total	3,681.99	1,766.04
17.1	Other Comprehensive Income		
	Gain on Financial Assets	-	-
	Unrealised Gain	-	-
	Total	-	-

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
18	Employee benefit expenses		
	Salaries and wages	1,206.59	316.04
	Contributions to Provident Fund & Others	107.95	28.75
	Total	1,314.54	344.79

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
19	Other expenses :		
1	Advertisement & Promotion Expenses	125.34	104.99
2	Bank Charges	0.12	0.02
3	Communication & IT Expenses	39.72	30.23
4	Consultancy Charges	562.64	217.24
5	Event, Seminar & Training Expenses	7.48	-
6	Office & Misc Expenses	18.30	13.25
7	Rates & Taxes	1.97	9.35
8	Legal & Professional Fees	36.12	8.85
9	Manpower Hiring Expense	122.59	83.40
10	Institutional Membership Fees	16.26	15.90
11	Office Rent & Electricity Expense	194.89	242.40
12	Printing & Stationary Expense	20.41	6.79
13	Stamp Duty	89.58	-
14	Tour and Travel Expenses	43.04	5.16
15	Vehicle Hiring Expenses	180.84	66.66
16	Written Off Fixed Assets (F&F)	0.17	-
17	Reimbursement Expenses	67.16	26.96
18	Audit Fees	-	-
	- Statutory Audit Fee	0.89	0.89
	- Tax Audit Fee	0.47	0.12
	- Internal Audit Fee	0.89	0.89
	Total	1,624.88	832.52

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
20	Finance Costs :		
	Interest Expenses		
	Unwinding of Interest Expenses Other Borrowing costs	60.78	30.62
	Total	60.78	30.62

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
21	Exceptional Items		
	Head Office Rent	-	12.06
	Reimbursement of Manpower expenses to Indore smart city Development Corp Ltd.	-	7.01
	Reimbursement of electricity expenses to Bhopal Smart city Development Corp Ltd.	-	92.17
	Duties and taxes	-	2.47
	Reversal of excess provision of previous year	-	(0.22)
	Total	-	113.49

(₹ in Lakhs)

Note	Particulars	For the year ended 31.03.2023	For the year ended 31.03.2022
22	Earning Per Share (EPS)		
	Profit after tax attributable to Equity Shareholders	341.72	362.25
	Weighted average number of Equity Shares (In nos.) - Basic	1,20,80,00,000	36,15,58,849
	Weighted average number of Equity Shares (In nos.) - Diluted	1,24,99,86,575	36,15,58,849
	Nominal Value of Equity per share (In Rs.)	10.00	10.00
	Basic Earnings per share (In Rs.)	0.03	0.10
	Diluted Earnings per share (In Rs.)	0.03	0.10

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

1. Corporate Information

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) is incorporated under the Companies Act, 2013 on 09th July, 2015 being Government Company within the meaning of Section 2 (45) of The Companies Act, 2013. The Company was set up by the Government of Madhya Pradesh (GoMP) with 100% shareholding and subsequently converted to a Joint Venture SPV of Government of India (GoI) and GoMP with 50:50 shareholding to implement Mass Rapid Transit System in Bhopal and Indore city by providing the Metro Rail and is entrusted with the tasks of subsequent expansion of the Metro network, its operation, maintenance and allied activities to ensure sustainable operations.

2. Significant Accounting Policies

The significant accounting policies applied by the company in the preparation of its financial statements are listed below. Such accounting policies have been applied consistently to all the periods presented in these financial statements unless otherwise indicated.

2.1 Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time and other relevant provisions of the Act.

2.2 Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared under the historic cost conversion with the exception of certain assets and liabilities that are required to be carried at fair value by Ind AS. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Financial statements are presented in Indian Rupee ('INR'), which is also the functional currency of the company.

2.3 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment are stated at original cost, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. When significant parts of Property, Plant and Equipment are required to be replaced at intervals, the Company de-recognizes the replaced part, and recognises the new part with its own associated useful life and it is depreciated accordingly. All repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit and loss as incurred.

Property, Plant and Equipment are eliminated from financial statements, either on

disposal or when retired from active use. Losses arising in the case of retirement of Property, Plant and Equipment and gains or losses arising from disposal of Property, Plant and Equipment are recognised in the statement of profit and loss in the year of occurrence.

Deposit Work/Contracts are capitalized on completion on the basis of statement of accounts received from executing agencies and in its absence on the basis of technical assessment of the work executed.

Depreciation on assets has been provided on WDV basis at the useful lives specified in the Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on additions/deductions is calculated pro-rata from/to the period of additions/deductions.

Property, Plant & Equipment, and Intangible Assets costing INR 5,000.00 or less have been depreciated/amortized fully in the year of purchase considering the materiality aspect.

The residual value of 5% of the original cost of the asset has been considered and deducted for charging depreciation as per Schedule II of Companies Act, 2013.

Mobile Handset provided to employees, depreciation has been provided on Straight Line method over useful life of asset i.e. 2 years based on technical estimation with no residual value.

The assets residual value, useful life and method of depreciation are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.4 Intangible assets

Software costs and other Intangible assets are included in the balance sheet as intangible assets when it is probable that associated future economic benefits would flow to the Company. In this case they are measured initially at cost of acquisition and then amortised on a WDV basis over their estimated useful lives. All other costs are expensed in the statement of profit and loss as and when incurred. Expenditure on research activities is recognized as an expense in the period in which it is incurred.

2.5 Land

Land is recognised as an asset on the basis of control as required by the Framework for the preparation and presentation of financial statements in accordance with Indian Accounting Standards.

The land parcels handed over by the landowners including various government bodies and departments and taken possession by the company have been capitalized at the time of taking the possession of the land by the company without waiting for the registration of title deeds in the name of the company.

Enhanced compensation, if any, shall be booked as and when the payment is due since the amount cannot be estimated.

Cost of rehabilitation and resettlement is added to the cost of land.

Payments made towards cost or compensation related to the land including leasehold land in possession, cost of acquisition of structures less sale proceeds of such structures demolished are treated as cost of the land or leasehold land.

Payment made towards land acquired on temporary basis is amortised over the possession period of the land.

Land parcels received/acquired from various State Government/State Government bodies/departments are accounted for at nominal value.

Land parcels identified in the alignment necessary for execution of project and acquired from other agencies/private parties are accounted at acquisition cost.

2.6 Capital Work-in-progress

Assets under installation and/or construction as at the balance sheet date are shown as Capital Work in Progress. In respect of works contract, Capital Work in Progress is booked on Engineers' work certification. Capitalization process is completed when the assets is ready for its intended use. Claims including price variations are accounted for on acceptance. Liquidated Damages are accounted for on settlement of final bill and deducted from Cost. Income pertaining to construction period such as interest income (other than from temporary deployment of funds received by way of equity, interest free subordinate-debt and grant) is adjusted against the expenditure during construction.

2.7 Impairment of Non-Financial Assets - Property, Plant and Equipment

The Company assesses at each reporting date as to whether there is any indication that any property, plant and equipment and intangible assets or group of assets, may be impaired. If any such indication exists the recoverable amount of an asset is estimated to determine the extent of impairment, if any. When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the CGU (cash generating unit) to which the asset belongs.

An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss to the extent, asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risk specific to the assets.

The impairment loss recognised in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

2.8 Finance Cost

Borrowing costs include exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying

asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use.

Interest income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

All other borrowing costs, if any are charged to the Statement of Profit and Loss for the period for which they are incurred.

2.9 Inventories

Inventories are valued as under:

- i. Raw material, Stores & Spares are valued at lower of cost or net realisable value whichever is lower. Cost is ascertained on weighted average basis.
- ii. Work in Process at cost including related overheads.
- iii. Finished Goods & Stock-In trade are valued at cost or estimated realisable value whichever is lower. Cost comprises of material, labour and applicable overhead expenses.

Cost of inventories comprises of cost of purchase, cost of conversion and other costs including manufacturing overheads in bringing them to their respective present location and condition.

However during the year or at the end of the financial year, the Company does not hold any inventory thus reporting requirements are not applicable to it.

2.10 Foreign Exchange Transactions

Transactions denominated in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the time of transaction.

Monetary items denominated in foreign currencies are translated at exchange rates as at the reporting date.

Exchange differences arising on the settlement or translations of monetary items are recognized in the Statement of Profit and Loss in the year in which these arise.

2.11 Revenue Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Amounts disclosed as revenue is net of returns, trade allowances, rebates, value added taxes and amounts collected on behalf of third parties.

The company recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the entity and specific criteria have been met for each of the company's activities. The company bases its estimates on historical results, taking into consideration the type of customer, the type of transaction and the specifics of each arrangement.

The company is not yet commenced its commercial activities thus the requirements of this clause is not applicable to it.

2.11.1 Interest Income

Interest is recognized on a time proportion, taking into account the amount outstanding and rate applicable.

2.11.2 Other Income

Other Income is recognised when right to receive is established.

2.12 Employee Benefits

2.12.1 Short Term Employee Benefits

All employee benefits falling due wholly within twelve months of rendering the service are classified as short-term employee benefits.

2.12.2 Post-Employment Benefits

a) **Defined Contribution Plans:** The obligation to employee's provident fund is a defined contribution plan. The contribution paid/payable is recognized in the period in which the employee renders the related service. The company has defined contribution plans where the company pays pre-defined amounts and does not have any legal or constructive obligation to pay additional sums for post-employment benefits.

b) **Defined Benefit Plan:**

Gratuity liability is a defined benefit obligation and obligation towards PRMBs, sick & earned leave is computed at the end of each Financial Year on the basis of an actuarial valuation and provided for.

2.13 Accounting for Taxes on Income

Income tax is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside the statement of profit and loss. Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

2.14 Financial instruments

2.14.1 Financial Assets

A) Initial recognition and measurement

All financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities, which are not at fair value through profit or loss, are adjusted to the fair value on initial recognition. Purchase and sale of financial assets are recognised using trade date accounting.

B) Subsequent measurement

For financial assets maturing within one year from the balance sheet date, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

2.14.2 Financial liabilities

A) Initial recognition and measurement

All financial liabilities are recognized at fair value and in case of loans, net of directly attributable cost. Fees of recurring nature are directly recognised in the Statement of Profit and Loss as finance cost.

B) Subsequent measurement

For trade and other payables maturing within one year from the balance sheet date, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

2.14.3 Effective Interest Rate (EIR) is calculated as follows:

- i. Financial assets & Financial Liabilities which are interest bearing at market rates: EIR in these cases are equivalent to instruments interest rate.
- ii. Other financial assets or Financial Liabilities: SBI – MCLR (1 Year)
- iii. Right of Use (ROU) Assets: SBI – MCLR (1 YEAR) applicable on the date of lease agreement.

2.15 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- a) Provisions are recognized for liabilities that can be measured only by using a substantial degree of estimation, if
 - i. The Company has a present obligation as a result of a past event.
 - ii. A probable outflow of resources is expected to settle the obligation, and
 - iii. The amount of the obligation can be reliably estimated.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

- b) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.
- c) Contingent Liability is disclosed in the case of
 - i. A present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation.
 - ii. A present obligation when no reliable estimate is possible, and
 - iii. A possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.
- d) Contingent Assets are disclosed, where an inflow of economic benefits is probable.
- e) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets are reviewed at each Balance Sheet date.

2.16 Earning Per Share

Basic EPS is computed by dividing the net profit or loss attributable to the equity shareholders of the Company by the weighted average number of Ordinary shares outstanding during the year. Diluted EPS is computed by adjusting the net profit or loss attributable to the ordinary equity shareholders and the weighted average number of ordinary equity shares outstanding, for the effects of all dilutive potential Ordinary shares.

2.17 Leases

Company as a lessee:

The company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified underlined asset, the company assesses whether:

- i. The contract involves the use of an identified underlying asset,
- ii. The company has substantially all the economic benefits from use of the underlying asset through the period of the lease, and
- iii. The company has the right to direct the use of the underlying asset.

At the date of commencement of the lease, the company recognises a right-of-use asset ("ROU") and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets.

For short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease. Lease charge payable against each lease agreement over the total tenure of lease period above Rs. 1.00 crore is considered as material and accordingly this standard is applied.

The ROU assets are initially recognised at cost, which consist of initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives.

The ROU assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

The ROU assets are amortized/depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the Effective Interest Rate (EIR). The lease liability is subsequently re-measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is re-measured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The re-measurement normally also adjusts the leased assets.

The Lease liability and ROU assets have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

In respect of assets acquired on lease by paying full consideration, being the transaction price, such assets have been recognised under the head ROU assets at transaction price with corresponding liability at nil. In other cases, ROU asset is equal to lease liability.

Land parcels acquired for the projects which have infinite/perpetual possession with the company and effective control also vests with the company, hence depreciation/amortisation is not required.

Company as a lessor :

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Rental income, if any, from operating lease is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease except the case where incremental lease reflects inflationary effect and lease expense is accounted in such case by actual rent for the period.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership are transferred from the company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

2.18 Segment Reporting - Identification of Segments

In the opinion of the management, there is only one reportable business segment as envisaged by Ind AS 108 on 'Operating Segment' issued by Institute of Chartered accountant of India. Accordingly, no separate disclosure for segment reporting is required to be made in the financial statements of the Company. Secondary, segmentation based on geography has not been presented as the Company operates primarily in India and the Company perceives that there is no significant difference in its risk and returns in operating from different geographic areas within India.

The 'Managing Director' is the chief operating decision maker who assesses the financial performance and position of the company and makes strategic decisions.

2.19 Use of estimates and judgement

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires that management of the Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and the disclosures relating to contingent liabilities as of the date of the financial statements. The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. The company has based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising beyond control of the management.

2.20 Prior Period Expenses and Income

Income / Expenditure relating to a prior period which does not exceed 0.50% of the total turnover / gross income are treated as Income / expenditure of current year.

2.21 Government Grant

Government grants are recognized where there is reasonable assurance that the grant will be received, and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognized as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is recognized as income in equal amounts over the life of the related assets in proportion to depreciation on those assets.

MADHYA PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Notes forming part of Financial Statements for the year ended 31st March, 2023

2.22 Additional Notes to Accounts**1. Funding Pattern of the Company**

Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited (MPMRCL) is incorporated under the Companies Act, 2013 on 09th July, 2015 being Government Company within the meaning of Section 2 (45) of The Companies Act, 2013. The Company was set up by the Government of Madhya Pradesh (GoMP) with 100% shareholding and subsequently converted to a Joint Venture SPV of Government of India (GoI) and GoMP with 50:50 shareholding to implement Mass Rapid Transit System in Bhopal and Indore city by providing the Metro Rail and is entrusted with the tasks of subsequent expansion of the Metro network, its operation, maintenance and allied activities to ensure sustainable operations. Approved Funding Pattern is as under:

(₹ in Lakhs)

Source	Bhopal Project	Indore Project
GoI Equity	84,193.00	90,684.00
GoI Subordinate Debt for Central Taxes	32,251.00	36,952.00
GoMP Equity	84,193.00	90,684.00
GoMP Subordinate Debt for Central Taxes	32,251.00	36,952.00
Loan from bilateral/multilateral agencies	3,49,334.00	3,20,000.00
Internal Borrowing / Bond by GoMP	-	62,911.00
Total Cost Excluding Land, R&R and PPP Components	5,82,222.00	6,38,183.00
PPP Components	44,000.00	44,000.00
Total	6,26,222.00	6,82,183.00
GoMP SD for Land and R&R (100%)	3,2,160.00	32,558.00
State Taxes (SGST) to be borne by GoMP	24,601.00	25,040.00
IDC to be borne by GoMP	11,157.00	10,299.00
Total Completion Cost	6,94,140.00	7,50,080.00

2. Capital Commitments

Estimated amount of contracts including foreign currency contracts net of advances remaining to be executed on capital account and not provided for is ₹ 7,02,578.78 Lakhs as on 31.03.2023.

3. Other Commitments

Estimated amount of contracts remaining to be executed is ₹ 807.63 Lakhs as on 31.03.2023.

4. Information in respect of Audit Fees

(₹ in Lakhs)

Particulars	For 2022-23	For 2021-22
Statutory Audit Fee	0.89	0.89
Tax Audit Fee	0.47	0.12
Internal Audit Fee	0.89	0.89

* Amounts are including Taxes.

5. The Company has a system of obtaining periodic confirmation of balances from banks and other parties. So far as payables and loans and advances at the end of Financial Year are concerned, balance confirmation letters were sent to the parties. Some of the balances are subject to confirmation/ reconciliation, adjustments, if any, will be accounted for on confirmation/reconciliation, which in the opinion of the management will not have a material impact.

6. Information in respect of Micro, Small and Medium enterprises

(₹ in Lakhs)

Sr. No	Particulars	2022-23	2021-22
1	Amount remaining unpaid to any supplier:		
	a) Principal Amount	576.65	239.53
	b) Interest due thereon	NIL	NIL
2	Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day.	NIL	NIL
3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	NIL	NIL
4	Amount of interest accrued and remaining unpaid	NIL	NIL
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

Includes ₹ 239.53 lakhs payable to M/S Rohit Association cities and Rail Pvt. Ltd. in previous year and current year's figures. As the case is sub-judice and the liability is not ascertainable as on 31st March, 2023. Hence, the interest could not be calculated and disclosed. Further this fact is disclosed under contingent liability.

This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 which has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS-1) " Presentation of Financial Statements" Capital Management

Ratios: Companies shall disclose all those ratios which are prescribed and shall explain the items included in numerator and denominator for computing the below ratios. Moreover, if any change in the ratio is more than 25% as compared to the preceding year then explanation for the same shall be provided.

Ratios	Numerator	Denominator	Current Period	Previous Period	% Variance	Reason for variance
Current Ratio	Current Asset	Current Liability	2.4206	15.9162	-84.79	This decrease is primarily on account of reduction in cash and cash equivalent and due to increase in payables to contractors.
Debt-equity ratio	Total Debt (Borrowing)	Total Equity (Equity share capital and other equity)	0.9764	0.5657	72.59	Increase in the borrowings is more than the increase in the shareholders funds.
Return on equity	Net Income (after tax)	Average Shareholder's Equity (Equity share capital and other equity)	0.0026	0.0047	-44.97	Due to increase in the shareholders' funds.
Return on capital employed	EBIT (Profit before interest and tax)	Capital Employed (Total equity and Borrowing)	0.0018	0.0018	-0.73	

Other ratios required by Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 are not applicable on the company, as there are no transaction related to the ratios.

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS-116) "Leases"

- a) The Company has adopted Ind AS 116, where the right of use assets is equal to the lease liability. The company has applied the standard to its leases, pursuant to which recognition of leasing arrangement as Right-of-use asset from the date of lease agreement. Accordingly, previous period information has been restated. This has resulted in initial recognising a right-of-use asset of Rs. 917.52 lakhs and lease liability of Rs 917.52 lakhs in terms of Accounting Policy No. 2.17. Amortisation expenses for the right-of-use asset and finance cost on lease liability is recognised in the statement of profit and loss.

b) Future minimum lease payments as on 31st March 2023 are as follows:

(₹ in Lakhs)

Minimum Lease Payment Due	Lease Payments	Finance Charges	Net Present Values
Within 1 Year	179.97	53.30	126.67
1-2 Years	198.18	44.43	153.75
2-3 Years	208.09	33.67	174.42
3-4 Years	218.49	21.46	197.03
4-5 Years	117.26	7.67	109.59
After 5 Years			
Total	921.99	160.53	761.46

c) The Company has taken on lease/rent premises for office space in Bhopal. This lease agreement are renewable on mutually agreed term but are cancellable having low value. Hence, treated as short-term leases/leases of low-value asset.

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 "Employee Benefits"

9.1 General description of various defined employee's benefits schemes are as under:

a) Provident Fund

The company's Provident Fund is managed by Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate. The liability is recognised on accrual basis.

b) Gratuity

The company has a defined benefit plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled for gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness pay / dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death.

The disclosure of information as required under Ind AS - 19 have been made in accordance with the actuarial valuation and liability is recognised on the basis of actuarial valuation.

In respect of deputationist employee, contribution is calculated as per lending organization / Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

c) Leave

The company provides for earned leave benefits and half-pay leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. Only the leave in the encashable leave account is encashable once in a calendar year while in service and a maximum of 300 days (including non-encashable portion and half pay leaves without commutation) on superannuation. The liability on this account is recognised on the basis of actuarial valuation.

In respect of deputationist employee, contribution is calculated as per lending organization / Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Post – retirement medical Facility

The company has Post-retirement medical Facility (PRMF), under which retired employees and the spouse are provided medical facility for indoor treatment at the same rate as applicable to regular employee. The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

e) Pension

The company has national pension scheme (NPS) towards creating retirement corpus for pension of employees. This scheme is optional, and company's obligation is limited to pay 2.5% of basic pay of enrolled employee. This scheme is managed by Axis Bank. The contribution to the scheme for the period is grouped under employee cost on Accrual Basis.

In respect of deputations employee, contribution is calculated as per lending organization / Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

9.2 The summarized position of various benefits recognised in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income (OCI) and Balance Sheet & other disclosures are as under:

a) Net Defined benefit Obligations

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Unfunded)	Leave (Unfunded)	PRMF (Unfunded)
Defined Benefit Obligation	C.Y.	31.81	28.90	10.24
	P.Y.	-	-	-
Fair value of plan and assets	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Funded status	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Effect of asset ceiling	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Net Defined benefit Assets / (Liabilities)	C.Y.	31.81	28.90	10.24
	P.Y.	-	-	-

b) Movement in defined benefit obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Unfunded)	Leave (Unfunded)	PRMF (Unfunded)
Defined Benefit Obligation-Beginning of the year	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Current Service cost	C.Y.	31.81	28.90	10.24
	P.Y.	-	-	-
Interest cost	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Benefits Paid	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Past Service cost-Plan amendments and Acquisition	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Re-measurements-actuarial loss/(gain)	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Defined benefit Obligation-End of the Year	C.Y.	31.81	28.90	10.24
	P.Y.	-	-	-

c) Movement in defined benefit obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Unfunded)	Leave (Unfunded)	PRMF (Unfunded)
Current service cost	C.Y.	31.81	28.90	10.24
	P.Y.	-	-	-
Past service cost - Plan Amendment	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Curtailment cost/(credit)	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Settlement cost/(credit)	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Service Cost (A)	C.Y.	31.81	28.90	10.24
	P.Y.	-	-	-
Net interest on Net Defined Benefit Liability / (assets) (B)	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Immediate recognition of (gains)/losses- other long term employee benefit plans(C)	C.Y.	-	-	-
	P.Y.	-	-	-
Cost recognized in P& L (A+B+C)	C.Y.	31.81	28.90	10.24
	P.Y.	-	-	-

d) Sensitivity Analysis

(₹ in Lakhs as at 31.03.2023)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Unfunded)	Leave (Unfunded)	PRMF (Unfunded)
Discount rate	+0.50%	30.20	27.24	9.04
	-0.50%	33.56	30.72	11.64
Salary growth rate	+0.50%	32.76	30.71	-
	-0.50%	30.84	27.24	-
Withdrawal Rate	+10.00%	32.06	28.90	10.24
	-10.00%	31.53	28.90	10.24
Medical Inflation rate	+0.50%	-	-	11.68
	-0.50%	-	-	8.99

Sensitivity Analysis

(₹ in Lakhs as at 31.03.2022)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Unfunded)	Leave (Unfunded)	PRMF (Unfunded)
Discount rate	+0.50%	-	-	-
	-0.50%	-	-	-
Salary growth rate	+0.50%	-	-	-
	-0.50%	-	-	-
Withdrawal Rate	+10.00%	-	-	-
	-10.00%	-	-	-
Medical Inflation rate	+0.50%	-	-	-
	-0.50%	-	-	-

e) Actuarial Assumption:

Particulars		Gratuity (Unfunded)	Leave (Unfunded)	PRMF (Unfunded)
Method Used	CY	Projected Unit Credit (PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit (PUC) Actuarial Method
	PY	-	-	-
Discount rate	CY	7.50%	7.50%	7.50%
	PY	-	-	-
Salary growth Rate	CY	7.50%	7.50%	-
	PY	-	-	-
Withdrawal Rate	CY	4.00%	4.00%	0.00%
	PY	-	-	-
Medical Inflation rate	CY	-	-	3.00%
	PY	-	-	-

f) Expected Benefit Payments (₹ in Lakhs)

Sr. No.	Year of payment	Gratuity (Unfunded)	Leave (Unfunded)	PRMF (Unfunded)
1	March 31, 2024	1.09	1.27	-
2	March 31, 2025	1.13	1.31	-
3	March 31, 2026	1.33	3.89	-
4	March 31, 2027	1.37	1.26	-
5	March 31, 2028	2.75	2.73	-
6	March 31, 2029 to March 31, 2033	16.37	8.89	0.75

As on 31.03.2023, the company do not have any funding arrangement and settle the same on Pay-N-Go basis.

10. Disclosure in respect of Ind AS-21- "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates."

The amount of exchange differences (net) credited to the statement of Profit & Loss amounting to ₹ 1.54 Lakh (P.Y. 2021-22 was Nil).

11. Disclosure in respect of Ind AS-24- "Related Party Disclosures"**a) Key Management Persons:**

Shri Manish Singh, Managing Director (w.e.f. 12.11.2022)

Shri Nikunj Kumar Srivastava, The Then Managing Director (From 13.07.2022 to 11.11.2022) Smt. Chhavi Bhardwaj, The Then Managing Director (upto 13.07.2022)

Shri Ajay Sharma, Director Project (w.e.f. 23.03.2022)

Smt. Niti Kothari, Director Finance and CFO (w.e.f. 20.05.2022) Shri Sandeep Jain, Company Secretary

b) Disclosure of transactions of the company with Key Management Persons

(₹ in Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Salaries & Allowances	101.65	27.35
Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance	19.43	2.57
Other Benefits	5.21	
Total (included in Employees Cost)	126.29	29.92

In addition to the above remuneration:

The provisions for contribution towards gratuity, leave encashment, post-retirement medical benefits and terminal benefits as ascertained on actuarial valuation, amounted to ₹ 5.50 Lakhs (P.Y. ₹ NIL).

12. Disclosure in respect of Ind AS – 33- Earning Per Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Profit after taxation as per Statement of Profit & Loss	341.72	362.25
Weighted average number of equity shares outstanding:		
Basic	1,208,000,000	361,558,849
Diluted	1,249,986,575	361,558,849
Basic Earnings Per Share (₹)	0.0283	0.1002
(Face value of ₹ 10/- per share)		
Diluted Earnings Per Share (₹)	0.0273	0.1002
(Face value of ₹ 10/- per share)		

13. Disclosure in respect of Ind AS-37- "Provisions, Contingent liabilities and Contingent Assets": Contingent Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
Claims against the company not acknowledge as debt including foreign currency claim towards:		
Works	4,781.00	4,781.00
Rent	45.70	45.70
Total	4,826.70	4,826.70

Contingent Assets: Nil**Disclosure in respect of Contingent liabilities:**

Particulars (case description)	Party (1)	Party (2)	Amount of dispute	Date when case is filed	Status as on 31.3.2023
Regarding DPR Consultancy fee for Bhopal and Indore Metro Rail projects	Rohit Associates	MPMRCL	₹ 4791 lakhs (5021-240) # (Samadhan MSEFC, Mumbai)	WP 1271/2020 (20.02.2020)	Pending Before Hon'ble MSEFC, Mumbai.
Apollo tower Rent, Indore	Apollo Premier	MPMRCL	₹ 45.70 lakh	-	As claimed
Regarding the dispute of land Under Khasra No. 920/1, 938, 939 & 940 of Bhopal City circle & Khasra No. 37 & 38 of Govindpura Circle.	Bhopal Glue & Chemicals P.Ltd	District Collector & Others (MPMRCL as Respondent No. 3)	Not ascertainable	28.03.2022	Pending before Hon'ble High Court, Jabalpur
Regarding the ownership of a land Parcel under Khasra No. 200 (30.23 Acre) Bagh Makwara Shariff,	Aukhaf-e-Shahi, Bhopal.	MPMRCL		Civil Suit No. A-17/2021 (08.11.2021)	Pending before M.P. State Waqf Tribunal
Regarding the ownership of a land Parcel under Khasra No.1187 (0.275 HA) & 1189 (0.975 HA) on the right side of Bharat Talkies to Bherkedi Road				Civil Suit No. A-18/2021 (08.11.2021)	

Net payable as on 31.03.23 as per books for M/S Rohit Association cities and Rail Pvt. Ltd., DPR consultant is ₹ 239.52 lakhs.

14. Disclosures in respect of Ind AS 107- "Financial Instruments: Disclosures"**14.1 Financial Instruments****(i) Financial Instruments by Categories**

The carrying values of financial instruments by categories are as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2023 Amortised Cost	As at 31.03.2022 Amortised Cost
Financial Assets		
Other Financial Assets (Refer Note 5)	2,793.56	524.96
Bank balance Other than Cash and cash equivalents (Refer Note 10)	60,000.00	-
Cash & Cash equivalents (Refer Note 9)	11,562.97	112,076.36
Total	74,356.53	112,601.32
Financial Liabilities		
Borrowings (Refer Note 13)	141,584.96	68,109.00
Other Financial Liabilities (Refer Note 14)	31,463.69	10,493.04
Total	173,048.65	78,602.04

(ii) Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities measured at fair value in the statement of financial position are categorized into three levels of a fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observation of significant inputs to the measurement as follows :

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical financial instruments that the entity can access at the measurement date.

Level 2- The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques which maximize the use of relevant observable market input and minimize use of unobservable inputs.

Level 3 - If one or more of the significant inputs is not based on observable market input, the instrument is categorized in level 3 of fair value hierarchy.

(iii) Financial Assets/Liabilities measured at amortized cost for which Fair Values are disclosed:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Level	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
		Carrying value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets					
Other Financial Assets (Refer Note 5)	Level 2	2,793.56	2,793.56	524.96	524.96
Total		2,793.56	2,793.56	524.96	524.96
Financial Liabilities					
Other financial liabilities (Refer Note 14)	Level 2	31,463.69	31,463.69	10,493.04	10,493.04
Total		31,463.69	31,463.69	10,493.04	10,493.04

(iv) Valuation techniques and process used to determine fair values

- a) The carrying value of financial assets and liabilities with maturities less than 12 months are considered to be representative of their fair value.

Fair value of other financial assets and liabilities carried at amortized cost is determined by discounting of cash flows using a

- b) discount rate which is defined as per Accounting Policy No. 2.14.

14.2 Financial Risk Management**I. Financial risk factors**

The Company is exposed to various risks in relation to financial instruments. The company's financial assets and liabilities by category are summarized at note no. 14.1 (I). The main types of risks are market risk, credit risk and liquidity risk. The company's risk management focuses on actively securing the Company's short to medium term cash flows by minimizing the exposure to volatile financial markets. The most significant financial risks to which the company is exposed are described below.

(A) Market risk

The Company has foreign exchange risk as the Market risk. The company have interest rate risk since EIB loan agreement bears Variable rate of the interest. The company does not have price risk since company is not having any derivative financial asset.

The exchange fluctuation risk is due to import of property, plant and equipment from outside India. The company does not have any hedging instruments to cover the foreign exchange risk.

The following table analyses foreign currency risk from financial instruments:

(₹ in Lakhs as at 31.03.2023)

Particulars	Euro	USD	Other currency	Total
Cash and cash equivalent	-	-	-	-
Trade Receivables	-	-	-	-
Other Financial Assets	-	-	-	-
Trade Payables	-	-	-	-
Other Financial Liabilities	66.10	1.01	-	67.11
Net Assets/(Liabilities)	66.10	1.01	0	67.11

* Exchange rate applied ₹ 82.2368/USD and ₹ 88.9556/Euro

Sensitivity Analysis

Increase or Decrease of 1% in the respective foreign currencies compared to the functional currency of the company would impact profit before tax by ₹ 0.67 lakhs .

(₹ in Lakhs as at 31.03.2022)

Particulars	Euro	USD	Other currency	Total
Cash and cash equivalent	-	-	-	-
Trade Receivables	-	-	-	-
Other Financial Assets	-	-	-	-
Trade Payables	-	-	-	-
Other Financial Liabilities	-	-	-	-
Net Assets/(Liabilities)	0	0	0	0

(B) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. The company is exposed to this risk for various financial instruments, for example by security deposits etc. The maximum exposure to the credit risk at the reporting date is primarily from carrying amount of following types of financial assets:

- Cash and cash equivalents
- Loans
- Other financial assets measured at amortized cost

(i) Credit Risk Management

Cash and cash equivalent

Credit risk related to cash and cash equivalents is managed by placing funds in

schedule commercial banks which are subject to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India and these banking relationships are reviewed on an ongoing basis.

Other financial assets:

Other financial asset which includes loans and advances are measured at amortized cost.

(ii) Expected Credit Losses

Other Financial Assets measured at Amortized cost:

Credit risk related to these other financial assets is managed by monitoring the recoverability of such amounts continuously, while at the same time internal control system in place ensures that the amounts are within defined limits. There are no impairment provisions as at each reporting date against these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

(c) Liquidity Risk

Liquidity requirements of the company are monitored on the basis of monthly and yearly projections. The company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, Long term loan from EIB through PTA, Interest free subordinate debt, Share capital and Grant.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirements consist mainly of sundry creditors, expense payable, employee dues and retention & deposits arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain a sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include Loans, Interest free subordinate debt and liabilities for Employee benefits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table have been drawn up based on the cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the company may be required to pay. The table includes both principal & interest cash flows.

(₹ in Lakhs as at 31.03.2023)

Particulars	Less than 6 months	6 Months to 1 year	More than 1 year to 3 years	More than 3 year to 5 years	More than 5 years	Total
Borrowing (Refer Note 13)	-	-	-	-	141584.96	141,584.96
Other financial liabilities (Refer Note 14)	24,860.01	4,333.82	1,963.23	306.62	-	31,463.68
Grand Total	24,860.01	4,333.82	1,963.23	306.62	141,584.96	173,048.64

(₹ in Lakhs as at 31.03.2022)

Particulars	Less than 6 months	6 Months to 1 year	More than 1 year to 3 years	More than 3 year to 5 years	More than 5 years	Total
Borrowings (Refer Note 13)	-	-	-	-	68,109.00	68,109.00
Other financial liabilities (Refer Note 14)	6,404.66	106.80	3,674.98	306.62	-	10,493.06
Grand Total	6,404.66	106.80	3,674.98	306.62	68,109.00	78,602.06

15. Disclosure in respect of IND AS - 36 - "Impairment of Assets"

The management has assessed impairment of assets and found no impairment during the year 2022-23 (PY 2021-22 Nil).

16. Additional Regulatory Information

- i. Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company - Refer note 17
- ii. Details of Benami Property held - NIL (P.Y - NIL)
- iii. Whether company is declared as willful defaulter - NIL (P.Y - NIL)
- iv. Transaction with struck off companies - NIL (P.Y - NIL)
- v. Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies (ROC) pending- NIL (P.Y - NIL)
- vi. Conduit lending/Investment/Conduit Borrowings - NIL (P.Y - NIL)
- vii. Undisclosed income under Income Tax Act - NIL (P.Y - NIL)
- viii. Details of Crypto Currency or Virtual Currency transactions - NIL (P.Y - NIL)
- ix. Valuation by registered Valuer of fair value of Investment Property - Nil (P.Y - NIL)
- x. Valuation by registered Valuer of Property, Plant & Equipment (incl'd RoU) - NIL (P.Y - NIL)
- xi. Valuation by registered Valuer of Intangible Assets - NIL (P.Y - NIL)
- xii. Loans / Advances to promoters / directors / KMPs and the related parties - NIL (P.Y - NIL)

- xiii. Borrowings from banks or Financial institutions against Current Assets - NIL (P.Y - NIL)
- xiv. Compliance with number of layers of Companies - NIL (P.Y - NIL)
- xv. Compliance with approved scheme(s) of Arrangement - NIL (P.Y - NIL)
- xvi. Utilization of Borrowed funds and share premium - NIL (P.Y - NIL)
- xvii. Section 42 & 62 of Companies Act 2013 are not applicable. (As per OM of MCA)

17. Title deeds of Immovable Properties not held in name of the Company Freehold Land:

Description of Property	Gross carrying value (Amount in ₹)	Area	Title deed held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter / director or employee of promoter / director	Property held since Which date	Remarks
Bhopal						
Metro Rail Depot Land at Subhash Nagar	1	27.495 Ha	GoMP (MP Urban Development & Housing Department)	Promoter	09.12.2021	Procedural Delay.
Additional land for Depot at subhash nagar	1	3.51 Ha			30.08.2022	
Barkatullah University (BU) land	1	1.67 Ha			23.11.2022	
AIIMS land	1	0.0176 Ha			23.11.2022	
Land in front of Sargam Cinema at MP nagar zone-2	1	0.126 Ha			23.11.2022	
Land near RBI at MP nagar zone-1 for KV Metro station	1	0.405 Ha			23.11.2022	
Land near DIG Bungalow Metro Station	1	0.85 Ha			23.11.2022	
Indore						
Depot land at Gandhinagar	38202490	30.17 Ha	GoMP (MP Urban Development & Housing Department)	Promoter	01.07.2021	Procedural Delay.
Gandhinagar Curve land	1939544	0.09 Ha			06.12.2022	
IDA land at MR-10 scheme no. 139	1	0.363 Ha			19.08.2021	
IMC land of AICTSL bus depot near khajrana	9000001	0.25 Ha			12.11.2021	
Gandhi nagar society land at depot	1	2.1 Ha			23.12.2022	

18. Disclosure in respect of GoMP & GoI MoU:

Memorandum of understanding between Government of India (GoI), Government of Madhya Pradesh (GoMP) and Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Ltd. (MPMRCL) for Bhopal Metro Rail project and Indore Metro Rail project were executed on 19 Aug 2019. Pursuant to which, during F.Y 2022-23 funds amounting to ₹ 49999.96 Lakhs were received from GoMP and ₹ 47754.00 Lakhs were received from GoI (including PTA) for Bhopal and Indore Metro Rail projects. Out of that share application money pending allotment from GoI is ₹ 24278.00 Lakhs.

19. The Cash Flow Statement has been prepared and presented as per the requirements of Ind AS 7 "Statement of Cash flows" under the indirect method.
20. For considering the events occurring after the end of a reporting period but before the financial statements are approved, the cut off date has been taken as 15.05.2023. Further, on 03.07.2023 the Annual Financial statement for the F.Y. 2022-23 has been approved for issue by the Board of Directors of the company.
21. Pursuant to Section 135 of Companies Act, 2013, the CSR provisions are applicable to MPMRCL but the average net profits during the three immediately preceding financial years is negative, the company is not required to spend any amount mandatorily on CSR.
22. Figures have been rounded off to nearest Lakh.
23. Previous year figures have been regrouped, rearranged, reclassified wherever necessary, to make them comparable with current year's presentation.
24. **Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS- 8) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"**

Changes in Accounting Policy, Changes in Accounting Estimate and Error: Property, Plant and Equipment

The Company has adopted policy (Significant Accounting Policy No. 2.3) for depreciation on Mobile Handset provided to employees. Depreciation on Mobile set is ₹ 2 Lakhs for current year.

The Company has adopted policy (Significant Accounting Policy No. 2.3) for Deposit Work/Contracts: "Deposit Work/Contracts are capitalized on completion on the basis of statement of accounts received from executing agencies and in its absence on the basis of technical assessment of the work executed."

Land

The company has adopted accounting policy (Significant Accounting Policy No. 2.5) for recognizing Land. This has resulted a increase of land and SD by ₹ 4 for Previous year and ₹ 8 for Current year as nominal value. Cost of rehabilitation and resettlement is added to the cost of land as per policy. Accordingly, there is a increase of land by ₹ 472.02 lakhs and ₹ 19.40 lakhs for Previous year & Current year respectively.

Capital Work in Progress

The company has adopted accounting policy (Significant Accounting Policy No. 2.6) for CWIP and As per Indian Accounting standard (Ind AS) 23 "Borrowing Cost", Income pertaining to construction period towards Pass through Assistance (PTA) against interest bearing loan is adjusted under CWIP. Interest Income of ₹ 1205.88 lakhs (P.Y. ₹ 344.03 Lakhs) has been transferred to expense during construction under the CWIP head.

Foreign Exchange Transactions

The company has adopted accounting policy (Significant Accounting Policy No. 2.10) for recognizing Foreign Exchange Transactions.

This has resulted in increasing the profit due to Forex difference during the year by ₹ 1.55 lakhs.

Employee Benefits: Post-Employment Benefits (Defined Benefit Plan)

The Company has adopted policy (Significant Accounting Policy no. 2.12) for recognising Post-Employment Benefits. Provision of ₹ 70.95 Lakhs is made on the basis of actuarial valuation during the year.

Accounting for Taxes on Income

The Company has mentioned in policy (Significant Accounting Policy No. 2.13) about Income Tax. Accordingly, provision of Income Tax for ₹ 456.93 Lakh (P/Y ₹ 51.03 Lakh) is created affecting the profit and transferred to Current Tax Asset (Net) by using new regime of taxation.

Effective Interest Rate

The Company has mentioned in policy (Significant Accounting Policy No. 2.14) about Effective Interest Rate (EIR) for fair valuation of financial assets or financial Liabilities. Fair valuation is done in only cases where period is ascertainable. Accordingly security deposit is fair valued. Security deposit as on end of current year and previous year is ₹ 40.21 lakhs and ₹ 37.58 lakhs respectively.

Lease

The Company has adopted Ind AS 116, where the right of use assets is equal to the lease liability. The company has applied the standard to its leases, pursuant to which recognition of leasing arrangement as Right-of-use asset from the date of lease agreement. Accordingly, previous period information has been restated. This has resulted in initial recognising a right-of-use asset of Rs. 917.52 lakhs and lease liability of Rs. 917.52 lakhs in terms of Accounting Policy No. 2.17. Amortisation expenses for the right-of-use asset and finance cost on lease liability is recognised in the statement of profit and loss.

Prior Period

The company has adopted accounting policy (Significant Accounting Policy No. 2.20) for recognizing Prior Period. "Income / Expenditure relating to a prior period which does not exceed 0.50% of the total turnover / gross income are treated as Income / expenditure of current year".

Grant

The Company has adopted policy (Significant Accounting Policy No. 2.21) for Grants. "The grant relates to an expense item, it is recognized as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed". The expenditure incurred during the year is shown in other expenses & corresponding Income is shown by reducing the carrying value of grants. Accordingly Rs. 662.64 Lakhs are recorded as expenditure and income in current year and Rs. 217.24 Lakhs in previous year.

Deferred Tax

Deffered Tax asset / (Liability) was reinstated for the RoU assets, lease liability and CWIP (Interest Income) resulting in increase of Net deferred tax asset by Rs. 91.91 Lakh in PY and the rate of Deferred tax was also corrected in PY. (earlier rate taken was 26% which is corrected to 25.168%)

The following financial statement line items were affected by the change in accounting policy, accounting estimate and accounting errors:

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Restated Amounts in Current Year's	Earlier Presented Amount	Reclassified / Regrouped / Restated Amount
ASSETS :			
Non-current Assets			
Property, Plant & Equipment	1,464.23	147.59	1,316.64
Capital Work in Progress	70,030.08	70,374.11	-344.03
Financial Assets			
(iv) Other Financial Assets	37.58	54.56	-16.98
Deferred Tax Assets (Net)	111.44	19.53	91.91
Other Non current Assets	15,308.15	13,224.10	2,084.05
Current Assets			
(ii) Cash and cash equivalents	112,076.36	112,563.74	-487.38
(v) Loans	-	2,542.37	-2,542.37

Particulars	Restated Amounts in Current Year's	Earlier Presented Amount	Reclassified / Regrouped / Restated Amount
(vi) Other Financial Assets	487.38	-	487.38
Current Tax Assets (Net)	19.51	-	19.51
Other Current Assets	19.71	87.22	-67.51
Equity			
Other Equity	-410.89	-83.86	-327.03
Liabilities			
Non-current Liabilities :			
(ii) Other financial liabilities	3,981.59	3,220.14	761.45
Current Liabilities			
(ii) Other financial liabilities	6,511.45	473.27	6,038.18
Provisions	0.00	5,931.39	-5,931.39

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Restated Amounts in Current Year's	Earlier Presented Amount	Reclassified / Regrouped / Restated Amount
Other Income	1,766.04	1,891.65	-125.61
Other expenses	832.52	693.74	138.78
Finance costs	30.62	0.00	30.62
Depreciation and amortization expense	129.52	56.62	72.90
Profit before Tax	315.10	683.01	-367.91
Current tax	51.03	0.00	51.03
Deferred tax	-98.18	-6.27	-91.91
Profit after Tax	362.25	689.28	-327.03
Earnings per equity share			
(1) Basic	0.10	0.19	-0.09
(2) Diluted	0.10	0.19	-0.09

Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Restated Amounts in Current Year's	Earlier Presented Amount	Reclassified / Regrouped / Restated Amount
Cash Flow from Operating Activities	-27,070.95	-40,378.46	13,307.52
Cash Flow from Investing Activities	-52,582.79	-38,867.79	-13,715.00
Cash Flow from Financing Activities	146,697.11	146,777.00	-79.89
Net Increase/ (decrease) in Cash & Cash Equivalents	67,043.37	67,530.74	-487.37
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period	45,032.99	45,032.99	-
Cash and Cash Equivalents at the end of the period	112,076.36	112,563.74	-487.38
Net Impact	0.00	0.00	0.00

As per our report of even date

For A K B Jain & Co. Chartered
FR No. 003904C

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Pawan Dharamdasani
Partner
M. No. 430739

Sd/-
(Sandeep Jain)
Company Secretary
FCS: 7847

Sd/-
(Niti Kothari)
Director (Finance) & CFO
DIN: 09608369

Date : 10.07.2023
Place : Bhopal

Sd/-
(Neeraj Mandloi)
Director
DIN: 02037213

Sd/-
(Manish Singh)
Managing Director
DIN: 05277748

सेकंड फ्लोर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग, काली बाड़ी रोड,
बी.एच.ई.एल., सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल-462022